खण्ड-123, अंक-1
सोमवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1875
(30 मार्च, 1953 ई0)

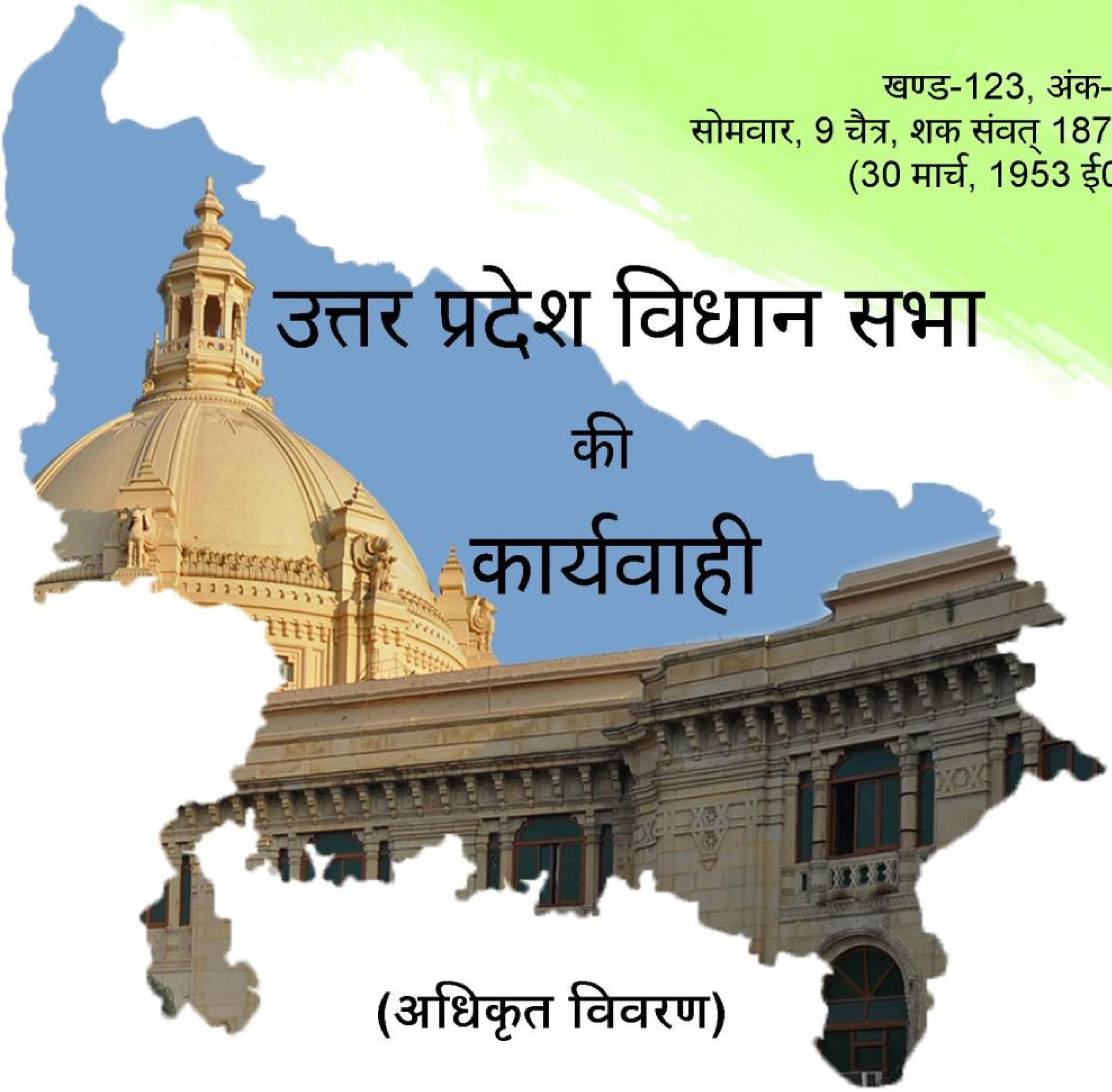

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 123 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दाम, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह भेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुलहक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अदील खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
राम लाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

राजकीय यान्त्रिक कृषि क्षेत्रों में दुधारू गाय, भैंस और बकरियों की संख्या तथा उनके दूध और घी से आमदनी

*१—श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक राजकीय यान्त्रिक कृषि क्षेत्र में इस समय दुधारु गाय भैंस तथा बकरी कितनी कितनी हैं ?

कृषि उप-मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—आवश्यक सूचना संलग्न सूची 'अ' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१ पर)

*२—श्री श्रीचन्द—क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि १९५१-५२ में कितना दूध तथा घी कितने दामों में बेचा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आवश्यक सूचना संलग्न सूची 'ब' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२ पर)

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फार्मों में गाय तथा भैंसों की कौन कौन सी नस्लें दूध तथा कृषि के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—गायों की नस्लों का जहां तक संबंध है सूबे के भिन्न भिन्न रीजन्स में भिन्न भिन्न नस्लों की गायें दूध के लिये ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इन राजकीय यान्त्रिक क्षेत्रों में दुधारू गाय, भैंस तथा बकरियों के रख-रखाव में कितना खर्च होता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सूबे में जो अलग अलग फार्म्स हैं उन पर अलग अलग खर्चा होता है । यदि आप किसी विशेष फार्म के संबंध में पूछेंगे तो सूचना इकट्ठी करके बतला दूंगा।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि दूध तथा घी की बिक्री के क्या प्रबन्ध हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—दूध और घी की बिक्री का प्रबन्ध यह है कि जहां कहीं कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन्स वग़ैरह हैं या कोआपरेटिव सोसाइटीज़ वग़ैरह हैं उनके द्वारा बिकवाते हैं, और अपने जो फार्म्स हैं उनके द्वारा सीधे भी बिकवाते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन फार्मों पर जो खर्चा होता है और आमदनी होती है सब मिला कर घाटा होता है या मुनाफा होता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---बहुत से फार्मों पर फायदा भी होता है और कहीं कहीं पर घाटा भी होता है।

श्री सीताराम शुक्ल---मैंने सूबे भर में सबके हिसाब के सिलसिले में पूछा है कि सबका हिसाब जोड़ने के बाद घाटा होता है या मुनाफा होता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सूबे भर में मिला करके कुछ लाभ भी होता है, घाटा नहीं होता है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कौन कौन से ब्रीड गाय और भैंसों के सरकार किसानों के पालने के लिये सिफारिश करती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---प्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न जो ब्रीड्स हैं उनकी सिफारिश करती है। कुछ भागों में हरियाना की सिफारिश करती है, कुछ भागों में साहीवाल की सिफारिश करती है और कुछ भागों में खैरीगढ़ की सिफारिश करती है। जो हिस्सा जिस नस्ल के जानवरों के लिये ज्यादा सहूलियत का होता है, जहां की जलवायु उसके अनुकूल होती है, जहां वह ज्यादा पनप सकता है, उसी की ज्यादा सिफारिश करती है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन फार्मों से खालिस दूध मिलने के कारण प्रान्त के और हिस्सों से मांग है कि ऐसे फार्म खोले जायं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हां, बहुत सी जगह से यह कहा जाता है कि उनके यहां भी इस तरह के फार्म खोले जायं।

*३--४---श्री नारायणदत्त तिवारी---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं के भूमिहीन किसानों को आबाद करने का निश्चय

*५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने खामिया ब्लाक, लालकुंआं के पास किसी जंगल को आबाद करा कर कुमायूं के भूमिहीन किसानों को आबाद करने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है और कितने भूमिहीनों की अर्जियां इस संबंध में आ चुकी हैं ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---जी हां। अभी इस जंगल की हदबन्दी (demarcation) और सफाई की जा रही है सुपरिन्टेन्डेन्ट तराई भावर खास स्टेट के पास अब तक १,६८८ अर्जियां आ चुकी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी ---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस इलाके में कितना क्षेत्र यानी कितनी एकड़ जगह की सफ़ाई की जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क़रीब ३ हजार एकड़ का इरादा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि एक भूमिहीन परिवार को कितनी भूमि औसतन दी जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--पहले सवाल में ३ हजार ग़लत कहा, क़रीब ४ हजार है और क़रीब ६ सौ परिवारों को बसाना है और हरएक को क़रीब ५ एकड़ जमीन देने का इरादा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सफ़ाई और चकबन्दी का काम कब तक हो जायगा ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--सफ़ाई का काम चल रहा है और बहुत कुछ उस जंगल की सफाई हो चुकी है लेकिन पहले से कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं की जा सकती।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार इस स्थान पर बागेश्वर के डेढ़ सौ भूमिहीन किसानों को बसाने का निश्चय कर चुकी है, जिनको पहले जमीन एलाट कर चुकी थी लेकिन उनको जमीन नहीं मिल पाई ?

श्री चरणसिंह--ऐसे लोगों को जिनको गवर्नमेंट पहले से जमीन एलाट कर चुकी थी लेकिन मौके पर किन्हीं कारणों से उनको जमीन नहीं मिल पाई, उनको प्रिफरेन्स देने का इरादा है। लेकिन जो तादाद माननीय मित्र ने बतलाई उसको मैं इस वक्त स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

*६-८--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के गजटेड कर्मचारियों का बाक़ी वेतन

*९--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ दिसम्बर, १९५२ तक उत्तर प्रदेश के सरकारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के कितने गजटेड कर्मचारियों का वेतन बाक़ी है और कब से ?

श्री जगन प्रसाद रावत--१५-१२-५२ तक कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के १३ गजटेड कर्मचारियों का वेतन बाक़ी था। जिन तारीखों से वेतन बाक़ी था संलग्न अनुसूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३ पर।)

*१०--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार कोई वजह बताने की कृपा करेगी कि यह वेतन क्यों बाक़ी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कुछ गजटेड अधिकारियों का वेतन इसलिये बाक़ी था कि महालेखा पाल ने वेतन प्रमाण-पत्र (Pay Slip) नहीं जारी किया था और कुछ का इसलिये बाक़ी था कि उनके स्थानान्तरण और छुट्टी इत्यादि के संबंध में गजट में विज्ञप्ति नहीं प्रकाशित हुई थी।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी किसी ऐसी तजवीज को सोचने की कृपा करेंगे कि जिनसे भविष्य में महालेखापाल महोदय के यहां से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में दिक्क़त न हो ?

श्री जगन प्रसाद रावत--बराबर इस बात का प्रयत्न होता रहता है कि जब ऐसी कोई कठिनाई आये कि किसी को छुट्टी जाने की वजह से या किसी को पदवृद्धि की वजह से महालेखा पाल के यहां से डिले हो तो उनको बराबर रिमाइंडर्स दिये जाते हैं और यह कोशिश की जाती है कि उनके यहां से प्रमाण-पत्र जल्दी से जारी किये जायं। अगर आगे ऐसी दिक्क़त होगी तो कोशिश की जायगी कि किसी की तनख्वाह न रुक पाये।

आज़मगढ़ ज़िले में धान के बीज की तक़ावी को माफ़ करने का सुझाव

*११--श्री उमाशंकर (ज़िला आज़मगढ़)--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि आज़मगढ़ ज़िले में पिछले साल (सन् ५२) में जो धान बीज के लिये तकावी पर दिये गये थे उसका कुछ अंश माफ़ करने का इरादा सरकार रखती है जब कि धान के न उगने और वर्षा की कमी के कारण किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार ने धान तकावी पर बीज के लिये नहीं दिया था तकावी नक़दी के रूप में सरकार देती है। पूर्वी ज़िलों में अन्नसंकट के कारण लोगों को बीज प्राप्त न था। अतः खाद्य विभाग द्वारा धान ख़रीद कर आज़मगढ़ भेजा गया था। लोगों की इच्छा पर निर्भर था वे यह बीज लें अथवा बाजार से। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार इस धान के विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं लेती चाहे ख़रीद के वक्त तथा बिक्री के पूर्व काफी सावधानी बरती गयी थी। असाधारण मौसम के कारण कुछ स्थानों में इस बीच में ८ आने से अधिक हानि हुई है। इस तक़ावी की वसूली ऐसे स्थानों पर ज़िलाधीश ने रोक दी है, तक़ावी के नियम २२८ के अनुसार हर व्यक्ति के मामले पर ज़िलाधीश की सिफारिश पर माफी आदि पर वसूली के पूर्व विचार किया जायेगा।

*१२--श्री उमाशंकर--क्या आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने कोई प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास करके सरकार का ध्यान धान न उगने के कारण किसानों की दयनीय दशा की ओर दिलाया है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा करके यह बतावेगी कि तकावी पर बीज बाटते समय किसानों को यह सुविधा रही कि जो चाहे जब तक रुपया ले कर बाजार से खरीदे या सरकारी बीजगोदाम से ?

श्री चरण सिंह--तक़ावी पर बीज बांटा नहीं गया। तक़ावी उनको रुपये में दी गई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (ज़िला आज़मगढ़)--क्या सरकार को पता है कि बीज गोदामों पर ही ग़ल्ला मंगा कर बीज के रूप में दिया गया न कि रुपया दिया गया ?

श्री चरणसिंह--इसका जवाब दिया जा चुका है कि कोई ग़ल्ला तक़ावी के तौर पर नहीं दिया गया बल्कि उनको रुपया दिया गया तक़ावी में।

श्री उमाशंकर--क्या यह बीज रसद विभाग की दुकानों पर बांटा गया या सरकारी बीज गोदाम से ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

*१३--श्री झारखण्डे राय (ज़िला आज़मगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ १९-२० पर।]

देवरिया ज़िले में टेस्ट वर्क पर व्यय

*१४--श्री रामसुभग वर्मा (ज़िला देवरिया)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया ज़िले के अन्दर टेस्ट वर्क में कुल कितना रुपया व्यय हुआ और कितना काम हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—देवरिया जिले में टेस्ट वर्क में १,९४,२३९ रु० ८ आ० ९ पा० खर्च हुआ था। इस रुपये से किये गये कार्य संलग्न सूची में दिये हुये हैं। साथ ही केन कौंसिल द्वारा भी कुछ कार्य किये गये जिनमें ११,५३४ रु० १२ आ० खर्च हुआ। १४,०४,१४० घनफिट मिट्टी खोदी गई तथा २२,२१६ व्यक्तियों को कार्य मिला।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४ पर)

*१५—श्री राम सुभग वर्मा—क्या जितने जगह पर काम शुरू किये गये थे वे काम पूरे हो गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें पूरा करायेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न १४ के उत्तर से स्पष्ट हो जायेगा कि कौन कार्य अभी पूर्ण हैं तथा कितने। सरकार इन कार्यों को पूरा कराने का विचार नहीं रखती।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस समय मजदूरी की दर क्या थी जो सरकार देती थी और अब क्या कर दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उस समय १० आ० रखी गई थी। इस समय १८ छटांक के हिसाब से जो कायदा है वह रखा गया है जो करीब ६ आ० पड़ता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जैसा कि सरकार ने जवाब दिया है कि जटहा से पडरौना तक १२ मील सड़क बनने को थी, उसमें ३ मील बनी, क्या सरकार कारण बतायेगी कि ३ मील ही क्यों बनी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जब तक टेस्ट वर्क चलता रहा, जहां तक बन पायी बनी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मजदूरी में कमी की गई है उसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—बहुत से लोगों का तकाजा था कि फेमिन कोड के मुताबिक वेजेज दी जायं। एक कारण यह है।

श्री गेंदा सिंह—फेमिन कोड के मुताबिक वेजेज की ही बात कही जाती थी या और बातें भी कही जाती थीं। क्या माननीय मंत्री इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—वेजेज पर ही बहुत जोर था।

जौनपुर में मालगुजारी की वसूली के संबंध में हरिजनों की नियुक्ति

*१६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जौनपुर जिले में जितने हरिजन मालगुजारी के वसूली के संबंध में अस्थायी जगहों पर रक्खे गये थे उसमें कितने किन किन तहसीलों से हटाये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—परिगणित जातियों में से सर्वश्री पंचूराम अमीन, तहसील शाहगंज, रामकिशोर अमीन तथा भगेलू चपरासी, तहसील मंड़ियाहूं की अपनी जगहों से हटा दिया गया, क्योंकि कई बार अवसर दिये जाने पर भी वे निर्धारित रकम की वसूली का काम ठीक नहीं कर सके।

*१७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का ध्यान नियुक्ति के समय सुरक्षित सीटों के अनुसार रखा गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, परन्तु अमीन तथा मोहर्रिर की जगहों के लिये परिगणित जातियों को निर्धारित सुरक्षित स्थान पूरे-पूरे न मिल सके क्योंकि अपेक्षित योग्यता रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में चुनाव के समय उपस्थित नहीं हुये ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्त होने के कितने दिन बाद और किसके द्वारा निकाले गये ?

श्री चरण सिंह---नियुक्त होने के कुछ दिन बाद और जिस रोज माननीय सदस्य ने सवाल किया है उससे कुछ दिन पहले वह निकाले गये हैं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो हटाये गये हैं उनके स्थानों पर हरिजनों को ही रखा गया है या अन्य आदमी भी रखे गये हैं ?

श्री चरण सिंह---इसका सरकार को कोई इल्म नहीं है । लेकिन जो हरिजन हटाये जायं उनकी जगह हरिजनों को ही रखा जाय, ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से कोई आदेश सुरक्षित सीट्स के लिये भेजे गये हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, कोई ऐसे आदेश नहीं भेजे गये हैं।

मालगुजारी की प्रतिशत वसूली

*१८---श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मालगुजारी की वसूली चल रही है वह २२ फरवरी, १९५३ तक कितने प्रतिशत हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सरकार के पास वसूली की साप्ताहिक रिपोर्ट नहीं आती है किन्तु तत्संबंधी पाक्षिक रिपोर्टें ही आती हैं। कुल वसूली की किसी नियत तिथि तक सूचना मांगने से जिले के अमले का काम बहुत अधिक बढ़ जायेगा। देय मालगुजारी की मांग के संबंध में वसूली की प्रतिशत १५ फरवरी, १९५३ तक ७० और २८ फरवरी, १९५३ तक ८०.३ रही ।

अनुमान के तौर पर यह कहा जा सकता है कि २२ फरवरी, १९५३ तक वसूली की प्रतिशत ७३ से ७७ के बीच में अवश्य रही होगी।

*१९---श्री दलबहादुर सिंह---क्या यह सही है कि कुछ जिलों में वसूली का प्रतिशत सिर्फ २० या २२ ही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं, किसी भी जिले में १५ फरवरी, १९५३ को वसूली का प्रतिशत २७.६ से कम नहीं रहा। इसलिये यह बात असम्भव है कि २२ फरवरी, १९५३ को किसी भी जिले में वसूली का प्रतिशत २० से २२ तक ही रहा है ।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में २७.६ वसूली रही है तो इतनी कम वसूली होने का कारण क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कुछ तो कारण यह है कि उन जिलों में वसूली देर से शुरू हुई।

*२०–२१––श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) [२७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

मंजरिया फार्म, लखनऊ में खेती द्वारा आय-व्यय

*२२—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की मंजरिया फार्म लखनऊ में खेती किस सन् से तथा कितनी भूमि पर शुरू की गई है और अब तक प्रतिवर्ष उस पर कितना आय व्यय हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत––खेती सन् १९४९ के अन्त से २७८.५५ एकड़ भूमि पर आरम्भ की गई थी । प्रति वर्ष का आय-व्यय का व्योरा निम्नलिखित है:––

वर्ष	आय	व्यय
	रु०	रु०
१९४९–५०	२१,४४६	१९,००४
१९५०–५१	१,२६,१७८	१,००,२७३
१९५१–५२	८४,४११	७९,३२३
१९५२–५३	२०,१६५	५४,५६३
	(दिसम्बर १९५२ तक)	(दिसम्बर १९५२ तक)

*२३––श्री रामेश्वर प्रसाद––क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त फार्म में एक नया ट्रैक्टर भूमि में लगभग २।। साल से धंसा पड़ा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत––जी हां, एक पुराना ट्रैक्टर उक्त फार्म की भूमि में धंस गया है उसे निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद––जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिये गये हैं उसमें सन् १९५१–५२ में जो आय-व्यय एक दम से घट गये हैं उसका क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत––सन् १९५२–५३ के जो इसमें आंकड़े दिये हुये हैं उसमें जो आय कम दी हुई है और व्यय ज्यादा किया हुआ है उसका कारण यह है कि अभी आय में केवल खरीफ तक के आंकड़े शामिल हैं और रबी में जो आमदनी होने वाली है जिसकी फस्ल खड़ी हुई है और कट रही है उसके आंकड़े अभी इसमें नहीं हैं ? वे आंकड़े जब शामिल हो जायेंगे तो सम्भवतः कोई हानि नहीं होगी ?

श्री रामेश्वर प्रसाद––अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि सन् १९५१–५२ में जो आंकड़े दिये गये हैं कि ८४,४११ रुपये आय हुई है और ७९,३२३ व्यय हुये तो मैं पूछ रहा हूं कि एक दम से घट जाने का क्या कारण है ? तो बजाय इसके उन्होंने आखिरी वाले का जवाब दे दिया ।

श्री जगन प्रसाद रावत––सन् १९५१–५२ में वर्षा की कमी की वजह से जितनी फसल बोयी जानी चाहिये थी उतनी नहीं बोयी गयी और जो बोयी भी गई उससे जितनी पैदावार होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या यह सही है कि वह ट्रैक्टर ढाई साल से धंसा पड़ा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---ढाई साल से तो नहीं लेकिन हां, काफी अर्से से पड़ा हुआ है।

श्री श्रीचन्द---यह ट्रैक्टर कब तक निकाला जा सकेगा ?

श्री चरण सिंह---इस ट्रैक्टर को खींचने के लिये जिन औजारों की जरूरत है जब वे आ जायेंगे तब।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या इस फार्म में गेहूं और जौ बोये जाते हैं जिनकी सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह सही है कि इसमें पर्याप्त साधन सिंचाई का नहीं था लेकिन अब सिंचाई का प्रबंध किया जा रहा है।

*२४-२५---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६-२८---श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---[२७ अप्रैल १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बुलंदशहर में दनकोर तथा जमुना नदी के बीच में बेतोड़ जमीन को तोड़ने की योजना

*२९---श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में दनकोर तथा जमुना नदी के बीच में बेतोड़ बहुत सी जमीन पड़ी है ? यदि हां, तो कितने एकड़ ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, लगभग ६,५३३ एकड़।

*३०---श्री धर्मसिंह---क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बेतोड़ जमीन को तोड़ने की कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ६,५३३ एकड़ जमीन खेती के योग्य है या नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसमें काफी जमीन जमुना के दायरे की है जिसमें यदि खेती की जाय तो जमीन के कटने की आशंका है। इसमें से लगभग ४ हजार एकड़ के जंगलात महकमे को सौंपने का निश्चय हुआ है कि वहां पेड़ लगा कर कटाव होने से रोके।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार जो किसान यहां खेती करना चाहते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यदि इस पर खेती हो सकती तो जरूर कराई जाती, लेकिन फिर भी कोशिश की जायगी परन्तु ज्यादा जमीन ऐसी है कि उसके कटने का अन्देशा है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार को मालूम है कि इस ६,५३३ एकड़ जमीन में से आधे से ज्यादा जमीन वहां के किसानों ने जोत भी रखी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी कोई सूचना नहीं है । मुमकिन है कि माननीय सदस्य कुछ सूचना दे सकते हों ।

जिला बदायूं के ओला पीड़ित क्षेत्रों में कृषकों को सहायता देने का विचार

*३१---श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में इस वर्ष ओला गिरा ? यदि हां, तो उससे खेती को कितनी हानि पहुंची है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, बदायूं जिले के १४६ गांवों में १५ जनवरी, १९५३ की रात्रि को ओला गिरा । इनमें से केवल एक गांव में फसल को ८ आ० से अधिक हानि हुई और बाकी गांवों में ८ आ० से कम हानि हुई ।

श्री चुन्नीलाल सगर---क्या यह सच है कि राजपुर, अभयपुर, तिरखेड़ा और सरसे, तहसील भटौली में और दातागंज, हरदासपुर और दफेरा, तहसील बिसौली में इन गांवों में ८ आने से भी अधिक हानि हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---केवल १ गांव में ८ आने से अधिक हानि हुई है ।

श्री चुन्नीलाल सगर---क्या सरकार बतावेगी कि हरदासपुर और दफेरा, तहसील बिसौली में अभी तक कोई अधिकारी इसकी जांच के लिये नहीं पहुंचा है ?

श्री चरण सिंह---क्योंकि रिपोर्ट यह आई है कि सभी गांवों में ८ आने से कम, सिवाय एक गांव के, हानि हुई है, इससे जान पड़ता है कि सरकारी कर्मचारी सभी गांवों में पहुंचे । लेकिन माननीय सदस्य यहां से बदायूं जावें और उन्हें तसदीक हो जाय कि कहीं कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो मुझे लिख दें, मैं तहकीकात करा लूंगा ।

*३२---श्री चुन्नीलाल सगर---क्या सरकार उन ओला पीड़ित क्षेत्रों में कृषकों को कुछ सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---स्थानीय अधिकारी मौके पर हानि की जांच कर रहे हैं । और उनके प्रस्ताव आने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट दी जायगी ।

जिला प्रतापगढ़ के औतारपुर तथा बूढ़ेपुर गांवों में बंधी बांध बनवाने की योजना

*३३---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार को पता है कि बिहार औतारपुर तथा बूढ़ेपुर गांवों, परगना बिहार, जिला प्रतापगढ़ में बंधी बांध कर काफी जमीन पर खेती होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां ।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या स्थानीय अधिकारियों ने इन बंधियों के बनाने के लिये कोई योजना तैयार की है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अभी तक तो कोई योजना तैयार नहीं की है ।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंधियों द्वारा कितने बीघे खेती होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह जो बिहार गांव में बंधी है यह पानी रोकने के लिये बनाई गई है, इससे सिंचाई नहीं होती । अवतारपुर और बूढ़ेपुर गांवों में करीब ७० एकड़ पर फी बांट के हिसाब से धान वगैरह की सिंचाई होती थी ।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि स्थानीय किसान इन बंधियों को बनायें तो क्या सरकार उन किसानों को सहायता देगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अभी जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि अप्रैल, मई में वहां की नियोजन समिति श्रमदान द्वारा उनको बनाने का प्रयत्न करेगी और उसमें जो वहां के किसान श्रमदान देंगे उससे बंधियों का निर्माण होगा ।

*३४---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार को पता है कि इन बंधियों की हालत खराब है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां । यह बंधियां जहां तहां खराब हो गई हैं ।

*३५---श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार इन्हें बनवाने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इन बांधों की मरम्मत स्थानीय किसानों को स्वयं करनी चाहिये । आगामी अप्रैल, मई में जो तालाबों का जीर्णोद्धार आंदोलन होने वाला है उसी काल में उक्त बंधियों की मरम्मत का कार्य भी स्थानीय श्रम द्वारा सम्पन्न करने का प्रयत्न किया जायगा ।

*३६-३७---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २० पर ।]

*३८-३९---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २० पर ।]

देवारा महुला गांव, जिला आजमगढ़ के किसानों द्वारा अपने खेतों के इन्दराज सही कराने की प्रार्थना

*४०---श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि दोवारा महुला, परगना तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के तीन चार सौ किसान अपने अपने खेतों के इन्दराज ठीक कराने तथा वाजिब हक मांगने के लिये जिलाधीश के पास कई बार आ चुके हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---देवारा महुला गांव के लगभग २०० किसान अपने खेतों के इन्दराज सही कराने की बाबत जिलाधीश से मिले थे ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७-१२-५२ को २००, २५-१२-५२ को १५० और २४-१-५३ को ४०० किसान जिलाधीश से मिलने गये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह सूचना पहले ही दे दी गयी कि २०० के करीब किसान जिलाधीश से मिलने गये थे परन्तु माननीय सदस्य जो संख्या बता रहे हैं, संभव है जानकारी में हो लेकिन मेरी जानकारी यही है कि २०० किसान मिलने गये थे ।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को यह पता है कि तारीख १३-१-५३ को दोबारा देवारा महुला ग्राम के किसानों ने अंगूठा निशानी लगाकर माननीय मुख्य मंत्री और माननीय कृषि मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री चरण सिंह--घोसीपुर तहसील के किसानों के सिलसिले में श्री राम सुन्दर जी पांडेय और माननीय उमाशंकर ने गालिबन कई प्रार्थनापत्र माननीय मुख्य मंत्री और मुझे दिये थे जो जिलाधीश को उचित कार्यवाही के लिये भेजे जाते रहे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि सगरी तहसील के किसानों की गलत इन्दराज की कितनी दरख्वास्तें आईं ?

श्री चरणसिंह--घोसी तहसील की १,६००, १,७०० के करीब दरख्वास्तें आई लेकिन जहां तक सगरी का ताल्लुक है उसके लिये सूचना चाहिये।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को मालूम है कि परगना हाकिम पुलिस थाने में जाने के बाद सब-इन्सपेक्टर दोहरी घाट के साथ मलुहा ग्राम में गये थे ?

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे हर तरह की डिटेल बता सकें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री जी सुन्दर चमार, बनारसी चमार...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप एक एक चीज माननीय मंत्री जी से, हरएक का नाम पूछ पूछ कर बहुत डिटेल में जा रहे हैं। हर एक का डिटेल में नाम वगैरह पूछने की इजाजत नहीं है। अगर कोई खास उसूली बात जो हो तो आप पूछें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सगड़ी तहसील से किसानों की गलत इन्दराज की शिकायत संबंधी जो दरख्वास्तें आयी हैं उनमें से कितने की जांच अब तक हो चुकी है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। इस वक्त नहीं बतलाया जा सकता है। नोटिस की आवश्यकता है।

*४१--श्री उमाशंकर--क्या यह सही है कि परगना हाकिम सगड़ी ने उक्त किसानों को इन्दराज ठीक करने तथा हक मांगने के कारण महुला देवारा में जेल भेज देने की धमकी दी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं।

*४२--श्री उमाशंकर--क्या सरकार सगड़ी तहसील के किसानों को कानूनी हक देने के लये कोई आफिसर नियुक्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस कार्य के लिये किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिलाधीश तथा परगनाधीश स्वयं ही गांव में जाकर दुरुस्ती कागजात की आवश्यक कार्यवाही कर चुके हैं और जो थोड़ा सा काम बाकी रह गया है वह भी वे बहुत जल्दी ही कर देंगे।

गोरखपुर रोडवेज के मुअत्तली के पेंडिंग केस

*४३--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर रोडवेज में कितने मुअत्तली के केस पेंडिंग (pending) हैं और कब से ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस संबंध में आवश्यक सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी है। सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार रोडवेज के कर्मचारियों के लिये कोई सर्विस रूल या स्टैंडिंग आर्डर बनाने का विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

जौनपुर में सवारी गाड़ी के परमिट का वितरण

*४४---श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या यह सत्य है कि यातायात कमेटी ने सन् १९५० में तय किया था कि सवारी गाड़ियों का परमिट एक परिवार में एक व्यक्ति को एक ही दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि इस कानून का उल्लंघन करके जौनपुर जिले में कितने व्यक्तियों को एक से अधिक परमिट दिये गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं। संबंधित प्रश्न नहीं उठता।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ए० कमेटी, इलाहाबाद ने कोई ऐसा नियम बनाया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है।

प्रतापगढ़ में ओला पड़ने से कुछ गावों के फसलों की क्षति

*४५---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में इस साल कितने ग्रामों में ओले पड़ने के कारण फसल नष्ट हो गयी है ? और ऐसी हालत में सरकार क्या सुविधा प्रदान करने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पिछले जनवरी महीने में ओले पड़ने के कारण प्रतापगढ़ जिले के २८ गांवों में फसलों को हानि पहुंची परन्तु यह हानि इतनी नहीं थी कि मालगुजारी की छूट अथवा अन्य कोई सहायता दी जाय।

श्री राम किंकर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो क्षति हुई है उसकी रिपोर्ट किसने की और उस क्षति का मापदंड क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्षति की रिपोर्ट जिलाधीश द्वारा प्राप्त होती है।

*४६-४८---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---[२७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९-५०---श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)---[२७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१---श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---[८ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५२---श्री झारखंडेराय---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५४---श्री राम स्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---
[देखिये आगे पृष्ठ २०-२१ पर।]

जौनपुर के त्यागपत्र देने वाले तथा कार्य करने वाले पटवारियों की संख्या

*५५---श्री बाबू नन्दन---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में कुल कितने पटवारी थे और उनमें से कितनों ने इस्तीफा दिया तथा कितने कार्य कर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जौनपुर में पटवारियों की कुल जगहें ६८१ हैं परन्तु मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल और ऐसे जो अन्य जगहों पर काम कर रहे थे उनकी कुल संख्या ६९४ थी जिसमें से ६३८ ने इस्तीफ़े दिये। बाकी ५६ ने इस्तीफे नहीं दिये और वे अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने पटवारी नये रखे गये हैं और उनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुराने पटवारियों में कितनों ने इस्तीफा दिया था और कितनों ने वापस लिया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी इत्तिला इस समय नहीं है।

श्री गेंदासिंह---जो नये नियम सरकार ने पटवारियों के लिये बनाये हैं उन्हीं नियमों के मुताबिक सरकार पटवारी रखेगी या पुराने पटवारियों को उन नियमों से एक्जेम्प्ट कर देगी ?

श्री चरणसिंह---जो पुराने पटवारियों की शिक्षा योग्यता रखी गयी थी वही नये आदमियों के लिये भी रखी गयी है इसलिये शिक्षा की योग्यता की बिना पर उनके निकालने का सवाल पैदा नहीं होता। जो पुराने पटवारी हैं उनकी उम्र ज्यादा है और जो नये रखे गये हैं वे कम उम्र के आदमी हैं। तो इस बिना पर वे नहीं निकाले जा सकते। इसलिये योग्यता की बिना पर निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था वे रहेंगे बशर्ते कि उनकी उम्र ६० वर्ष से ज्यादा न हो।

गढ़वाल जिले में जोशीमठ की सरकारी पौधशाला को बड़े पैमाने में फैलाने की योजना

*५६---श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार गढ़वाल जिले के जोशीमठ की सरकारी पौधशाला को बड़े पैमाने पर फैलाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह पौधशाला हाल ही में स्थापित की गई है और आशा है कि चार पांच साल में पूर्ण विकसित हो जायेगी। स्थानाभाव के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ाना संभव नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पौधशाला कब से प्रारम्भ हुई है और सरकार ने आज तक इस पर कितना रुपया व्यय किया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---व्यय के ब्योरे के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

*५७-५८---श्री चन्द्र सिंह रावत---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९-६०---श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)---[२७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

पर्वतीय जिलों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्यान विकास की योजना

*६१---श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पर्वतीय जिलों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्यान विकास की कोई योजना है ? यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ?

श्री जगन प्रसाद रावत---किसी भी जिले के लिये उद्यान विकास की विशेष योजना नहीं है। वैसे पूरब के जिलों में जो इस विषय में काम हो रहा है उसका विवरण उप-संचालक, उद्यान के पत्र में, जिसकी प्रति संलग्न है, दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५ पर)

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि पर्वतीय जिलों में फलों की क्वालिटी और क्वांटिटी सुधारने के लिये सरकार की क्या आयोजना है?

श्री जगन प्रसाद रावत---पर्वतीय जिलों में तो अधिक से अधिक फलों के उत्पादन के लिये और उनकी अच्छी से अच्छी फसल पैदा करने के लिये सरकार काफी प्रयत्न कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन सी योजनायें पर्वतीय प्रदेश के फलों की उन्नति के लिये की गई हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---इन योजनाओं को तफसील से तो इस समय नहीं बतला सकता लेकिन कई स्थानों पर जैसे कि रानीखेत में चौपटिया के उद्यान हैं, ऐसे ही और उद्यानों में कोशिश की जा रही है कि हम वहां फलों की फसलों को सुधारें और उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में केवल उत्तर के पर्वतों को ही शामिल किया गया है या दक्षिण वाले भी?

श्री चरण सिंह---पर्वतीय इलाके का मतलब तो यही है कि जहां कहीं भी पर्वत हों।

* ६२-६३---**श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)---[३१ मार्च, १९५३ के लिये संख्या २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

* ६४-६६---**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)---[२० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* ६७-६९---**श्री महमूद अली खां** (जिला सहारनपुर)---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* ७०---**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

* ७१-७२---**श्री वीरेंद्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)---[२ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या १३-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

* ७३---**श्री रामसुभग वर्मा**---[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया]

* ७४-७५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२७ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरे में लैण्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट के अन्तर्गत दी हुई भूमि

* ७६---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में Land Utilization Act के अन्तर्गत पिछले तीन सालों में कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को दी गयी?

* ७७---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---क्या सरकार जून, सन १९५२ में दी गयी भूमि की तारीखवार व नामवार तालिका मेज़ पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—सूचना संग्रह की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सूचना कब से संग्रह की जा रही है और यह कार्य कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जब से प्रश्न पूछे गये सूचना संग्रह करने की कोशिश की गई और उम्मीद है कि जल्द ही इकट्ठी हो जायगी और मैं उस समय माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी को उसके बारे में बतला दूंगा।

मड़ियाहू, जिला जौनपुर में पशु-चिकित्सालय खोलने का सुझाव

*७८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहू, जिला जौनपुर में पशु-चिकित्सालय खोलने के लिये सर्वे किया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। अप्रैल, सन् १९५२ में एक सर्वे किया गया था।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९५३ तक मड़ियाहू में पशु-चिकित्सालय खुलने वाला है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार को यह पता है कि मड़ियाहू तहसील में सवा तीन लाख के करीब आबादी होने पर भी कोई पशु-चिकित्सालय नहीं है ?

श्री चरण सिंह—यह आबादी तो संभवतः माननीय सदस्य ने आदमियों की बताई है और जानवरों की यह आबादी नहीं है।

बस्ती जिले में पशु-चिकित्सालयों की संख्या

*७९—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में पशुओं के कितने अस्पताल हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—बस्ती जिले में ६ पशु-चिकित्सालय हैं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये अस्पताल जिले के किन-किन स्थानों में हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—बस्ती जिले में बस्ती, बांसी, खलीलाबाद, हरैया, शोहरतगढ़ और डोमरियागंज में पशुओं के अस्पताल हैं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या ये ६ अस्पताल बस्ती जिले की आबादी को देखते हुए पर्याप्त हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह आबादी तो मनुष्यों की माननीय सदस्य ने बतलाई और इससे पशुओं के अस्पतालों की संख्या से क्या सम्बन्ध है, यह मैं नहीं समझ सका।

*८०-८१—श्री राजाराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

मौजा पट्टी बेजाब (नउआपुर) तथा बदला रामपुर (थाना सुरियावां), जिला बनारस के किसानों पर अत्याचार

*१३—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौजा पट्टी बेजाव (नउआपुर) तथा बदलारामपुर (थाना सुरियावां) के किसानों पर

होने वाले अत्याचार की बाबत कोई दरख्वास्त बनारस जिले के कलेक्टर और कप्तान को मिली है? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चरणसिंह---प्रश्न में दिये गये अपूर्ण ब्योरे के आधार पर यह बतला सकना असम्भव सा है कि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश या पुलिस कप्तान को मिला है कि नहीं? यदि माननीय सदस्य कृपया उक्त प्रार्थना-पत्र का दिनांक तथा पूर्ण ब्यौरा दे दें, तो मांगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी जायगी।

* * * *

रामपुर जिले में खाम इलाके के प्रबन्ध के निमित्त एक पूर्णकालीन अधिकारी की नियुक्ति

*३६---श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर जिले के खाम इलाके के प्रबन्ध के निमित्त एक पूर्णकालीन (Whole time) अधिकारी की नियुक्ति सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

रामपुर जिले में जमींदारी समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकारी नियम

*३७---श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में जमींदारी, जागीरदारी आदि समाप्त करने सम्बन्ध में सरकार अब तक क्या क्या नियम बना चुकी है तथा कब तक इन प्रथाओं की समाप्ति हो सकेगी?

श्री चरणसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

गांव मंझरिया (गोरखपुर) के परिवारों को राप्ती नदी की बाढ़ से बांध बनवा कर मुक्त करने की योजना

*३८---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर शहर के निकटवर्ती गांव मंझरिया के आसपास के प्रायः ५०० घर इस साल की राप्ती की बाढ़ के कारण खतरे में आ गये थे और उनमें से कुछ गिर भी गये थे और प्रायः २,००० बीघे की खेती पूरी चौपट हो गयी थी?

*३९---क्या सरकार पुराने बांध के तोड़ दिये गये हिस्से की मरम्मत कराके इस पूरे ५०० परिवारों की रक्षा और २,००० बीघा जमीन को बाढ़ से मुक्त करने की किसी योजना पर विचार कर रही है? अगर हां, तो क्या और कब तक?

श्री चरणसिंह---उत्तर के लिये सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है सूचना एकत्रित की जा रही है। दो सप्ताह बाद उत्तर दिया जा सकेगा।

* * * *

प्रदेश के गौशालाओं तथा डेरी फार्मों को सरकारी सहायता

*५३---श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह प्रदेश में किन किन गौशालाओं और डेरी फार्मों को क्या क्या सहायता देती है?

श्री जगन प्रसाद रावत---सरकार गौशालाओं तथा डेरी फार्मों को जो सहायता देती है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८७ पर)

नोट---तारांकित प्रश्न ५३ व ५४ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछे।

प्रदेश में गोसेवा सदन स्थापित करने का विचार

*५४—श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)—प्रदेश में गोसेवा सदन (Cattle Concentration Camps) कहां कहां हैं? क्या प्रदेश के और बनक्षेत्रों में उन्हें स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रदेश में गोसेवा सदन मलगवां (इटावा), व गरजिया सोत (नैनीताल) में खोले जा रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव इस समय सरकार के बिचाराधीन नहीं हैं।

स्थायी समितियों के उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना मालूम करनी है।

श्री अध्यक्ष—मैं अभी सूचनायें दे रहा हूं। श्रम समिति के लिये तीन सदस्य चुने जाने वाले थे।

श्रम समिति

श्री लुत्फ अली खां, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना और श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, यह तीन नाम आये और सही पाये गये। अतः ये चुने जाते हैं।

उद्योग समिति

इसके लिये एक स्थान रिक्त था और उसके लिये श्री जवाहरलाल रोहतगी का नाम आया है और उनकी नामजदगी सही करार दी गयी। इसलिये वह चुने गये।

पुलिस समिति

इसके लिये एक स्थान रिक्त था और उसके लिये दो नाम आये हैं श्री नारायण दास पासी और श्री शिवराम पांडे के नाम आये हैं। आज अगर ३ बजे तक इनमें से किसी एक सदस्य ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो फिर चुनाव होगा।

उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २७ फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५०-५१ का प्रतिवेदन

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड २ के अनुसार वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के लिये उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग (U. P. Public Service Commission) के वार्षिक प्रतिवेदन को तत्सम्बन्धी ज्ञापन (Memorandum) सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नरायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह कमीशन की रिपोर्ट और सरकार का जो उस पर मेमोरेंडम है उस पर विचार करने के लिये एक दिन का समय नियत कर दें ताकि माननीय सदस्य अपना विचार उसके बारे में यहां पर रख सकें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जब यह प्रस्ताव यहां पर आयेगा तो विचार किया जायगा। अब तो मैं समझता हूं कि यह सदन भी ज्यादा दिन तक नहीं बैठेगा। इसमें हर सदस्य को अधिकार है कि वह इसके बारे में प्रस्ताव भेजे और फिर उसके बारे में अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श करके उस पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष---चौथे आइटम पर माननीय राजस्व मंत्री को प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। चूंकि उसकी कापी अभी नहीं आयी है, इस कारण मैं समझता हूं कि अभी उचित नहीं होगा। जब उसकी हिन्दी कापी यहां पर आ जाय और वितरित हो जाय तो वह उसको पेश कर दें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---कापीज तो यहां पर रखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष---उसकी ५० ही कापीज आयी हैं और माननीय सदस्यों की संख्या अधिक है। जब भी कापीज आ जायं तभी वह वितरित हो सकती हैं।

सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)---पूर्व इसके कि मैं अपना प्रस्ताव इस सदन के समक्ष पेश करूं मैं चाहता हूं कि इस विशेष प्रस्ताव के लिये २ नियमों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। उसमें १७ पेज पर पहला नियम ६० यह है कि---

"The Member complained against shall withdraw from the House after he is heard in explanation or exculpation and shall not enter the House as long as the matter complained against him is under consideration. The House, however, will have the power to let him remain in the House or recall him for the purpose of giving him an opportunity of fully understanding the alegations against him or to offer any further explanation or apology."

[स्पष्टीकरण अथवा निर्दोष सिद्धि के रूप में सुने जाने के पश्चात् सदस्य, जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, सदन से बाहर चला जायगा और वह तब तक सदन में प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसके विरुद्ध की गयी शिकायत का विषय विचाराधीन हो। तथापि सदन को यह शक्ति होगी कि वह उसे सदन में रहने दे अथवा उसको ऐसा अवसर देने के प्रयोजन से पुनः बुलाले जिससे कि वह अपने विरुद्ध अभिकथनों को पूर्णतया समझ सके अथवा और अधिक स्पष्टीकरण अथवा क्षमा-याचना कर सके।] लेकिन इसके बाद जो नियम ६१ है उसको भी पढ़ना चाहता हूं---

"Except where the breach of privilege is committed in the actual view of the House or of a Committee, the House shall, at some proper stage of the proceedings before the sentence is passed give an opportunity to the persons charged to be heard in explanation or exculpation of the offence complained against him :

Provided that if the matter has been referred to the Privileges Committee and the person charged has been heard before the Committee, it will not be necessary for the House to give him that opportunity unless the House directs otherwise."

[उस दशा को छोड़ कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना सदन अथवा किसी समिति की वास्तविक दृष्टि में की गयी हो, सदन, दण्ड आदेश देने के पूर्व, कार्यवाही के किसी उपयुक्त प्रक्रम पर दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोष सिद्धि के लिये बोलने का अवसर देगा।

परन्तु यदि यह विषय विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है और दोषारोपित व्यक्ति समिति के समक्ष अपना वक्तव्य दे चुका है तो, जब तक सदन अन्यथा निदेश न दे, उसको ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक न होगा।]

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस नियम के अनुसार जिन सदस्यों के विरुद्ध आज कार्यवाही की जा रही है वह यहां स्थान लें या न लें इस बात को जानने के लिये मैंने आपका ध्यान इन नियमों की ओर आकर्षित कराया है। इसके बाद आप नियम २२२ भी देखें तो उसमें यह है कि–

"If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

[यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निवचन के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपकी व्यवस्था पूर्व ही हो जाय कि आने वाले प्रस्ताव के समय में किस प्रकार कार्यवाही चलेगी तो अति उत्तम होगा। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव के रखने के सम्बन्ध में या उन तीन माननीय सदस्यों के यहां रहने न रहने के सम्बन्ध में जो बहस होगी उसके सम्बन्ध में व्यवस्था देने की कृपा करें। आगे एक नियम ६६ और है उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं:–

"The debate at all stages on questions involving breach of privilege shall be brief."

[विशेषाधिकार की अवहेलना विषयक प्रश्नों पर सभी प्रक्रमों में वादविवाद संक्षिप्त होगा।]

इसकी ओर इसलिये ध्यान आकर्षित करता हूं .....

श्री अध्यक्ष––यह तो स्पष्ट है, इसमें भी कोई शंका है?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––अध्यक्ष महोदय, श्री राधामोहन सिंह जी ने हमारा ध्यान नियम ६०,६१ की ओर आकर्षित किया है। इसके पहले कि आप अपनी व्यवस्था करें मैं आपका ध्यान नियम ६० की दूसरी पंक्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं:–

"The House, however, will have the power to let him remain in the House or recall him for the purpose of giving him an opportunity of fully understanding the allegations against him or to offer any further explanation or apology.

[तथापि सदन को यह शक्ति होगी कि वह उसे सदन में रहने दे अथवा उसको ऐसा अवसर देने के प्रयोजन से पुनः बुला ले जिससे कि वह अपने विरुद्ध अभिकथनों को पूर्णतया समझ सके अथवा और अधिक स्पष्टीकरण अथवा क्षमायाचना कर सके।]

फिर मैं आपका ध्यान नियम ६१ के प्राविधों की ओर दिलाना चाहता हूं कि –

"..unless the House directs otherwise."

[.....जब तक सदन अन्यथा निदेश न दे]

इसके बाद नियम ६२ में है कि––

"The Speaker may summon the party charged by notice or warrant to appear before the House at any stage of the proceedings,"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[अध्यक्ष दोषारोपित पक्ष को कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सदन में उपस्थित होने के लिये सूचना अथवा अधिपत्र द्वारा आहूत कर सकेगा।]

इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जैसा कि रिपोर्ट से मालूम होता है कि ....

श्री अध्यक्ष---आप रिपोर्ट पर अभी न जायं, रूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं यह चाहता हूं कि सदन इन तीनों माननीय सदस्यों को यहां रहने का मौक़ा दे...

श्री अध्यक्ष---पहले इस समय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको रूल के विषय में कुछ कहना है। यह तो मुझसे पूछा गया है आप से नहीं। आप कृपया बैठ जायं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी ने हमारे सामने ३ नियम पेश किये और उन्होंने इस बारे में व्यवस्था चाही कि इस वक्त क्या तरीक़ा रहेगा क्योंकि उन्हें शंका है। नियम ६०---६१ में स्पष्ट ही है कि सदन को यह अधिकार है कि माननीय सदस्य जिनके विरुद्ध आरोप है वह यहां बैठ सकें या न बैठ सकें। साधारणतया वह विदड्रा होंगे। यह नियम इस में दिया है लेकिन सदन को अधिकार है कि वह चाहे तो उनको सदन में रहने दें और प्राविजो में भी इसी प्रकार का सदन को ही अधिकार है, किसी दूसरे को नहीं है। तो सदन के ऊपर ही यह बात निर्भर रहेगी, यही मेरा स्पष्टीकरण है। नारायण दत्त जी ने जैसा कि नियम ६२ में बताया, उसके अनुसार स्पीकर को अधिकार है कि वह समन करे :

"May summon the party charged by notice or warrant to appear before the House at any stage of the proceedings."

[दोषारोपित पक्ष को कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सदन में उपस्थित होने के लिए सूचना अथवा अधिपत्र द्वारा आहूत कर सकेगा।]

इसके अनुसार मैं भी बुला सकता हूं।

तो यह उस नियम का स्पष्टीकरण है। जैसी परिस्थिति होगी, सदन निर्णय करेगा या मैं निर्णय करूंगा।

दूसरी बात 'ब्रेविटी' के बारे में पूछी कि 'ब्रेविटी' का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर बहुत स्वल्प विचार विनिमय होना चाहिए। इसके लिए कोई मापदण्ड इसमें नहीं दिया है। लेकिन जो कोई भी दूसरा मोशन या संकल्प या प्रस्ताव इस सदन में आता है उस पर जितना विचार होता है उससे कम होना चाहिए, यह बात स्पष्ट है। और उसके साथ में यह भी समझता हूं कि माननीय सदस्य, इस संकल्प के ऊपर बोलते हुए समय भी कम लें। तो इस तरह से दो प्रकार से विवाद कम किया जा सकता है। उस पर समय-समय पर निर्णय करूंगा। यह मेरे हाथ में रहेगा क्योंकि मुझे उसका नियंत्रण करना होगा। मैं अभी से नहीं कह सकता कि किस तरह से डिबेट के लिए कितना समय आवश्यक होगा।

अब माननीय सदस्य अपने संकल्प को पेश करेंगे और तब तक के लिए, तो मैं कम से कम अपना निर्णय देता हूं कि आरोपित माननीय सदस्य यहां बैठे रहें। अभी एकदम से विदड्रा न हो जायं। क्योंकि प्रस्तावक को सुनने के बाद अगर सदन ने यह उचित समझा कि उन्हें

रहने देना चाहिए और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो वह एक्सप्लेनेशन उस वक्त दे सकते हैं। अगर माननीय सदन ने अनुमति न दी तो उन को तुरन्त सदन से विदड्रा होना चाहिए ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रस्ताव आपकी सेवा में है। उस पर भी आप उसी समय विचार कर लेंगे यानी उन माननीय सदस्यों के सदन में रहने और उनसे सुनने के सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—वह तो उस वक्त आयेगा। अभी यह प्रस्ताव कन्सीडरेशन में आया ही नहीं है सदन के सामने। उस वक्त बाद में वह आयेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है इसके लिए, क्योंकि मामला इस स्टेज पर है कि माननीय राधामोहन सिंह उस प्रस्ताव को रखें, और उसमें हमें सदन में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, सम्भवतः सदन यह पास कर दे कि हमें नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप बैठ जाइए। मैं आप को बता देता हूं।

यह प्रश्न जो है आप ही तीन सदस्यों के सम्बन्ध में है, तो जो लोग आपके हित में बोलना चाहें वह ऐसा प्रस्ताव रख सकते हैं। एटिकेट यही है कि आप कोई प्रस्ताव स्वयं न रखें। कोई दूसरा रख दे। तो यह उचित होगा। क्योंकि यहां की प्रथा ऐसी नहीं पड़नी चाहिए कि जिस माननीय सदस्य के विदड्रा होने का प्रश्न हो वही अपने लिए प्रस्ताव रखे यह अच्छा नहीं मालूम होता है। मैं एटिकेट के खिलाफ़ समझता हूं।

श्री राधामोहन सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं—

"सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर। श्रीमन्, मुझे तीन प्रकार की वैधानिक आपत्ति इस प्रस्ताव के पेश करने में है।

पहली आपत्ति तो यह है कि उस दिन हम को आश्वासन दिया गया था कि उस रिपोर्ट के सभी अंश, मिनिट्स आफ़ एविडेंस इस हाउस में टेबिल की जायंगी। इस हाउस में अभी तक वह टेबिल नहीं हुई हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १३६ की ओर दिलाता हूं। इसमें स्पष्टतया लिखा है :

"A member will not be held to have delayed unduly if he waits until the report of and the minutes of the evidence taken before the committee have been printed and circulated."

श्री अध्यक्ष—इससे कोई सम्बन्ध इसका तो मुझे दिखाई नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि नियम ५६ के अनुसार—

"Complaint by a Committee—After the presentation of the report of a Committee of the House containing a complaint of a breach of privilege, the Chairman or, in his absence, any other member of the Committee may move that the question of the breach of privilege be taken into consideration forthwith or at some future time."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

[समिति द्वारा शिकायत——सदन की समिति का प्रतिवेदन जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी शिकायत हो, प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सभापति या उसकी अनुपस्थिति में समिति का कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में विचार किया जाय।]

तो यहां पर चेयरमैन जो उसके थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मौजूद हैं, ऐबसेंट नहीं हैं। इसलिए माननीय श्री राधामोहन सिंह जी को अधिकार नहीं है कि वह प्रस्ताव को ला सकें जब कि यहां पर चेयरमैन आफ़ दि कमेटी मौजूद हैं। तीसरी आपत्ति मेरी यह है कि इस ४ मार्च के इंसिडेंट के सम्बन्ध में यह मेरे प्रस्ताव को लेकर उठा था लेकिन कहीं पर भी रिपोर्ट में न तो मेरे प्रस्ताव की कोई नत्थी है और न कहीं कोई जिक्र उसकी नत्थी का है। तो उसकी नत्थी न होने की वजह से यह रिपोर्ट अधूरी है। ये तीन वैधानिक आपत्तियां हैं जिनके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राधामोहन सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वैधानिक आपत्ति माननीय मित्र नारायणदत्त जी ने उठायी है वह बिल्कुल ही इस पर लागू नहीं होती है। यह जो रिपोर्ट आज सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत है वह रिपोर्ट कम्प्लेंट पर नहीं आयी है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम ४४ की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं। नियम ४४ में दिया हुआ है कि चार प्रकार से सदन में ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का सवाल आ सकता है:

"(i) by a complaint from a member;
(ii) by a report from the Secretary;
(iii) by a petition; or
(iv) by a report from a Committee."

[(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,
(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,
(३) याचिका द्वारा; अथवा
(४) समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा।]

यह चार प्रकार से जब आता है तब उस सम्बन्ध में यह दफ़ा ५६जो है वह लागू होती है। मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय ने ४ तारीख को जो कुछ घटना यहां हुई, उसको विचार के लिए, फ़ार एग्ज़ामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऐन्ड रिपोर्ट, विशेषाधिकार कमेटी के सुपुर्द कर दिया था और उस कमेटी ने कोई कम्प्लेंट दाखिल नहीं की है। उस कमेटी ने केवल उस मामले पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार। तो मेरा निवेदन यह है कि दफ़ा ५६ बिलकुल ही इस पर लागू नहीं होती है। यह तो एक विशेष अवस्था में और नियम ६७ के अनुसार, ६७ यह है:

"Power of Speaker to refer question of privilege to Committee Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report."

विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को निर्दिष्ट करने की अध्यक्ष की शक्ति—इन नियमों में किसी बात के रहते हुए भी अध्यक्ष विशेषाधिकार का कोई प्रश्न, परीक्षा, जांच या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकता है।]

मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ नियम ४४ में या और कहीं दिया हुआ है उसके अलावा एक ऐसा नियम ६७ है जो कि स्पीकर को एक राइट दिया गया है कि किसी भी मामले में जहां भी जरूरत पड़े वह प्रिविलेज कमेटी से रिपोर्ट मांग सकता है। तो मेरा निवेदन यह है कि

यह जो व्यवस्था हमने प्रस्तुत की है वह अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार है जो नियम ६७ के अन्दर दिया गया है और इसका कोई कम्प्लेंट से ताल्लुक नहीं है, इस लिए हाउस इस पर विचार कर सकता है ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे उसकी आज्ञा देंगे ।

श्री अध्यक्ष---यह जो सामने प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में या दूसरा कोई ?

श्री शिवनाथ काटजू---दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर आप बैठ जाइए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी ने जो दो तीन आक्षेप इसमें रखे हैं उसमें पहला है मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (पृष्ठ १३६) के उद्धरण, अर्थात्---

"A member will not be held to have delayed unduly if he waits until the report and the minutes of the evidence taken before the Committee have been printed and circulated."

से सम्बन्धित है । इसका मतलब यह है कि यदि कोई मेम्बर मोशन लाये और वह मोशन देर से क्यों लाया गया ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो और उस कारण आपत्ति उठायी जाय कि वह उसे नहीं ला सकता, चूंकि वह मोशन देर से लाया गया है, तो ऐसी अवस्था में उक्त उद्धरण उसका जवाब है कि अगर वह मेम्बर रिपोर्ट प्राप्ति के लिए देर लगाता है, और इस कारण संकल्प लाने में देरी हो तो वह देरी क्षम्य है । उक्त उद्धरण में इस बात का सवाल नहीं है कि जो मेम्बर प्रस्ताव समय पर ला रहा हो उसको भी रोका जाय ।

दूसरे नियम ५६ में बतलाया गया "कम्प्लेंट बाई ए कमेटी", यह बिलकुल सही और साफ़ है और यह प्राइमरी स्टेजेज के बारे में है कि अगर किसी कमेटी में ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हो जाय तो उस कमेटी को अधिकार है कि वह कम्प्लेंट करे, तो उसके लिए यह प्रोसीजर है । प्रस्तुत विषय से संबंधित उसका प्रोसीजर नहीं है ।

जैसा राधामोहन सिंह जी ने कहा कि नियम ६७ के अनुसार यह प्रश्न विशेषाधिकार कमेटी को जांचने के लिए अध्यक्ष की आज्ञा से दिया गया था । उस रोज की कार्यवाही कमेटी के पास भेजी गयी, इसलिए कि कमेटी उसे देख कर ब्रीच आफ़ प्रिविलेज के बारे में जांच करे और जो रिपोर्ट वह उचित समझें, वह दे । पूरी रिपोर्ट इन सदस्यों के सम्बन्ध में उनके सामने दी थी । उसके अनुसार रिपोर्ट यहां टेबिल पर रख दी गयी है और उसके बाद जो नियम ५७ है उसके अनुसार और ५३ के अनुसार इस वक्त कार्यवाही होगी क्योंकि ५३ में यह दिया हुआ है :---

"The Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which the report may be printed and copies supplied to members."

[समिति का सभापति अथवा समिति का कोई सदस्य अथवा सदन का कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि समिति के प्रतिवेदन पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में जिसके भीतर प्रतिवेदन मुद्रित किया जा सके और उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को दी जा सकें, विचार किया जाय ।]

[श्री अध्यक्ष]

जहां तक कार्यवाही की कापीज के सप्लाई करने का सवाल था, चूंकि जिस रोज यह रिपोर्ट सदन की टेबिल पर रखी गयी, उस रोज वह छपी नहीं थी, इसलिए उस रोज रिपोर्ट पर विचार नहीं हुआ। इस बीच में उपाध्यक्ष, जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि वे प्रोसीडिंग्स छपवाकर सदस्यों को दे देंगे, वह आज सदन के सदस्यों को दे दी गयी, कुछ लोगों को शायद कल कापीज दी गयीं। इसलिए प्रस्तुत प्रस्ताव महज ५३ नियम के अन्तर्गत आता है, जो कि माननीय राधामोहन सिंह पेश कर रहे हैं। इसके बाद फिर ५७ नियम का प्रोसीजर शुरू होगा। यदि सदन विचार करने के लिए मंजूरी दे देता है, यह नियम ५७(२) में दिया हुआ है कि जब

"Motion under rule 53 that the report of the Privileges Committee be taken into consideration."

[नियम ५३ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।]

यानी उक्त प्रस्ताव विचार करने का मंजूर हो जायगा, तब वह मुख्य रिजोल्यूशन नियम ५७ वाला आ सकता है, यह प्रोसीजर इसमें स्पष्ट है।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान माननीय गेंदा सिंह जी के डिसेंटिंग नोट की तरफ़ लाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि माननीय गेंदा सिंह जी की रिपोर्ट में अनुचित बातें कही गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि रिपोर्ट जो है उसके कांसिडेरेशन की इजाजत मैंने इस वक्त दी है। राधामोहन सिंह जी जब अपना प्रस्ताव मूव कर दें, उसके पश्चात् आप इस तरह की कोई आपत्ति रिपोर्ट की किसी हिस्से पर उठाना चाहें, तो वह ठीक स्थान उसके लिए होगा, इस वक्त आप नहीं उठा सकते हैं।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि मुझे ऐसा प्रस्ताव सदन में लाना पड़ा। साथ ही इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है कि जहां सदन के मान का प्रश्न है वहां कठोर से कठोर कर्त्तव्य भी हमें पूरा करना है। उस दिन जो कुछ घटना हुई, मेरा अनुमान है कि सदन के अन्दर कोई भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जो उसके लिए दुखी न हो। फिर भी घटना हुई और मैं थोड़े से शब्दों में कुछ उसका विवरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने, जो कुछ भी समिति का प्रतिवेदन है, उसको देखा होगा। इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान है कि जो कुछ भी घटना का क़ानूनी प्रश्न है वह सब तरह से उसमें आ गया है, उसको हमें दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ने पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस रोज अध्यक्ष महोदय के बराबर आज्ञा देने पर भी उनकी आज्ञा नहीं मानी गयी और आखिर में लाचार होकर के अध्यक्ष महोदय को इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना पड़ा। प्रश्न यह उठता है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति में जाना चाहिए था अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में उस दिन जो कार्यवाही अध्यक्ष महोदय ने की वह नियम १८९ के अन्दर की गयी। इसके पहले कि मैं और बातों का जिक्र करूं, मैं आपकी आज्ञा से नियम १८९ पढ़ना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अध्यक्ष की आज्ञा ६७ के अनुसार हुई तो उसके औचित्य या अनौचित्य के ऊपर सदन में कोई बहस नहीं हुआ करती है। यह मैं समझता हूं कि यह प्रथा सर्वमान्य है कि अध्यक्ष जो निर्णय दें उसके औचित्य या अनौचित्य, कि एक कहे कि यह ठीक किया और दूसरे ने कहा कि यह ठीक नहीं किया, ऐसी कोई चीज आपके भाषण में न आये। मुझे आपके भाषण में इशारा मिला, इसलिए मैंने आपको टोक दिया। इसलिए आप कृपा करके इस सम्बन्ध में ख़याल रखें।

श्री राधा मोहन सिंह—प्रतिवेदन के अन्दर तीन सदस्यों के विरुद्ध जांच करने की बात इसमें है। एक तो माननीय राजनारायण जी की, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी की और तीसरे श्री जगन्नाथ मल्ल जी की। दो सदस्यों का मामला तो क़रीब एकसां है। माननीय अध्यक्ष जी ने जो उस दिन सदन में हुक्म दिया उसके अनुसार ही मामला प्रिविलेज कमेटी में गया लेकिन श्री जगन्नाथ मल्ल जी का मामला बाद को, वह भी दफ़ा ६७ के अनुसार ही प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया। कमेटी के अन्दर तीन रोज़ तक जो कार्यवाही हुई वह इस प्रतिवेदन के अन्दर दी हुई है। साथ ही माननीय सदस्यों को भी यह अवसर दिया गया कि वह इस सम्बन्ध में जो कहना चाहें वह कहें और उनकी भी बात सुन ली गयी और अन्त में एक लिखित रिपोर्ट भी माननीय सदस्यों ने दी जो इस रिपोर्ट का एक अंग है। उस रोज़ नियम १८९ के अन्दर जो अध्यक्ष महोदय को अधिकार था उसका प्रयोग उन्होंने किया। नियम १८९ के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जो पहला खंड है, पहले खंड में अध्यक्ष महोदय को यह आदेश दिया गया है कि—

"The Speaker shall preserve order; and may direct any member, whose conduct, in his opinion, is disorderly, to withdraw immediately from the House and the member soordered to withdraw shall do so fortwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting."

[अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेगा और किसी सदस्य को, जिसका व्यवहार उसकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, सभा से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकता है और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाय वह तत्काल बाहर चला जायगा और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेगा।]

आपकी आज्ञा पर अगर अव्यवस्था उपस्थित हो तो माननीय सदस्य को सदन छोड़ना पड़ेगा। अगर वह छोड़ देते हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद खंड २ आता है जिसमें यह है कि यदि सदन न छोड़ें तो क्या होना चाहिए—

"If any member is ordered to withdraw a second time in the same session, the Speaker, may direct him to withdraw from the meeting of the House and may name him. Similarly, if a member when ordered by the Speaker to withdraw, does not obey the order, the Speaker may name him. As soon as a member is named, the Leader of the House shall forthwith make a motion to the effect that the member so named be suspended for the period to be mentioned in the motion—"

[यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरी बार बाहर चले जाने का निदेश दिया गया हो, तो अध्यक्ष उस सदस्य को सदन के उपवेशन से बाहर जाने का निदेश दे सकता है और उसे इंगित कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य बाहर जाने के लिए अध्यक्ष की आज्ञा होने पर उसका पालन न करे तो अध्यक्ष उसे इंगित कर सकता है। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय सदन का नेता तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेगा कि उस सदस्य को ऐसे काल के लिए जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, निलम्बित किया जाय।]

खंड २ उस अवस्था के लिए है जहां आज्ञा का बार-बार उल्लंघन हो। लेकिन मौजूदा मामले में खंड २ का बिलकुल उपयोग नहीं किया गया। इसके बाद खंड ३ आता है:—

"The Speaker shall have full authority to carry out his order or the decisions of the House and may employ, or authorise the employment of, necessary force, at any stage of the proceedings."

[अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूर्ण शक्ति होगी और वह कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकता है या करने का प्राधिकार दे सकता है।]

[श्री राधामोहन सिंह]

इसके अन्दर 'ऐट एनी स्टेज आफ़ दी प्रोसीडिंग्स' की तरफ़ में सदन का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खंड ३ में अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि जहां वह यह देखें कि अव्यवस्था बढ़ रही है, वे ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस अधिकार का प्रयोग किया गया। इसके बाद खंड ४ में यह है कि अगर अव्यवस्था बहुत बढ़ जाय तो अध्यक्ष महोदय सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं।

अब मैं खंड २ की तरफ़ आता हूं। इसमें नेम करने का प्रश्न है। नेमिंग की तारीफ़ हमारे नियमों में यह है--

"Naming a member means drawing by the Speaker the attention of the House to the conduct of a member with a view to action being taken against him."

[सदस्य को इंगित करने का तात्पर्य किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के विचार से उसके आचरण की ओर अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किये जाने से है।]

अध्यक्ष महोदय को अधिकार था कि जब आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो या तो वह अव्यवस्था को खत्म करने का काम करते या नेम करते। लेकिन इस मामले में नेम नहीं किया गया लेकिन खंड २ की ओर मैं इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके अन्दर एक बहुत सुन्दर बात निहित है। कहा यह जाता है कि जब एक बार १८९ के अन्दर दण्ड दे दिया गया तो फिर दो बार दण्ड नहीं दिया जा सकता है। यही प्रश्न प्रतिवेदन में दिखाया गया है। खंड २ में यह है कि 'स्पीकर शैल आस्क हिम टु विथड्रा फ्रान दी मीटिंग आफ़ दी हाउस ऐन्ड मे नेम हिम'। नेम करने के बाद आगे सजा दिला सकता है। जहां अव्यवस्था का सवाल हो या व्यवस्था का नियम है, वहां कम से कम इस नियम २ के अन्दर यह निहित है कि दो अधिकार अध्यक्ष महोदय को हैं। एक तो यह कि वह फ़ौरन माननीय सदस्य को यह आज्ञा दें कि वह भवन छोड़ दे, लेकिन वहीं मामला खत्म नहीं होता। जो कुछ अधिकार अध्यक्ष महोदय को १८९ में हैं, वे छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं होते। अगर वह उचित समझते हैं और अव्यवस्था हो तो फिर वह नेम कर सकते हैं और उसके बाद माननीय नेता सदन का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बात का प्रस्ताव लावें कि उस माननीय सदस्य को कोई सजा भी दी जाय।

तो यह जो बात कही जाती है कि नियम १८९ के अन्दर कार्यवाही करने के बाद दूसरी कार्यवाही बाकी नहीं रहती है, मेरा नम्र निवेदन है कि सही नहीं है और नियम के विरुद्ध है।

इसके अलावा मैं माननीय सदन का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो रिपोर्ट सदन के सामने है उसमें सफा ९३ पर आप देखेंगे कि माननीय श्री चरण सिंह ने कोट की थी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का सफा ४५२। मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं।

"On 2 July, 1951, a Member persisted in disregarding the authority of the Chair, whereupon the Speaker named him and he was suspended on the motion of the Prime Minister. The Speaker then directed the Member to withdraw, but he refused to comply. Accordingly the Speaker directed the Sergeant-at-Arms to remove him. The Sergeant-at-Arms, finding that force was necessary, brought in his officers, who in their attempts to remove the Member were resised not only by that Member but by certain other Members. The Member who had been suspended was eventually removed. While this was taking place, the Speaker announced that grave dis order has arisen and suspended the sitting. After an interval of a quarter of an hour the Speaker resumed the chair, and informed the House that resort to force having been necessary to remove the Member, he was therefore suspended from the service of the House for the remainder of the session."

यहां आप देखेंगे कि बल प्रयोग द्वारा माननीय मेम्बर को सदन से हटाया गया। लेकिन जब सदन १५ मिनट बाद फिर बैठा तो माननीय अध्यक्ष ने समझा कि यह काफी नहीं था कि मजबूरन लाचारी के समय में बल का प्रयोग करना पड़ा और सदन की मानहानि हुई तो दुबारा यह आज्ञा हुई और वह बाकी सत्र के लिये निलम्बित कर दिया गया। इससे मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो आज्ञा १८९ के अन्दर है वह केवल व्यवस्था के लिये है, अव्यवस्था के संबंध में और इस घटना के संबंध में अगर कोई आवश्यकता समझी जाय तो उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रूल के अन्दर इस बात की व्यवस्था नहीं है कि अगर नेम करने के बाद अथवा माननीय नेता सदन के प्रस्ताव लाने के बाद अगर माननीय सदस्य हाउस को न छोड़ें तो उसके लिये कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये कहना पड़ता है कि यह नियम एक्जास्टिव नहीं है। हमें लाचार हो कर अध्यक्ष महोदय की जो जूरिसप्रुडेंस पावर्स हैं, उन्हीं पर निर्भर करना पड़ता है, जो नियम २२२, २२३ में हैं। अतएव अध्यक्ष महोदय ने उस दिन की व्यवस्था में बहुत ही सुन्दर कार्य किया।

श्री अध्यक्ष--फिर मैं आप से कहना चाहता हूं कि मैं तारीफ भी नहीं चाहता हूं।

श्री राधा मोहन सिंह--जो व्यवस्था हुई उसके संबंध में मेरा कहना है कि बहुत ही ऊंचा प्रिसिडेंस कायम किया गया है क्योंकि ऐसे अवसर के समय जब कि दिमाग ठीक नहीं रह सकते हैं, कोई चीज सदन के सामने उस पर विचार करने या दंड देने की नहीं आई और यह तमाम सवाल प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया गया, जहां पर विचार हो और हर एक प्रैक्टिस और नियम को देखा जाय और माननीय सदस्यों को भी समय दिया जाय। यह सब बातें हुईं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा प्रिसिडेंस कायम हुआ और हमें इस पर गर्व करना है।

अब मैं दो तीन बातें जगन्नाथ मल्ल जी के संबंध में कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि जगन्नाथ मल्ल जी का जो प्रश्न है वह हाउस के सामने नहीं आया। इसमें नियम ५४ का हवाला दिया जाता है। नियम ५४ वह नियम है जहां पर कि सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल देखा जाता है जो मैंने आरम्भ में कहा था वह भी यहां पर लागू होता है कि जो चार प्रकार का ब्रीच आफ प्रिविलेज का तरीका है उसमें से एक तरीका सेक्रेटरी की रिपोर्ट का भी है कि अगर सेक्रेटरी कोई रिपोर्ट सदन के सम्मुख करे कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तब तो ५४ लागू होता है। लेकिन यहां पर सचिव ने कोई रिपोर्ट सदन के सम्मुख नहीं की बल्कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया और उस पर अध्यक्ष महोदय ने अपने विशेषाधिकार से वह मामला प्रिविलेज कमेटी में दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मामला भी ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से श्री राजनारायण और रामनारायण त्रिपाठी जी का मामला है।

अब मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आखिर प्रिविलेज क्या चीज है, इन घटनाओं को देखते हुये प्रिविलेज का प्रश्न उठता है या नहीं। प्रिविलेज का प्रश्न तीन बातों पर उठता है, अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करना, नियमों की अवहेलना और सदन की कार्यवाही में बाधा डालना। इस संबंध में हमारे जो नियम बने हुये हैं उनमें ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न कहीं भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि संविधान के अनुसार हमारे सदन या भारत में किसी भी स्टेट असेम्बली या पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है वह वही है जो हाउस आफ कामन्स का है। इसलिये हमारे यहां नियमों में इस पर कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस की ओर ध्यान देते हैं तो यह देखने में आता है कि करीब करीब सभी जगह यह बात है कि हाउस का

[श्री राधा मोहन सिंह]

विशेषाधिकार यह है कि उसकी जो कार्यवाही हो वह अबाधित चले, कोई उसमें रुकावट न हो और जिस भी तरीके से हाउस के कार्य में बाधा पड़ती हो तो वह कन्टेम्ट आफ दि हाउस होता है और प्रिविलेज का क्वेश्चन वहां पर उठता है। मैं इस संबंध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १०९, चैप्टर ८, से आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं उसमें यह लिखा है :

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty or which has atendency, directly or indirectly to produce such results, may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

यह कहा गया कि नया ब्रीच नहीं क्रिएट हो सकता है, यह सही है लेकिन ब्रीच तो एक ही है कि सदन की जो कार्यवाही है वह अबाधित चले और उसमें भिन्न भिन्न तरीके पर बाधा पहुंचाई जा सकती है। जैसे जो विजिटर्स लोग ऊपर बैठे हुये हैं उनमें से कोई बिल्ली या कुत्ता फेंक दे या कोई माननीय सदस्य कोई और कार्यवाही कर दें स्पीकर की आज्ञा के बगैर तो इस सब से बाधा पहुंच सकती है और यह कन्टेम्ट है। अब देखना तो यह है कि माननीय सदस्यों की उस रोज की कार्यवाही से ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा ब्रीफ हो जायं तो अच्छा हो।

श्री राधा मोहन सिंह---उस दिन जो माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये वे बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के खड़े हुये। इस संबंध में हमारे नियमों में यह है कि कोई भी सदस्य बिना अध्यक्ष की आज्ञा के बोल नहीं सकता है। दूसरे जब उन्होंने आज्ञा दी तो बैठे नहीं। तीसरे जब पाइंट आफ आर्डर रेज किया गया तो भी माननीय सदस्य नहीं बैठे। ये चीजें हमारे नियमों के बिलकुल विरुद्ध है।

इसमें एक तो नियमों की अवहेलना हुई, और दूसरे माननीय अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। जहां तक वाकया का ताल्लुक है वह सब सदन के समक्ष हुआ, उस पर किसी बहस या कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त तीसरी बात यह हुई कि सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और मैं समझता हूं तथा माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि उस दिन करीब करीब आधा घंटा तक सदन अपने काम को आगे न बढ़ा सका। इसलिये मैंने निवेदन किया कि उस दिन की कार्यवाही को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस दिन ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ।

अब सवाल यह होता है कि आर्टिकिल २०(२) के अनुसार क्या दो सजायें भी दी जा सकती हैं। इसके बारे में मैंने निवेदन किया कि धारा १८९ की जो कार्यवाही है वह दंड नहीं है, उसमें दंड का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात यह है कि (२) के आखिर में यह दिया हुआ है कि एक ही कार्यवाही से दो आफेन्स तो हो सकते हैं लेकिन एक ही आफेन्स में दो सजायें नहीं दी जा सकतीं। एक ही घटना से दो आफेंस उत्पन्न हो सकते हैं और यह हम अदालतों में भी रोज ही देखते हैं कि घटना एक होती है और आफेंसेज दो, तीन लगाये जाते हैं लेकिन एक अपराध के लिये दो सजायें नहीं हो सकतीं। इसलिये एक तो माननीय अध्यक्ष को मजबूरन व्यवस्था के लिये १८९ के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ी। दूसरे सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई, यह दूसरा अपराध बना जिसके लिये दूसरी कार्यवाही करनी पड़ी।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं एक निवेदन और करूंगा और वह यह है कि एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि यह रिफरेंस गलत था या सही। अब यह रिफरेंस तो महज एक्जामिनेशन और रिपोर्ट के लिये था। समिति ने उसको जांच कर

अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब सारा मामला सदन के समक्ष है। अब सदन को पूर्ण अधिकार हैं और वह इस मामले में स्वयं जो चाहे निर्णय दे सकता है तथा अपने प्वाइन्ट आफ व्यू से ही सारे मामले को जज कर सकता है।

अन्त में मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं वह यह कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसके आखिर में माननीय गेंदा सिंह जी ने एक असहमति का लेखा दिया है, वह मालूम होता है बाद में दिया गया है क्योंकि उससे पहले उसे हमें देखने का अवसर न मिल सका। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने उसमें ऐसी बातें कही हैं जो उस कार्यवाही से संबंध रखती हैं, जो अध्यक्ष महोदय ने की तथा जो कि हमारी मर्यादा और नियमों के प्रतिकूल हैं। मैं आपका ध्यान नियम २२४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। नियम २२४ में यह लिखा हुआ है।

"224. No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution or question or in respect of any other matter shall be questioned."

[किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी।]

यह तो नियम हुआ लेकिन इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस को देखें जो यहां पर या विदेशों में रही है तो उससे भी हमें यह स्पष्ट होगा कि माननीय अध्यक्ष की किसी कार्यवाही की आलोचना न तो हाउस के अन्दर और न हाउस के बाहर ही की जा सकती है और अगर कोई माननीय सदस्य ऐसा करता है तो वह अपने अधिकारों की अवहेलना करता है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस सदन की प्रोसीडिंग्स की तरफ दिलाता हूं जो ४ फरवरी सन् १९३८ को हुई थी। उस वक्त हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय माननीय टंडन जी थे। उस वक्त भी यह प्रश्न आया था कि कोई रिफ्लेक्शन अध्यक्ष की कार्यवाही के संबंध में नहीं हो सकता जब तक कि वह कोई सब्स्टेंटिव मोशन, नो कांफिडेंस मोशन या और तरह का न आवे। इसलिये इस तरीके पर किसी जगह चाहे कोई लिखित या जबानी अगर स्पीकर पर कोई आक्षेप होता है तो यह नियम विरुद्ध है और यह बिलकुल अवांछनीय है। मैं आपका ध्यान मेंज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के वाल्यूम ११ पेज २३५ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि कोई रिफ्लेक्शन जो माननीय अध्यक्ष पर करता है वह असहनीय है और वह नहीं होना चाहिये। उसी तरह से पेज २८० पर एक केस दिया हुआ है जिसके संबंध में यह कहा गया है कि सिवा सब्स्टेंटिव मोशन के किसी तरीके से माननीय अध्यक्ष की किसी रूलिंग या कार्यवाही पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। मैं हेल्सबरी के वाल्यूम २४ पृष्ठ २३० की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें भी यह दिया हुआ है। ग्रेटब्रिटेन में यह बिलकुल निश्चित कानून है और ऐसी व्यवस्था है . . .

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय श्री राजनारायण, माननीय श्री राम नारायण त्रिपाठी और माननीय श्री जगन्नाथ मल्ल के विरुद्ध चार्ज था जिस पर बहस हो रही है और अब यहां पर माननीय राधा मोहन सिंह जी ने माननीय श्री गेंदा सिंह के खिलाफ एक नया चार्ज लगाया है और उस पर वे बहस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर वे चाहें तो उसे अलग से लावें।

श्री अध्यक्ष---यह रिपोर्ट का एक पार्ट है जो रिपोर्ट को कि हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो रिमार्क उन्होंने किया वह लीगल प्वाइंट से किया।

श्री राधा मोहन सिंह---इन बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित होना चाहिये और मैं यह चाहूंगा कि हमारे माननीय मित्र गेंदा सिंह जी इस बात पर विचार करेंगे और ऐसी अनुचित बातों से अपने को अलग रखने का प्रबंध करेंगे।

मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो प्रतिवेदन उपस्थित किया है उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है कि कोई भी ऐसी बात न आने पावे जो इस सदन के लिये अशोभनीय हो या माननीय सदस्यों के लिये अशोभनीय हो लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात हो तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य सारे भेद-भाव को छोड़ कर खुल्लमखुल्ला जो कुछ उचित समझते हों जिससे इस सदन की मान प्रतिष्ठा बढ़े, उन्हें अपना कर्तव्य करना चाहिये, चाहे वे विरोधी पक्ष के हों, चाहे इस पक्ष के हों सदन को चाहिये कि वह इस मसले पर गौर करे व बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करे और ऐसी व्यवस्था व प्रेसिडेंस कायम करे जिससे हमारे सदन की मान-मर्यादा बढ़े।

श्री शिवनाथ काटजू---माननीय अध्यक्षमहोदय, इस समय मैं एक आवश्यक व सीमित प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अभी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी ने उस संबंध में कहा कि अपने डिसेंटिंग नोट में माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, उस पर आप अपना निर्णय दे दें। डिसेंटिंग नोट में माननीय गेंदा सिंह ने यह कहा है "मेरी राय में माननीय अध्यक्ष यदि उक्त प्रश्न .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट सबके सामने मौजूद है। आप मुख्तसर में कहें कि यह आक्षेप है।

श्री शिवनाथ काटजू---मेरा मतलब यही है कि डिसेंटिंग रिपोर्ट में ऐसा आक्षेप कहां तक उचित है और उसे एक्सपंज करना आवश्यक है या नहीं। क्योंकि हेल्सबरी में....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कोट कर चुके हैं और पहले भी जब श्री राधा मोहन सिंह बोलने लगे तो मैंने टोका था कि उस बात के लिये सर्वमान्य प्रथा है। हमारा जो नियम है उसमें भी स्पष्ट दिया हुआ है क्योंकि इंग्लैन्ड वगैरह में जो प्रथा है बहुत सी चीजें उस प्रथा से चलती हैं। तो उन्हीं प्रथाओं को देख कर हमारे नियम इस सदन ने स्वयं बनाये हैं।

मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में ये शब्द हैं, मैं अंग्रेजी में उनको सुनाये देता हूं:---

"Reflections upon the character or actions of the Srieaker may be punished as breaches of privileges. His action cannot be ceticised in debate or upon any form of proceeding except substantive motion."

तो स्पष्ट है कि जब तक सब्स्टेंटिव मोशन न हो जैसा कि राधामोहन सिंह जी ने संकेत किया तब तक स्पीकर के ऊपर किसी का आक्षेप नहीं हो सकता, कोई स्पीकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल हेल्सबरी के पुस्तक की है। इसमें यह दिया हुआ है :---

"The House will allow the conduct of the Speaker to be questioned only by means of a substantive motion, and will not tolerate a reflection upon his conduct to be made in any other way by one ofits members either inside or outside the precincts of the House of Commons."

और उक्त प्रथा में यह भी है कि किसी जगह 'इंसीडेंटली कोई चीज आये तो उसमें अध्यक्ष पर आक्षेप करना उचित नहीं होगा। यह प्रथा स्पष्ट है,

सर्वमान्य है लेकिन हमारे यहां प्रजातंत्र प्रणाली और पार्लियामेंटरी सिस्टम की जितनी बारीकियां हैं उनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। बहुत से लोगों को उनको पढ़ना पड़ता है और बारीकियों की जांच करनी पड़ती है। हम लोग अभी बाल्यावस्था में हैं उस पार्लियामेंटरी सिस्टम के लिये । लिहाजा इस अवस्था की तरफ भी मुझे कई मर्तबा विचार करना पड़ता है और मैं यह नहीं कहता कि हर चीज को आखिर तक ले जाया जाय और हर एक के लिये कार्यवाही एक दम शुरू कर दी जाय बल्कि गलती को रोकने के लिये मैं प्रयत्न करता हूं। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य उस चीज को समझ जायं। मुझे भी कठिनाई पड़ती है। मैं आपसे अलग नहीं हूं। सदन के सदस्यों के साथ मैं भी एक नाव में बैठा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी शायद यह न जानते हों कि ऐसा नहीं करना चाहिये। हो सकता है उनके डिसेंटिंग नोट को एक्सपंज करने के बारे में प्रश्न उठे, इस समय तो वह उठता नहीं। जो अभी यह सदन में मैंने यह अपनी व्यवस्था दी है उसे वह भी पढ़ लें और विचार लें। एक खूबसूरती का तरीका यह हुआ करता है और सेंट्रल असेम्बली में भी हो चुका था जिसमें सब की मानमर्यादा भी बढ़ती है कि कोई चीज गलत हो जाय तो उसको गलती करने वाले को स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिये। बहुत से लोग समझते हैं कि इससे प्रेस्टिज कम हो जाती है लेकिन मैं समझता हूं कि प्रेस्टिज बढ़ती है। जो अपनी गलती समझ कर मंजूर कर लेता है वह अपनी भी प्रैस्टिज बढ़ाता है और इस सदन की भी प्रेस्टिज बढ़ाता है। सदन की प्रैस्टिज का सवाल जिस वक्त आये उस वक्त उसको यह सोचना चाहिये कि आखिर इस सदन के सदस्य की प्रेस्टिज सदन की ही प्रैस्टिज के ऊपर निर्भर है। सदन की मानमर्यादा कायम है तो उसके सदस्य की भी मानमर्यादा कायम रहती है। इस तरीके से सदन की इज्जत बढ़ती है। लिहाजा वह इस पर विचार करके स्वयं बात करें और कहें कि मैं चाहता हूं कि अपने डिसेंटिंग नोट से फलां शब्द हटा दिये जायं। माननीय सदस्यों ने ऐसा ही पेश्तर पार्लियामेंट में किया है। हमारे यहां भी पार्लियामेंट में हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ऐसा कह गया और मेरे कथन से यह काट दिया जाय। यह तरीका रहा है। मैं तो माननीय सदस्य से यह अपेक्षा करूंगा। इस वक्त वह प्रश्न तो मेरे सामने उपस्थित नहीं है, इसलिये मैं उस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता। मैंने आम तौर से व्यवस्था दे दी और उसके सही करने के लिये एक संकेत दे दिया माननीय सदस्य को। जो अन्य उचित कार्यवाही उसके बाद में हो सकती है, उसके लिये मैं बाद में व्यवस्था दे सकता हूं। आज इस वक्त मैं केवल विचार करने के लिये उसे माननीय सदस्य के सामने रख देता हूं। लेकिन मैंने एक सुझाव दे दिया कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें।

सदन में आरोपित सदस्यों की उपस्थिति के बारे में मैं समझता हूं कि कोई प्रस्ताव को रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं सदन से यों ही पूछ लेता हूं। (सदन से) क्या आप यह चाहते हैं कि जिनके ऊपर आरोप हैं वे अपने एक्सप्लेनेशन्स देने के लिए यहां रहें। नियम में ऐसा है कि :

"Or to offer an opportunity for explanation or exculpation of the offence complained."

इसके लिए हाउस चाहे तो परमिशन दे सकता है। तो क्या किसी को आपत्ति है ?

(एक क्षण के अनन्तर)

मैंने हाउस का सेंस देख लिया जहां तक मैं देख सकता हूं। मैं समझता हूं कि अब इसके बाद एक बाक़ायदा मोशन की आवश्यकता नहीं है। सदन ने इस बात को मंजूर कर लिया है कि वे सफ़ाई का वक्तव्य देने के लिए रहें। इसलिए यह प्रश्न कि वे विदड्रा हो जायं और फिर

[श्री अध्यक्ष]

सदन चाहे तो बुला सकता है यह बात अब नहीं उठती। अगर माननीय सदस्य अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, हमारे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उसके सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट देखने में आयी, उसको देखकर मैं कुछ आश्चर्यचकित भी हुआ और ऐसा कुछ समझने लगा कि सन् १९४२ के आन्दोलन में एक एक अपराध के लिए लम्बे लम्बे वर्ष की सजाएं दी गयी थीं और इन्डियन पेनल कोड की शायद ही कोई धारा बची हो जिसके आरोप न लगाये गये हों।

श्री अध्यक्ष—सदन में आप कोई भाषण इस समय नहीं दे सकते। आप अपने एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो कुछ कहना हो कहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे आपने आज्ञा दी है कि मैं इस सदन के सामने इस बात को रखूं कि हमारे क्या अपराध हैं और किस परिस्थिति में मैंने उन अपराधों को ४ तारीख को किया। हमारे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं वह अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में हमने जो कामरोको प्रस्ताव रखा था उसके लिए ३६ आदमियों के खड़े होने का कायदा था। उस क़ायदे को हटा देने का जो निवेदन किया गया था एक प्रस्ताव के ज़रिए उस पर हमने अध्यक्ष महोदय से बार बार निवेदन क्यों किया। उसके लिए, श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जब अध्यापकों की जो दुर्दशा की गयी, प्रातः उसकी खबर जब हमें लगी थी तो मैंने फ़ोन द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से क़रीब आठ साढ़े आठ बजे निवेदन किया था कि श्रीमन्, हम हाउस में इस प्रश्न पर ऐडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें यह सलाह दी थी कि सरकार से भी इस सम्बन्ध में बातचीत कर लूं।

तदनुसार मैंने माननीय मंगलाप्रसाद जी से उसी समय बात की। माननीय मंगलाप्रसाद जी ने मुझसे कहा था कि मैं इस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास जा रहा हूं और वहां से आने के बाद फिर जो कुछ होगा मैं आपसे बात करूंगा। श्रीमन्, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंगलाप्रसाद जी ने मुझसे फिर कोई बात उस सम्बन्ध में नहीं की। अध्यापकों के साथ सरकार ने जो नीति बरती उसमें हमको बहुत ठेस पहुंची थी। तो फिर हम आपके चैम्बर में माननीय नारायण दत्त जी के साथ . . . . . .

श्री अध्यक्ष—चूंकि आप उसका ज़िक्र कर रहे हैं तो मैं यह भी कह दूं कि मैंने उस समय यह कहा था कि आपको ३६ आदमियों के मिलने में कठिनता होगी लिहाज़ा अगर आप सरकार से बात कर लें तो उचित होगा, क्योंकि उसमें कभी ऐसा भी होता है कि सरकार उसका विरोध नहीं करती और सर्वसम्मति से वह आ जाता है। इस प्रकार की प्रथा यहां भी और इंग्लैन्ड में भी है कि स्पीकर अपने चैम्बर में ऐडवाइस देते रहते हैं और मैंने भी यह सलाह आप को दी। लेकिन आपने उसकी कोई इत्तिला कि गवर्नमेंट ने क्या कहा इसके बारे में मुझे नहीं दी।

श्री राजनारायण—तो जब माननीय मंगला प्रसाद जी ने मुझे कोई इत्तिला नहीं दी तो मैंने यह उचित समझा कि जो ३६ आदमियों की नियमानुकूल क़ैद लगी हुई है उस क़ैद को उठा देने की प्रार्थना आपसे करूं तो माननीय नारायणदत्त जी के नाम से एक प्रस्ताव लिखा गया और उस प्रस्ताव को लेकर माननीय नारायण दत्त जी के साथ आपकी सेवा में आपके चैम्बर में उपस्थित हुए और आपके चैम्बर में आपसे मैंने निवेदन किया कि श्रीमन्, ऐसा हो सकता है कि सरकार हमारे कामरोको प्रस्ताव को न आने दे तो यह जो क़ैद लगी हुई है उसके ऊपर आप विचार करें। अब श्रीमन्, मैं उस दिन की कार्यवाही को पढ़ना चाहता हूं कि अगर देखा जाय तो मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मेरे दिल में यह तनिक भी भावना नहीं है कि मैं आदरणीय

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का उल्लंघन करूं। उसके बाद मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि हमारे उस प्रस्ताव को ले लिया जाय जिसके मुताबिक़ ३६ आदमियों की क़ैद नहीं लगनी चाहिए। हमारी लालसा और उत्कंठा इसलिए भी ज्यादा बढ़ी कि मैं आपसे बार बार यह निवेदन करूं जब कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस दिन यह कहा था कि इस प्रस्ताव को वह ५ बजे शाम को लेंगे। इसके ऊपर श्रीमन्, माननीय नारायण दत्त जी ने दोबारा यह पूछा था कि माननीय अध्यक्ष जी से, कि क्या आप शाम को इजाजत देंगे कि इस पर विवाद हो? आपने कहा कि "इजाजत दूंगा।" तब श्रीमन्, मेरे लिए यह जरूरी हो गया कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय शाम को इजाजत देने की बात कहते हैं तो उनकी ख़िदमत में यह अर्ज़ करूं कि अगर यह शाम को लिया जाता है तो उसका महत्व नष्ट हो जायगा लिहाजा इसको अभी लिया जाना चाहिए। अगर फिर शाम को लिया जायगा तो वह ३६ आदमियों की क़ैद उठा देने की बात खत्म हो जायगी और तब यह महत्वहीन हो जायगा और श्रीमन्, आप उसी समय यह कहे होते ... ...

श्री अध्यक्ष---आप फिर उसी पर आ रहे हैं।

श्री राजनारायण---मैं आदरणीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि वह जरा सिद्धान्त के साथ एक मानवीय दृष्टि से इस पर विचार करें कि एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वतन्त्रता का पुजारी है और स्वातन्त्र्य संग्राम का सैनिक रह चुका है। अगर वह व्यक्ति यह देखता है कि अध्यापकों के साथ इस तरह का बर्बरता और दमनपूर्वक व्यवहार किया जाता है और उनको रात्रि के नीरव अन्धकार में यहां से उठाया जाता है तो क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि हम कामरोको प्रस्ताव इस सदन के सामने लायें और सरकार का ध्यान उन महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करें। इस सदन के सम्मान को बढ़ाने के लिए और यहां सभी लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए यह कामरोको प्रस्ताव लाने की बात उठायी थी। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों के साथ उस दिन जो व्यवहार हुआ था . . .

श्री अध्यक्ष---वह सवाल नहीं है, सवाल केवल यह है कि क्या आपने आर्डर को ब्रेक किया?

श्री राजनारायण---मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी होते तो हमें बहुत मदद उन से मिलती। बस इतना ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अब मैं जो उस दिन की प्रोसीडिंग है उस को पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---उस प्रोसीडिंग के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह सब के हाथ में है, आप को जो कथन देना है वह दीजिए, इस समय आप डिबेट में पार्ट नहीं ले रहे हैं।

श्री राजनारायण---यदि मैं उनको नहीं पढ़ सकता हूं तो माननीय सदस्य उन प्रोसीडिंग्ज में देखें कि हमें एक ही साथ आदेश मिलता है कि "आप नहीं बैठ रहे हैं इसलिए मुझे अब फ़ोर्स का मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कृपा कर के बैठें या सदन को छोड़ें 'विदिन ए सेकेन्ड' (सचिव विधान सभा से) आप कृपा कर के पुलिस आफ़िसर से इन को बाहर ले जाने के लिए कह दें।" अब श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह सोचें और विचार करें कि दुनिया की किसी पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में कहीं भी, यह सदन हमें बतला दे कि कहीं ऐसी ज्यादती हुई है।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको रोकता हूं, आप फिर अध्यक्ष पर हमला करने को तैयार हैं और अध्यक्ष ने जो काम किया है उस पर फिर टीका करने को आप तैयार हैं। आप अपना एक्सप्लेनेशन रिज्यूम करें, लेकिन अगर फिर ऐसी बात होगी तो मैं आपको भाषण जारी नहीं रखने दूंगा।

श्री मेघराज शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार ऐसे मौकों पर आप स्पीच को डिसकन्टिन्यू करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप मुझको न सिखाइए।

मैं माननीय राज नारायण जी को बतला देना चाहता हूं कि एक्सप्लेनेशन का मतलब यह होता है कि आप ने जो काम किया किस वजह से किया और आप की उस समय क्या भावना थी और क्या सरकमस्टांसेज थे जिन में आप ने ऐसा किया और जिस से सदन इस मामले पर जरा ढीले तरीके से विचार करे। यहां तक आप जा सकते हैं लेकिन यह नहीं कि आप फिर अध्यक्ष पर टीका शुरू कर दें। अगर ऐसा होगा तो मुझे लाचारीवश फिर आप को रोकना पड़ेगा।

श्री राजनारायण---मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, अब उस आरोप को अगर आप चाहें कि यह आरोप जो लगाया जा रहा है उसको हम कहें कि यह आरोप है ही नहीं तो उसको गलत एक्सप्लेनेशन समझा जाय, ऐसी हालत में मैं सदन से अपील करूंगा कि जब तक सदन इस प्रोसीडिंग को न पढ़े तब तक वह हमारे अपराध को समझ ही नहीं पायेगा कि क्या है ? इसलिए मैं निहायत अदब से सदन से कहना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य कृपा कर के सम्बन्धित प्रोसीडिंग को पढ़ लें।

एक सदस्य---मैं आपत्ति करता हूं कि माननीय सदस्य ऐसा क्यों समझते हैं कि माननीय सदस्यों ने प्रोसीडिंग और रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं यह कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण---इस सदन में बहुमतदल की जो भावना है वह मैं बतलाना चाहता हूं। मैं ऐसी भावना को और मनोवृत्ति को देखते हुए सदन में कोई सफ़ाई पेश करूं, इस सम्बन्ध में मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैं सफ़ाई यहां देना चाहता हूं लेकिन मैं आपकी आज्ञा से समझना चाहता हूं कि अगर सदन में बहुमतदल मुझे सफ़ाई नहीं पेश करने देना चाहता है या वह इस सम्बन्ध में अपने दिमाग को बना चुका है और अपने दृष्टि-कोण में परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो मैं निहायत अदब के साथ इतना ही कह कर बैठता हूं कि और कुछ न कह कर कि कोई सफ़ाई पेश करना नहीं चाहता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ़ चार्ज है कि मैंने उस दिन अध्यक्ष महोदय की आज्ञा नहीं मानी। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि विशेषाधिकार कमेटी का जो प्रतिवेदन है उसमें पहला जो उद्धरण दिया गया है जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १०५ से लिया गया है वह यों है :-

"Members persistently and wilfully obstructing public business without just and reasonable cause are guilty of the contempt of the HOUSE OF COMMONS"

जैसा कि माननीय राज नारायण जी ने अपने बयान में कहा है कि अध्यक्ष की आज्ञा की अवहेलना का उनका कोई इरादा नहीं था उसी प्रकार मेरा भी अध्यक्ष की आज्ञा के उल्लंघन का इरादा नहीं था। हम समझते थे और अच्छी तरह से जानते थे कि क्या नियम सदन के होते हैं और किस प्रकार से काम होना चाहिए।

लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसी परिस्थिति अध्यापकों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गयी थी कि उस परिस्थिति में हम बार बार अध्यक्ष महोदय से जस्ट ऐन्ड रीजनेबिल काज़ के लिए अनुनय-विनय करते, तो वह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १०५ के अनुसार परमिटेड है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बीच में न टोकें क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बीच में टोकना ठीक नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा खुद कोई इरादा नहीं था कि मैं माननीय अध्यक्ष की रूलिंग का उल्लंघन करूं। लेकिन यह समझता था कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार जस्ट ऐन्ड रीजनेबिल काज के लिये अध्यक्ष से बार बार अपील कर सकता हूं। मैंने इसीलिये अनुनय विनय किया कि शायद अध्यक्ष महोदय पसीज जायं और नियम ७१ को सस्पेंड करने के प्रस्ताव को पेश करने की अनुज्ञा दे दें। मैंने यह सोचा कि अगर नियम ७१ को सस्पेंड कर दिया जाय तो वह प्रश्न सामने आ सकता है। और प्रस्ताव में, अध्यक्ष महोदय, मूवर को २५ मिनट और अन्य सदस्यों को १५ मिनट का बोलने का समय मिलता है। यह मैं जानता था कि अगर नियम ७१ के उस सस्पेंशन के प्रस्ताव पर जब भी वोट होगा तो कांग्रेस दल अपने बहुमत से उसे गिरा देगा। लेकिन संस्पेंशन के प्रस्ताव की सूरत में, आसानी से, इनडायरेक्टली ही सही, हम एडजर्नमेंट मोशन के विषय पर बहस कर सकते थे। इसलिये मैंने ज्यादा अनुनय विनय किया।

अब यह कहा जा सकता है कि मैं माननीय अध्यक्ष से बिना पूछे ही खड़ा हो गया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने कृपापूर्वक कहा कि अगर हाउस में जगह जगह ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जाय तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। जैसा कि इन्हीं रूल्स में लिखा है कि अगर भाषण करने वाले और माननीय अध्यक्ष के बीच में कोई निकल जाय तो कन्टेम्ट आफ़ दि हाउस करता है।

अब जस्ट ऐण्ड रीजनेबिल काज के लिये अध्यक्ष के आदेश को प्राप्त करने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि यह पद्धति भी है कि बार बार सदस्य उसके लिये अनुनय विनय कर सकता है।

मैं आपकी आज्ञा के सम्बन्ध में तो नहीं जिक्र करना चाहता हूं इस लिये कि हो सकता है कि अध्यक्ष की उस रूलिंग पर बहस हो जाय। लेकिन हमारी समिति ने मेरे विरुद्ध जो अभियोगपत्र दिया है उसमें विदुषी विशेषाधिकार समिति कहती है, "नियम १८९ (१) के अधीन अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उच्छृंखल सदस्य को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है और श्री अध्यक्ष ने श्री रामनारायण त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से तो सदन से बाहर जाने का आदेश नहीं दिया, परन्तु उनके कथन का यही अभिप्राय था। यह भी नियम का उल्लंघन है।"

मैं इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ४४९ का हवाला देना चाहता हूं जिस में ग्रास डिसआर्डरली कण्डक्ट के सम्बन्ध में लिखा है—

"To prevent any member being taken unawares it is usually for the Speaker or the Chairman repeatedly to warn any member who may be transgressing rules of debate or otherwise conducting himself in a disorderly manner before ordering him to withdraw from the House or naming him."

इसके अनुसार माननीय अध्यक्ष को आदेश देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप पर अप्लीकेबिल नहीं होता है। उसमें तो शब्द "अनअवेअर्स" है। आप कहते हैं कि आप को सब मालूम था। वह तो अनअवेर लोगों के लिए लागू है। आप तो अवेअर थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं अध्यक्ष की रूलिंग पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन समिति ने खुद लिखा है, समिति को अधिकार है या नहीं लेकिन समिति ने लिखा है कि माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट आज्ञा मुझे नहीं दी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

यह हो सकता था कि अगर स्पष्ट आज्ञा होती कि बाहर चले जाओ तो मैं बाहर चला जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उस दिन कार्यवाही हुई उसके बाद दूसरा प्रश्न नियम १८९ के इन्टरप्रिटेशन का है। मैं माननीय राधामोहन सिंह जी के इन्टरप्रिटेशन से सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको आरगूमेंट न समझ कर वैसा ही कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने जो मुनासिब समझा, किया। वही काफ़ी था। उसके बाद दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष---आप कह सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---१८९ में पहला पोर्शन तो यह है कि---

"189. Power to Order withdrawal of Members—(1) The Speaker shall preserve order; and may direct any member, whose conduct in his opinion, is disorderly, to withdraw immediately from the House and the member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting. (2) if any member is ordered to withdraw a second time in the same session, the Speaker may direct him to withdraw from the meeting of the House and may name him."

अध्यक्ष महोदय, एक बात मान ली गयी है कि अध्यक्ष किसी परिस्थिति में अगर किसी मेम्बर को बाहर जाने के लिए कहे और वह बाहर चला जाय, लेकिन दूसरा आलटरनेटिव यह भी हो सकता है कि वह बाहर न जाय। इसके लिए व्यवस्था (२) में है। सिमिलरली के आगे से शुरू होता है। पहला तो यह है :

"If any member is ordered to withdraw a second time in the same session, the Speaker may direct him to withdraw from the meeting of the House and may name him."

पहली परिस्थिति तो यह है। दूसरी के लिए सिमिलरली के बाद से है :

"Similarly, if a member when ordered by the Speaker to withdraw, does not obey the order, the Speaker may name him."

अध्यक्ष महोदय, मेरा इन्टरप्रिटेशन इस रूल का यह है कि पहले के बाद अगर वह परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि मेम्बर वालेंटेरिली सदन नहीं छोड़ता तो उस समय अध्यक्ष को नियम ३ के मुताबिक़ बल का प्रयोग करते हुए अधिकार है कि उसको बाहर कर दे। लेकिन साथ ही साथ सिमिलरली के बाद का पोर्शन इसे गवर्न करता है। मैंने विशेषाधिकार समिति के माननीय सदस्यों की राय भी देखी लेकिन मुझे कुछ अफ़सोस हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो मेम्बर वालेंटियरली विदड्रा कर जाय उसके लिए यह कहना कि विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है यह ठीक नहीं है। इसलिए जैसा कि आनरेबल मेम्बरों ने कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से उसमें व्यवस्था है कि वालेंटियरली न भी विदड्रा करे तो भी उसके लिए उस दिन के लिए सस्पेंशन ही समझा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद उस समय विशेषाधिकार समिति के "एक माननीय सदस्य बालेन्दु शाह से हम लोगों ने मदद ली और हमने यह पुछवाया कि क्या परिस्थिति है, हम अन्दर आ सकते हैं या नहीं। उन्होंने विधान सभा के सचिव श्री कैलासचन्द्र भटनागर से पूछा कि नियम क्या है। उन्होंने बतलाया कि नियम १८९ के अनुसार आज दिन भर नहीं आ सकते हैं। इसके बाद वह पनिशमेंट हो गयी। मैं आपका ध्यान मेज की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४४८, ४४९ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। ४४९ पेज पर बीच का पोर्शन है :

"When, however, a member conducts himself in a disorderly manner the speaker is enjoined by S. O. No. 21, instead of merely calling the offender to order, forthwith to order him to withdraw from the house, or, if he thinks the authority and dignity of the House would not be sufficiently

Sufficiently vindicated by excluding the offender from the House for the remainder of the sitting, to name him."

इसमें 'आर' शब्द से साफ है कि अध्यक्ष उस दिन की सिटिंग के लिये बाहर जाने के बाद अगर समझता है कि हाउस की डिनिटी विंडिकेटेड नहीं हुई तो वह इंगित कर सकता है। दोनों आप्शन अलग अलग माननीय अध्यक्ष के सामने हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, श्री देश पांडेय के प्रस्ताव के संबंध में हुआ कि उन्होंने लेसर पनिशमेंट वाले रास्ते को ज्यादा पसंद किया कि उस दिन के लिये उनको अलग कर दिया जाय और फिर सजा न दी जाय। अगर विशेषाधिकार के माननीय सदस्य यह समझें और इस भावना से प्रभावित हों कि अगर कोई सदस्य सदन से उस दिन के लिये अलग कर दिया जाता है तो उसको सजा देना लाजिमी है तो मैं समझता हूं कि चूंकि अलग करने की वजह से ही सजा हो गयी तो विशेषाधिकार समिति के लिये यह लाजिमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं कि आप यह कहें कि किसी भावना से प्रभावित हों।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—बहुत अच्छा। मैं इसको बिथड्रा करता हूं। तो फिर माइनर ब्रीचेज के संबंध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के ४४८ पृष्ठ पर यह लिखा गया है—

"If he persists in his disorderly conduct it becomes the duty of the Speaker in pursuance of S. O. No. 21, to direct the refractory member to withdraw from the house for the remainder of the sitting, or if he thinks that the authority of the Chair and the dignity of the House would not be sufficiently vindicated by excluding the offender from the House, for the remainder of the sitting, to name him for disregarding the authority of the Chair."

इसमें भी अल्टरनेटिव सजा का वर्णन है। इसमें "आर" शब्द स्पष्ट है और यह हमारे लिये गाइडेंस है।

दूसरी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं स्टैंडिंग आर्डर्स नम्बर २२ की तरफ कि स्टैंडिंग आर्डर्स नम्बर २१, २२ के आधार पर मैं समझता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—आप अपना एक्सप्लेनेशन अब सीमित करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सदन के माननीय सदस्य, जो कि मैंने बयान किया, उस पर अगर डिस्पैशेनेटली गौर करें, तो मैं समझता हूं कि मुझे जो एक सजा उस दिन दे दी जा चुकी थी, वह काफी होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कह दिया कि मैंने अपना हक समझा कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के मुताबिक मैं आप से अनुनय विनय करूं और उसमें जो हुक्म अदूली हुई वह एक स्वाभाविक बात थी। मैंने अपने बयान में लिखा है कि उस पर माननीय अध्यक्ष ने एक लेसर पनिशमेंट का रास्ता अपनाया। उसके बाद भी यदि कोई सजा मिलती है तो वह संविधान की धारा २० (२) का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार समिति किसी को जेल तक की सजा दे सकती है . . . .

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार समिति को सजा देने की पावर नहीं है, सजा हाउस देगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—रेकमेंड कर सकती है। इस संबंध में अगर उसकी रिकमेंडेशन पर गौर किया जाय, तो मैं समझता हूं कि एक ही अफेंस के लिये दो सजायें नहीं होनी चाहिये, तो in the totality of the circumstances I was totally justified to protest.....

श्री अध्यक्ष—आप ने अंग्रेजी में बोलना आरम्भ कर दिया, आप कृपया हिन्दी में बोलें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसलिये सदन को इस पर विचार करना चाहिये और दूसरी सजा मुझे नहीं देना चाहिये ।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

पुलिस स्थायी समिति की नामजदगी की वापसी के लिये समय का बढ़ाया जाना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास अभी एक प्रार्थना आयी थी इस बात के लिये कि जो पुलिस स्थायी समिति है उसकी नामजदगी की वापसी के लिये समय बढ़ा दिया जाय तो मैं एक अप्रैल ३ बजे तक के लिये समय बढ़ा देता हूं, वापसी का समय आज तीन बजे तक समाप्त करने वाला था ।

सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (क्रमागत)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानूनों का सवाल है मैं ने उसको लिखकर प्रिविलेज कमेटी के सामने दे भी दिया, वह सारी बातें रिपोर्ट में आ भी चुकी हैं। मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में रहकर यह सारी कार्यवाही हुई उस पर मैं थोड़ा बहुत प्रकाश डालूं। चार तारीख को जब हम लोग यहां पर पहुंचे तो हम लोगों को यह पता चला कि उस रोज रात में पुलिस के द्वारा जो अनशनकारी अध्यापक यहां पर मौजूद थे वह घसीटकर यहां से हटाये गये। इन सारी चीजों को देखते हुये मेरे दिल में यह भावना आई कि यह उनके साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय को अपने सामने रखते हुये मैंने यह सोचा कि मैं खुद ही इस के ऊपर कामरोको प्रस्ताव दूं लेकिन जब मुझे यह पता चला कि कामरोको प्रस्ताव दे दिया गया है तो मैं खुद कामरोको प्रस्ताव न दे सका लेकिन मेरे दिल में यह भावना थी और जब वह प्रश्न यहां सदन के सामने उपस्थित हुआ उस वक्त मेरे दिमाग में यह चीजें थीं कि अन्याय किया गया है, अध्यापकों के साथ पुलिस ने अन्याय किया है और उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने जो कुछ भी यहां कहा या जो कुछ भी किया वह मैंने किया, मैं नहीं समझता कि मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया है। वह तो बाद में जब मैंने कमेटी की रिपोर्ट देखी तो ऐसा मालूम हुआ कि सबसे बड़ा अपराध मेरा ही हुआ है। मेरी कतई इस बात की कोई मंशा नहीं थी कि मेरी उस हरकत से किसी की भी मानहानि हो। मेरे सामने कर्त्तव्य था और उस कर्त्तव्य को देखते हुये मैं ने एक चीज कर दी । अब उसमें हुआ क्या, कानून

भंग हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर मैं कोई प्रकाश नहीं डालना चाहता, यह तो सदन के ऊपर है कि उसको देखे और उसका फैसला करे लेकिन जो कुछ भी मैंने किया वह इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर और उस दृष्टि को सामने रखकर, जोकि मैं समझता था कि इन अनशनकारी अध्यापकों में एक महिला भी है, इन सारी चीजों को देखते हुये मुझसे जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी मैंने किया, मैंने किया। मुझे और कुछ कहना नहीं है। बस इतना ही थोड़ा सा जो कुछ मुझे कहना था, मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---श्रीमन्, प्रोसीडिंग में तो कहीं भी मेरा जिक्र नहीं आया है.....

श्री अध्यक्ष---(श्री जगन्नाथ मल्ल से) अब आप बाहर रहें, अगर सदन बुलायेगा तो आपको आना चाहिये।

(श्री जगन्नाथ मल्ल सदन के बाहर चले गये।)

श्री मंगलाप्रसाद---मैं अर्ज कर रहा था कि प्रोसीडिंग में तो कहीं जिक्र मेरा नहीं था क्योंकि अगर मेरा जिक्र वहां किया जाता तो शायद विटनेस की शक्ल में मुझे बुलाया जाता और उसकी सफाई मुझ से ली जाती। चार तारीख को मैं भी बाहर से आया था उस दिन करीब ९ बजे माननीय राजनारायण जी ने मुझे टेलीफोन किया। उन्होंने यह बताया कि पुलिस ने बहुत ज्यादती की। इस सिलसिले में उनके बहुत से शब्दों को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता जिस प्रकार से उन्होंने कहे। लेकिन उन्होंने यह कहा कि वे आज एडजर्नमेंट मोशन लाने वाले हैं और यदि उस पर बहस करने की इजाजत नहीं मिली तो जो रवैया उन्होंने हाउस में अख्तियार किया, उसकी सूचना मुझे पहले ही से दे दी। मैंने उनको बहुत समझाया, फोन पर, कि आज पुलिस का बजट आने वाला है, आप पुलिस के खिलाफ जो कुछ कहना चाहते हैं, उस अनुदान के सिलसिले में कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इनसिस्ट किया और यह भी मुझसे कहा कि आप इस सिलसिले में पंत जी से भी बातें कर लें। मैंने पंत जी से भी जाकर बात की और उन्हें बताया कि वह कहते हैं कि हम अपने से निकल कर हाउस से नहीं जावेंगे जब तक कि पुलिस के लोग जिस तरह से उन्होंने मास्टरों को उठाकर वहां से हटाया उसी तरह से उनको भी नहीं ले जावेंगे। यह बात उन्होंने मुझ से उसी दिन कही थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से बात करने के बाद सीधे उन्हीं के कमरे में आया और उनसे बात की। राजाराम जी, एम०एल०सी० भी मौजूद थे। उनसे भी कहा कि आज आप इसे क्यों लाते हैं। इस पर आप पुलिस के बजट के समय बहस कर सकते हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि पहले जेल का अनुदान आता है। वह बाद को ले लिया जा सकता है। पहले शुरू में ही पुलिस का अनुदान ले लिया जाय, इसमें आपको क्या आपत्ति होगी। लेकिन वह अपना एक रवैया तय कर चुके थे और उसी पर चलने वाले थे। किसी की कोई बात सुनने वाले नहीं थे। मेरी ही क्यों सुनते। मैंने उनके और साथियों से भी बात की लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह उस बात पर अड़े रहे और उससे अलग नहीं हुये।

मैंने केवल सफाई के लिये यह बात, चूंकि मेरा नाम लिया गया था, इसलिये हाउस के सामने रख दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक 'मोशन' लाना चाहता हूं। माननीय राधामोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव विचार के लिए रखा है और जो प्रतिवेदन है, कि 'उक्त प्रतिवेदन पुनर्विचार के लिए विशेषाधिकार समिति के पास वापस भेजा जाय'। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १४६ के अन्तिम पैरा की तरफ़ दिलाना चाहता हूं।

"Upon consideration of the report the parties implicated may be ordered to attend the House or the report may be referred back for consideration of the Select Committee or referred back to the committee with instruction to enquire into the curcumstances of the case."

जब मैं आपकी आज्ञा से इस मोशन को इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं तो मुझे इस ऐतिहासिक समय का भी विचार हो आता है जब हम आज इस प्रस्ताव और इसी प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार का अवसर आज हमारे सामने उपस्थित है वह सदन के इतिहासों में शायद ही कभी आया हो, जब कि हम केवल एक लेजिस्लेटिव बाडी की हैसियत से ही नहीं बैठते बल्कि एक न्यायाधिकारी की हैसियत से भी बैठते हैं। हम स्वयं ही अपना न्याय करेंगे, 'अहं न्यायोस्मि' इस सिद्धांत के आधार पर हम सब यहां पर विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। इस समय की गम्भीरता को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य एक स्थितप्रज्ञ की भांति जो कि वे सभी हैं, गम्भीर विचारकों की भांति और न्यायाधीशों की भांति निष्पक्षतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

समय आये हैं संसार के सदनों के इतिहास में जब कि कई बार अच्छे अच्छे विचारकों ने, विधान के नेताओं ने, अपने विचारों को न्यायाधिकरण के सामने रखा है। एडमंड बर्क जैसे विद्वान ने वारेनहेस्टिंग्ज जैसे ग़लती करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में अपनी सुन्दर वक्ता में निवेदन किया था और उस पर आरोप लगाये थे तो भी न्याय के आधार पर वारेन हेस्टिंग्ज को छोड़ना पड़ा था। ग्रीक रोमन सभ्यता उत्थान के समय पेरिकलीज और डेमस्थनीज ने जो मामले उठाये वे भी स्मरणीय हैं। तो सदन ने इसी तरह से इस प्रस्ताव पर भी विचार करना है। तो आज यह मानी हुई चीज है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर, जिस पर कि हम विचार करने जा रहे हैं और जिस पर मेरा मोशन है, उसकी विद्वता को मानते हुए भी, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शायद समय की कमी के कारण उनके सामने पूरे तथ्य नहीं आसके जिसके कारण वे इतना सुन्दर प्रतिवेदन वह नहीं दे सकी जितना कि देना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, इस विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ १०९ के पैरा १५ की इन पंक्तियों की तरफ़ मैं आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "यह मामला बहुत स्पष्ट है कि तीनों सदस्यों ने बहुत उच्छृंखल रीति से व्यवहार किया। उन्होंने श्री अध्यक्ष के बार बार निर्देश देने पर भी न अपना स्थान ग्रहण किया और न सदन छोड़ा और जब वैधानिक आपत्ति उठायी गयी तो उसको सुनने के लिए भी तैयार न हुए"। उन पर जो चार्ज पाये गये या जो आरोप पाये गये, उनकी यह मुख्य आधारशिला बनायी गयी है। यहां पर "उन्होंने" शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने श्री अध्यक्ष के बार बार निर्देश देने पर भी न अपना स्थान ग्रहण किया और न सदन छोड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि केवल श्री राजनारायण जी को ही तीन बार आदेश दिया गया था, लेकिन श्री रामनारायण त्रिपाठी और श्री जगन्नाथ मल्ल के समय बार बार निर्देश नहीं दिया गया। इसलिए मेरी राय में जो तीनों सदस्यों के लिए बार बार निर्देश देने के सम्बन्ध में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह सुन्दर व सच्चे नहीं बन पाये हैं। इसमें हमारी विशेषाधिकार समिति ने श्री रामनारायण त्रिपाठी पर अलग

आरोप लगाये हैं। उसके आरोप नम्बर ४ में लिखा हुआ है कि "श्री अध्यक्ष ने श्री रामनारायण त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से तो सदन से बाहर जाने का आदेश नहीं दिया परन्तु उनके कथन का यही अभिप्राय था।" यहां समिति ने भी इस बात को माना है कि इनको बार बार निर्देश नहीं दिया गया। फिर इसके बाद श्री जगन्नाथ मल्ल के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उसमें आरोप नम्बर ४ में लिखा हुआ है "यद्यपि यह आदेश बहुत स्पष्ट नहीं था तथापि माननीय अध्यक्ष के कथन से यह स्पष्ट था कि यह उनके लिए भी लागू था"। इसमें भी स्पष्ट है कि श्री जगन्नाथ मल्ल को बार बार निर्देश नहीं हुआ था। केवल माननीय श्री राजनारायण जी के लिए बार बार निर्देश हुआ था। इसलिए यहां पर बार बार निर्देश शब्द का प्रयोग उचित नहीं है।

इसके बाद आगे चलकर कहा गया है कि जब वैधानिक आपत्ति उठायी गयी तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैधानिक आपत्ति श्री राजनारायण जी के साथ ही उठायी गयी थी और श्री रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल के समय कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी गयी। इसलिए जो जनरल चार्ज लगाया गया है कि तीनों सदस्यों को बार बार आदेश दिया गया लेकिन वह नहीं बैठे। मेरे विचार से इस प्रकार जो यह समिति का प्रतिवेदन हुआ है वह तथ्यों के विपरीत था। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक साथ जो फ़ैसला दे दिया गया वह नहीं देना चाहिए था बल्कि श्री राज नारायण जी व अन्य दो सदस्यों के सम्बन्ध में अलग फ़ैसला होना चाहिए था। क्योंकि तीनों के ऊपर अलग अलग किस्म के आरोप थे। जो स्थिति श्री रामनारायण त्रिपाठी की थी वही स्थिति श्री जगन्नाथ मल्ल के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

इसके बाद आगे चलकर इसी रिपोर्ट के पैरा १५ में समिति ने कहा है कि "यह केवल व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण से किया गया था जैसा कि लोक सभा में श्री देशपांडेय के मामले में हुआ था। वस्तुतः यह सम्बद्ध सदस्यों के दोषों के प्रति कोई दण्ड न था।" मेरे विचार में माननीय समिति ने थोड़ी सी ग़लती कर दी। अगर मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सिद्धांतों को ठीक से देखा गया होता, हाउस आफ़ कामन्स के सिद्धान्तों की स्थिति को सामने रखा गया होता तो वह कभी भी ऐसे निष्कर्ष पर न पहुंचती कि यह केवल शान्ति स्थापित करने का प्रयास था और दण्ड देने का नहीं था।

और श्रीमन्, मैं अपनी परिपुष्टि में एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहता हूं कि ब्रीच आफ़ प्रिविलेज में वही मामला जा सकता है जिसके सम्बन्ध में स्टैन्डिंग आर्डर में कोई व्यवस्था न हो, जिस ब्रीच आफ़ आर्डर या ब्रीच आफ़ प्रिविलेज के पनिशमेंट की व्यवस्था सदन के किसी भी रूल्स में या रूल्स आफ़ प्रोसीजर या स्टैन्डिंग आर्डर्स में होती है वह ब्रीच आफ़ प्रिविलेज के लिए नहीं जा सकता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में मैं मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३६२ की तरफ़ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चूंकि मेरे आर्गूमेंट्स की आधारशिला यह है इसलिए मैं चाहता हूं कि सब माननीय लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनें। पेज ३६२ में जहां रेंजिंग आफ़ ए मैटर आफ़ प्रिविलेज है उसके अन्तिम पैराग्राफ़ में यह लिखा हुआ है :

"Other privileges the enforcement of which is regulated in part by Standing Orders are dealt with as so provided. For instance breaches of order in the House are dealt with and punished, if necessary, as they arise."

तो मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ३६२ में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन प्रिविलेजेज़ के पनिशमेंट के लिए स्टैन्डिंग आर्डर्स में या रूल्स में स्थान है वे जिस समय उठा करते हैं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उसी समय पनिशमेंट दे दिया जाता है और ठीक मेरे विचार में, श्रीमन्, आपने उस दिन किया कि नियम १८९ के अनुसार आपने उस ब्रीच आफ़ आर्डर का पनिशमेंट उनको दिया। उसके बाद में फिर उसी के पृष्ठ ३६४ की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसके हेडिंग में लिखा है-- "A prima facie case of breach of privilege must be made out." यहां पर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस ने निश्चित रूप से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसी सिद्धान्त का अत्यन्त ही ध्यानपूर्वक मनन करे और तब हम देख पायेंगे कि यह शान्ति व्यवस्था और दण्ड अलग अलग चीजें नहीं थीं बल्कि एक ही चीज थी। और जैसा कि आगे इसी पृष्ठ ३६४ पर है वह इस प्रकार है--

"In judging whether a prima facie case of breach of privilege has been made out the Speaker excludes any matters which are othewise properly to be dealt with under the practice or Standing Orders of the House."

तो मेरे विचार से तो माननीय विशेषाधिकार समिति के सामने जब यह रेफ़रेंस गया था जांच के लिए उस समय उसको यह कह देना चाहिए था कि चूंकि इस मामले की पनिशमेंट के लिए स्टैन्डिंग आर्डर्स में व्यवस्था है इसलिए अब यह ब्रीच आफ़ प्रिविलेजेज में प्रश्न नहीं है, इसकी पनिशमेंट मिल चुकी है। श्रीमन्, मेरा विचार है कि माननीय विशेषाधिकार समिति के सामने यह ३६४ पृष्ठ का कोटेशन नहीं लाया गया और अब मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने इस रूलिंग को लाना चाहता हूं।

इसके बाद मैं आगे चलकर आपका ध्यान उन निष्कर्षों की तरफ़ ले जाना चाहता हूं जिनके आधार पर विशेषाधिकार समिति ने अपना फ़ैसला दिया। मेरा विचार है, श्रीमन्, कि जिन कोटेशन्स के ऊपर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के और कैम्पियन के माननीय समिति ने ध्यान दिया है वे कोटेशन्स अधिकतर ग़लत तरीक़े से उसके सामने पेश किये गये, पूरे उद्धरण पेश नहीं किये गये, अधूरे पेश किये गये हैं। इसकी मिसाल विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के पृष्ट १०८ पर मिलती है। जिस प्रकार से इस रिपोर्ट में शुरू में कोटेशन छापा गया है वह यह है--

"Members persistently and wilfully obstructing public business without just and reasonable cause are guilty of the contempt of the House of Commons." (May, P. 105)

श्रीमन्, मैं माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि वह पेज १०५ को खोले और देखे कि वास्तव में कोटेशन है क्या और किस तरीक़े से होना चाहिए। पेज १०५ में जैसा कि यह वर्णन किया गया है यह कोई स्टैन्डिंग आर्डर नहीं है और न यह आम तौर पर नियम है बल्कि यह मिस्टर स्पीकर ब्रैन्ड की एक रूलिंग है।

उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है--

"For nearly two centuries this form of punishment had been in abeyance, no case of suspension having occurred since 1692. But at the discretion of the House on 25 July 1877, as a result of persistent obstruction by Members who supported Parnell, Mr. Speaker Brand gave the following ruling :—

The House is perfectly well aware that any Member persisntetly and wilfully obstructing public business without just and resonable cause is guilty of a contempt of this House and is liable to punishment, whether by censure suspension from the service of the House, or commitment, according to the judgment of the House."

यह कोई स्टैन्डिंग आर्डर या नियम नहीं है और न कोई आम तथ्य है तथा न उस दिन ही उस रूलिंग को एन्फ़ोर्स किया गया और न उसके मुताबिक़ किसी को निकाला ही गया। ख़ाली वह रूलिंग दे दी गयी और हाउस के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया गया। स्टैन्डिंग आर्डर के भी जो नियम बने वह भी १९०७ के बाद को बने। अतः जो रूलिंग कोट की गयी है वह ग़लत सी कोट की गयी है और उसका अर्थ ग़लत लगाया गया है।

अब मैं दूसरे रूलिंग पर आता हूं जो (डी) के रूप में है। प्रतिवेदन का पेज १०८ (डी) इस प्रकार है --

"If the matter of complaint is not disposed of at the time by the House in which it was raised, it is usually referred in each House to the Committee of Privileges". (May, P. 135)

यह मई के १३५ पेज पर है। अगर इसको देखा जायगा तो मालूम होगा कि यह भी ग़लत कोट की गयी है। अगर उसके हेडिंग को ही देखा जाय वह इस प्रकार है--

यह उद्धरण स्ट्रेंजर्स के ख़िलाफ़ है, "मेम्बर्स" के ख़िलाफ़ नहीं है।

PROCEEDINGS UPON COMPLAINTS AGAINST STRANGERS

·It was formerly the practice in both Houses when a complaint was made of a person who was not a Member, to order the person complained of to attend the House (i) and on his appearance at the bar, he was examined and dealt with according as explanations of his conduct were satisfaciory of otherwise; or as the contrition expressed by him for his offence conciliated the displeasure of the House.

If the matter of the complaint is not disposed of at the time by the House in which it is raised, it is usually referred in each House to the Committee of Privileges."

मेरा निवेदन यह है कि समिति को ग़लत सूचना दी गयी है। ग़लत तरीक़े से "स्ट्रेंजर्स" को लागू होने वाली चीज "मेम्बर्स" को लागू की गयी है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस पर भी विचार करेंगे।

इसके बाद मैं तीसरे कोटेशन पर आता हूं। यह मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में पेज १०९ में बतलाया गया है। यह भी कोटेशन पूरा नहीं अधूरा है। उसका जो सेंस है वह इन्कम्प्लीट है। उसमें इस प्रकार दिया हुआ है--

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रतिवेदन का पेज १०९---

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or mpedes any member or officer of such House in the discharge of his duties or which has a tendency directly or indirectly as a contempt even though there is no precedent of the offence."(May p. 109)

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सेंटेंस पूरा है। जब मैं उसको देखता हूं तो पाता हूं कि यह सेंटेंस अधूरा है। उसको डिस्टार्टेड किया गया है। पेज १०९ में से पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं, वह इस प्रकार है :

पेज १०९---में की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस---

"It may be stated generally that any act of omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

तो श्रीमन्, इसलिए मैं कहता हूं कि समिति के सामने उसका डिस्टोर्टेड वर्शन रखा गया है।

अब कांपीयन की किताब से एक उद्धरण लिया गया है, १०८ (ई) हाउस आफ़ कामन्स . . .

"The House of Commons exercises powers of suspension of Members on grounds of privileges" (Campion, P. 70)

कांपियन के पेज ७० पर यह सेंटेंस कहीं नहीं है। जो कुछ वहां है वह इस प्रकार है :

"On the same grounds of privilege the House exercises the power of suspending Members--a power the exercise of which in certain circumstances it has defined by Standing Order."

यह बिलकुल उसका उल्टा है जो कुछ कि समिति को बताया गया है। क्योंकि वह तो केवल "इन सरटेन सरकमस्टैंसेज" है। और स्टैंन्डिग आर्डर के ही अनुसार सस्पेंशन होता है।

इस सब के कहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यदि समिति के सामने सही उद्धरण होते तो समिति कभी भी उस निष्कर्ष पर न पहुंचती जिस पर वह पहुंची। अब मैं थोड़ा सा चार्जेज के बारे में कहता हूं ....

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान नियम ६६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है--

"The debate at all stages on questions involving breach of privilege shall be brief." तो यह ब्रीफ होना चाहिये लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस तरह से तो मालूम होता है कि माननीय सदस्य अकेले ही घंटों तक बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष---यह एटेंशन ड्रा हो चुका है और उसके हिसाब से अब माननीय मेम्बर ख़याल रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय मौर्य जी का न्याय भावना के लिये उनकी कद्र करता हूं और उनकी न्याय भावना की अपील करने के हेतु कुछ समय आप की आज्ञा से लेना चाहता हूं। तो श्री राम नारायण त्रिपाठी के ऊपर जो आरोप हैं उनके आरोप नं० १ और ३ की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो और अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारा जाय तब वह बोल सकता है और श्री राम नारायण त्रिपाठी खड़े हो कर भाषण देने लगे यद्यपि माननीय अध्यक्ष ने उनका नाम नहीं लिया। ऐसे ही नीचे है कि "जब माननीय अध्यक्ष खड़े हो जायं तो वह सदस्य बैठ जायगा।" श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और अगर मेरी गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको खड़े होते हुये नहीं देखा। श्रीमन्, मेरी याद ग़लत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता है कि श्रीमान् ने कभी स्वयं खड़े होने की कृपा की जब कि वे बोल रहे थे। तो इसलिये मैं समझता हूं कि जिस समय माननीय समिति ने यह सोचा कि माननीय अध्यक्ष के खड़े होने पर वे नहीं बैठे, तो उसको यह ग़लत सूचना मिली। अगर समिति को सही सूचना मिल सकती तो कम से कम जो नं० ३ का आरोप श्री राम नारायण त्रिपाठी पर लगाया गया है वह उन पर नहीं लगाती। श्री जगन्नाथ मल्ल के ऊपर जो आरोप नं० ३ का लगाया गया है मैं समझता हूं कि इस स्थिति में वह उन पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान कैम्पियन के पेज १९७ की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो "माइनर ब्रीच आफ आर्डर" के बारे में है। मैं माननीय त्रिपाठी जी व मल्ल जी पर आरोप नं० १ व ३ को 'माइनर ब्रीच आफ आर्डर' हर हालत में मानता हूं। यहां पर यह उद्धरण बिलकुल साफ कर देता है कि अगर माइनर ब्रीच आफ आर्डर हो तो नियमानुसार साधारणतया उस पर कार्यवाही होगी, इस संबंध में माननीय समिति ने इसको एक बहुत बड़ा चार्ज समझा है।

श्री अध्यक्ष—आप इसको फिर से पूरा पढ़ दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

"Minor breaches of order are checked by the Chair as soon as they occur. Members also call each other to order, and bring points of order before the Chair. Such incidents are generally concluded simply and briefly by the Member disisting from the conduct, or withdrawing the words objected to.

माइनर ब्रीच आफ आर्डर पर माननीय समिति ने ज्यादा जोर दिया है कि दो पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिये। और वह यह समझती है कि उस दिन माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा बाहर कर देने पर भी उससे पनिशमेंट का मंशा पूरा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि माननीय समिति इसमें काफी उदार मनोवृत्ति का परिचय देती तो ज्यादा न्यायानुकूल होता। एक बात माननीय राधा मोहन सिंह जी ने कही और मैं उनकी विद्वता का हामी हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपनी समिति की रिपोर्ट यहां पर रखी उसके लिये मैं उनका क़ायल हूं लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो उन्होंने यह कहा कि हाउस आफ कामन्स में एक बार माननीय अध्यक्ष ने किसी माननीय सदस्य के बाहर न जाने पर और उनको बाहर ले जाने के लिये फोर्स का इस्तेमाल होने पर, उन्हें सारे सेशन के लिये सस्पेंड कर दिया। ऐसे उदाहरण की बात इस रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में भी है और माननीय राधामोहन सिंह ने भी कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने कोई उसमें अपनी अथारिटी नहीं इस्तेमाल की थी और न हाउस ने ही कोई फैसला किया था बल्कि हाउस आफ कामंस के स्टैंडिंग आर्डर २२ की उपधारा ४ के अनुसार वह कार्यवाही हुई जिसे मैं आप के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसमें स्पीकर साहब ने अपनी तरफ से फैसला किया या हाउस ने फैसला किया ऐसी बात नहीं है बल्कि नियमों के अनुसार कार्यवाही हुई थी जैसी यहां इस सदन में उस दिन हुई थी। स्टैंडिंग आर्डर २२ (४) इस प्रकार है:—

"If a member, or two or more members acting jointly who have been suspended under this order from the service of the House, shall refuse to obey the direction of Mr. Speaker, when severally summoned under Mr. Speaker's orders by the serjeant-at-arms to obey such direction, Mr. Speaker shall call the attention of the House to the fact that recourse to force is necessary in order to compel obedience to his direction, and the member or members named by him as having refused to obey his direction shall thereupon and without any further question being put be, suspended from the service of the House during the remainder of the Session".

तो मैं क्या माननीय राजामोहन सिंह जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि यह कोई फैसला नहीं हुआ था बल्कि रूल्स को आटोमेटिकली एप्लाई किया गया था? इसलिये जो माननीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जोर दिया कि हाउस आफ कामन्स में ऐसा हुआ मैं यह समझता हूं कि यहां पर कुछ अतिक्रमण सा मुझे लगता है। साथ ही माननीय देशपाण्डेय जी का यहां एक उदाहरण दिया गया कि पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ था। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिलिपि सभी माननीय सदस्यों के पास है। पार्लियामेंट का जो इंसीडेंट है उस पर कार्यवाही इस प्रकार है:

"श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि सदस्य की मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह दंड भी पर्याप्त नहीं था परन्तु चूंकि यह पहला ही अवसर था उन्होंने इस विषय में अधिक कठोर कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा।"

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि इस सदन में भी ऐसी घटना होने का यह पहला अवसर था और मैं समझता हूं कि इस पहले अवसर की महत्ता को देखते हुये यहां भी उसी प्रकार से हमें ब्रीच आफ प्रिविलेज के फलस्वरूप दंड निर्धारित करना था। देशपांडेय जी की घटना का यहां उदाहरण दिया गया लेकिन देशपांडेयजी की घटना यहां की घटना के बाद हुई। देशपाण्डेय जी की घटना ९ मार्च को हुई और यहां की घटना ४ मार्च को। तो क्या मैं जान सकता हूं कि ४ मार्च की घटना को हम ९ मार्च की घटना का प्रिसिडेंट किस प्रकार मान सकते हैं? फिर वहां की कोई अथारिटेटिव प्रोसीडिंग्स भी हमारे पास नहीं हैं। यह तो, श्रीमन्, मुझे किसी अखबार की सूचना का ट्रान्सलेशन मालूम पड़ता है। इसकी पूरी पूरी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा उद्धरण दिया गया गया है यह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कदापि नहीं हो सकती, यह मुझे एक अखबार की सूचना का अनुवाद ही मालूम होता है। इसलिये मैं इसको पार्लियामेंट की अथारिटेटिव प्रोसीडिंग नहीं मान सकता। शायद मैं गलत होऊं लेकिन जैसी इस सदन की प्रोसीडिंग होती है वैसी यह प्रोसीडिंग नहीं मालूम होती। फिर किस प्रकार से वहां की घटना को यहां की घटना का प्रिसिडेंट माना जा सकता है? इसलिये उस घटना पर हम ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। अगर महत्व देना भी है तो हमें पंजाब वाली मिसाल लेनी चाहिये जहां पर कि किसी माननीय सदस्य ने बाहर जाने से इंकार कर दिया तो सदन स्थगित कर दिया गया। ऐसे ही और भी सदनों में इस प्रकार की संक्षिप्त कार्यवाही हुई। इसलिये इस घटना को माननीय देशपांडेय जी की घटना के साथ मिलाना असंगत होगा। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि माननीय राजनारायण जी सदन में बैठ गये। श्रीमन्, मैं क्या कहूं? इस प्रोसीडिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माननीय राजनारायण जी सदन में बैठ गये, फर्श पर बैठ गये। इसमें यह लिखा हुआ है।—

"अध्यक्ष—आप कृपा कर के हाउस से बाहर हो जायं।

श्री राजनारायण—मैं इस तरह से जाना नहीं चाहता।

(शेम शेम की आवाजें)

[इस समय श्री अध्यक्ष की आज्ञा से सचिव, विधान सभा द्वारा बुलाये जाने पर पुलिस अधिकारी सदन में आये और श्री राजनारायण जी को बाहर चलने के लिये कहा, जिस पर श्री राजनारायण जी ने कहा कि बल का प्रयोग कीजिये, अध्यक्ष ने बल प्रयोग से ले जाने को कहा है। मैं बल प्रयोग से ही जाऊंगा..."

और इसमें यह नहीं लिखा है कि सदन के फर्श पर बैठे। अगर ऐसा हुआ था तो वह लिखना चाहिये था जब रिपोर्ट में सब चीजें आती हैं तो यह भी आनी चाहिये थी। मगर इस प्रोसीडिंग में इसका जिक्र तक नहीं है।]

साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब अभियोग लगा दिये जाते हैं तो इसकी सूचना माननीय सदस्यों को दी जाती है। तारीख २६ तक इसकी सूचना माननीय सदस्यों को अभियोग पत्र के मांगे जाने पर भी न दी गयी। मैं समझता हूं कि एक वकील की सहायता भी इस सदन के माननीय सदस्यों को न देना दुर्भाग्य की बात है। नियम ४९ (४) के अनुसार:—

"It shall be in the discretion of the Committee to treat an evidence tendered before it as secret or confidential. The Committee may also, in appropriate cases, allow parties to be represented by Counsel before it."

[यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह अपने समक्ष प्रयुक्त साक्ष्य को गुप्त रखे अथवा गोपनीय समझे। समिति उपयुक्त दशाओं में अपने समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किये जाने की भी अनुज्ञा दे सकती है।]

तो इसमें हमारे नियम भी साथ हैं। अगर वकील को लाने की इजाजत दी गयी तो सारी बातें और भी संधृत रूप में हमारे सामने आतीं और न्याय की और भी परिष्कृत भावना हमारे सम्मुख होती। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

लेकिन आगे चल कर कुछ और बातें भी हमारे सामने आती हैं जिन पर मैं आपका ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। माननीय जगन्नाथ मल्ल के ऊपर एक और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मैं, श्रीमन्, इस बात में किसी से पीछे नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि हमारा सारा विरोधी दल भी इस बात को मानता है कि माननीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और उसकी पक्षपातहीनता को अक्षुण्ण समझना चाहिये और विरोधी दल और बहुमत के बीच में और इस सदन में व्यवस्था रखने का उनका अधिकार मानना चाहिये। हमारा विरोधी दल इस बात को चाहता है और मुझे इस बात का विश्वास है कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने उस समय जो पक्षपात की बात कही वह किसी खास शिकायत की दृष्टिकोण से नहीं कही या किसी आक्रमणात्मक भावना से नहीं कही बल्कि वह तो एक विशेष परिस्थिति जन्य भावना से बात कही गयी थी। मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन यह बात भुला दी गयी थी कि माननीय जगन्नाथ मल्ल द्वारा स्पीकर महोदय के प्रति कोई पक्षपात के आरोप लगाये गये हैं। दूसरे दिन भी नहीं, बल्कि विशेषाधिकार समिति की मीटिंग के अन्दर इस बात का खयाल हुआ कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने माननीय स्पीकर के प्रति पक्षपात के आरोप भी लगाये हैं। और इसके पहले इस बात की सूचना इस माननीय सदन को भी न होगी। माननीय सदन के खयाल में यह बात नहीं आई और इसलिये मेरे खयाल में उन पर यह आरोप ऐट दि अर्लियस्ट अपारचुनिटी नहीं लगाये गये। और दूसरी बात, श्रीमन्, इसमें यह है कि माननीय जगन्नाथ मल्ल और माननीय रामनारायण त्रिपाठी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को करेक्शंस के लिये रिपोर्ट की कापियां नहीं दी गईं । जब समिति के अन्दर यह बात उठी तो एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि करेक्शन के लिये यह रिपोर्ट इसलिये नहीं दी गयी कि चूंकि इंटेरेप्शंस करेक्ट नहीं किये जाते। श्रीमन्, मैंने इस व्यवस्था को समझने की कोशिश की कि क्या ऐसी बात होती है और इंटेरेप्शंस नहीं लिखे जाते। मैंने, श्रीमन्, तमाम प्रोसीडिंग को पलटने की कोशिश की और देखा कि उसमें सारे इंटेरेप्शंश हैं जब तक स्पीकर महोदय अपनी आज्ञा से उनको निकालने के लिये, एक्सपंज करने के लिये, नहीं कह देते। तब तक वे लिये गये हैं और इस संबंध में मैं नियम की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा गया है :

"The Secretary also shall cause to be prepared full and accurate report of the proceedings of the Assembly at each of its meetings."

तो मैं समझता हूं कि इंटेरेप्शंस भी 'फुल ऐंड ऐकुरेट' रिपोर्ट में शामिल हैं और इस संबंध में मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर भी इस प्रकार के इंटेरेप्शंस हों जब तक वह एक्सपंज न किये जायं तब तक उनको प्रोसीडिंग्स की किताब में लिखने का पूरा पूरा अधिकार है।

तो मैं इस निवेदन के साथ और इसी भावना के साथ माननीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मेरे निवेदन को केवल निवेदन के रूप में न लेंगे बल्कि अपनी न्यायप्रिय भावना के लिये एक अपील के रूप में लें और आदरणीय विशेषाधिकार समिति द्वारा दिये हुये तर्कों और मेरे द्वारा दिये हुये इन तथ्यों को विचार में रखते हुये मेरी भावना और मेरे प्रस्ताव को संशोधित न करके उसका समर्थन करें ताकि एक सही दृष्टिकोण से और एक मर्यादित दृष्टिकोण से फैसला हो सके।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट में दो बातें रखी हैं। उनमें पहली की बाबत मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह है कि जब पहले एक मर्तबा इस सदन में दंड दे दिया गया अर्थात् माननीय सदस्यों को जब यहां से बाहर जाने को कहा गया और वे चले गये तो फिर उसके बाद रूल नम्बर ६७ के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। उनका कहना है कि रूल ६७ आठवें अध्याय से संबंध रखता है और आठवें अध्याय के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं हुई और कार्यवाही रूल १८९ के अन्तर्गत हुई। तो जब १८९ के अन्तर्गत कार्यवाही समझी गयी अर्थात् जब सदस्यों को यहां से बाहर कर दिया गया तो फिर उसके बाद उस मामले को कमेटी आफ प्रिविलेज के सामने भेजना नियम के विरुद्ध है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मत ठीक नहीं है। जहां तक रूल ६७ का संबंध है वह अध्यक्ष महोदय को एक विशेषाधिकार देता है और वह अधिकार ऐसा है कि जो किसी प्रकार के और नियमों से संबंधित नहीं है अर्थात् वह अधिकार अपनी जगह पर बिलकुल जनरल है और वह समस्त कायदों को कंट्रोल करता है। दफा ६७ में यह है कि:

"Not withstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report."

[इन नियमों में किसी बात के रहते हुये भी अध्यक्ष विशेषाधिकार का कोई प्रश्न परीक्षा, जांच या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकता है।]

यह कहीं नहीं कहा गया है कि यह रूल आठवें चेप्टर तक ही सीमित है और जो रूल इसके अन्तर्गत है उससे इसका संबंध नहीं है बल्कि यह तो एक विशेष अधिकार है जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि उस मामले को कई प्रकार से इस सदन के सामने लाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त रूल ६७ में स्पीकर को यह विशेष अधिकार दिया गया कि जब वह मुनासिब समझें तो वह कमेटी आफ प्रिविलेज के सामने मामले को रखें ।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि रूल १८९ को देखा जाय तो उसके अन्दर जो कार्यवाही की गयी है वह बहुत ही मुनासिब थी और सही थी । सेक्शन १७९ के सब सेक्शन (१) में स्पीकर को यह अधिकार है कि वह आर्डर मेन्टेन करने के लिये किसी भी सदस्य को बाहर जाने के लिये कह सकता है। सब सेक्शन (३) में स्पीकर को यह भी अधिकार है कि वह अपनी आज्ञा को पालन कराने के लिये अधिकार का प्रयोग कर सकता है और फोर्स का उपयोग भी कर सकता है । अभी माननीय सदस्य ने सेक्शन १८९ के सब सेक्शन (२) का चर्चा किया। सब सेक्शन (२) अपने स्थान पर स्वतंत्र है और उसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि जब कभी एक सदस्य को एक सेक्शन के अन्दर दोबारा निकल जाने के लिये कहा जाय तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष उसको नेम कर सकता है और इंगित करने के बाद तत्काल सदन को अधिकार हो जाता है कि उसके अपराध का निर्णय कर दे । लेकिन ऐसी स्थिति में जब इंगित करके उसको दोषी माना गया तो सदस्य को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह अपनी सफ़ाई अच्छी तरह से दे सके । लेकिन अगर इसको इंगित नहीं किया गया बल्कि कमेटी आफ प्रिविलेज के सामने उसका मामला भेजा गया तो वहां उसको अधिकार हो जाता है कि वह अपनी सफ़ाई दे सके। कमेटी आफ़ प्रिविलेजेज की रिपोर्ट जब इस सदन में आये तो फिर यह कहना ठीक नहीं है जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि या तो इंगित किया जाय या दूसरे प्रकार से दंडित किया जाय, दोनों नहीं किये जा सकते हैं । उनको नियम के समझने में कुछ भ्रम हो गया है। यहां प्रश्न सीधा और स्पष्ट है । और वह यह है कि १८९ में जब कार्यवाही हुई तो अध्यक्ष महोदय ने उस कार्यवाही को काफी नहीं समझा और उसके साथ साथ रूल ६७ में कमेटी आफ प्रिविलेजेज के सामने मामले को रखा। अब यह कहना कि अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि कमेटी आफ प्रिविलेजेज के सामने इस मामले को भेजे जबकि सदन में ही दंडित कर दिया गया, यह कहां तक उचित है ? मैं यही निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि वह इस प्रकार से कार्यवाही करे। इसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि इन क़ायदों को देखा जाय जो कि हमारे सदन में प्रचलित हैं, उस इतिहास को देखा जाय जिसके अन्तर्गत हमारी कार्यप्रणाली चल रही है और वह इतिहास हमारे देश का नहीं है बल्कि इंग्लैंड का जिसके पीछे ६ सौ वर्ष पीछे का इतिहास है। उनकी परम्परा हमारे यहां आयी, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जहां तक इस सदन का संबंध है जहां तक इस सदन की प्रणाली का संबंध है अध्यक्ष को बहुत बड़ा अधिकार है और अध्यक्ष के निर्णय में कोई टीका टिप्पणी नहीं लगा सकता। अध्यक्ष का निर्णय उस प्रकार का नहीं है जैसा कि हाई कोर्ट के फैसले हुआ करते हैं । अगर हाई कोर्ट कोई फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के जजों पर पाबन्द हो जाता है और उनको सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा माननी पड़ती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपका जो यहां निर्णय है उन पर पार्लियामेंट के अध्यक्ष जो निर्णय देंगे वह आप पर लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके पूर्व जो निर्णय हुये हैं वह भी कानूनन आपको नहीं बांधते हैं, हालांकि यह सही है कि जब आप अपना निर्णय देंगे तो प्रेसीडेंट को आप देखेंगे कि किस प्रकार के पिछले निर्णय हुये हैं । उन पर आप ध्यान देंगे और आप यही चेष्टा करेंगे कि आप के निर्णय उन पूर्व फैसलों से उल्टे न हों। लेकिन कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप विशेष प्रकार से अपना निर्णय दें। आप अपने निर्णय में पूर्णरूपेण स्वतंत्र हैं और जैसा कि मैंने कहा यह ऐतिहासिक परम्परा है और अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी कार्यप्रणाली में पूरा स्वतंत्र रहे और उसी की स्वतंत्रता से आज हमारे जन राज्य की स्वतंत्र परिपाटी चल रही है।

यदि इस प्रिविलेज के इतिहास को ही देखा जाय, तो यह इतिहास इंग्लैंड के स्पीकरों की कार्य प्रणाली से जो बातें उत्पन्न हुईं, जो सिद्धांत बने उसी से संबंध रखता है। प्रिविलेज का

[श्री शिवनाथ काटजू]

क्या मतलब है ? प्रिविलेज का मतलब यह है कि सदन को पूर्ण अधिकार है और उसके अपने काम में बाहर की कोई शक्ति रोकटोक नहीं लगा सकती। और चाहे वह सदन का सदस्य हो चाहे बाहर का हो, इंग्लैंड के इतिहास में जहां लार्डस और किंग वगैरह उनके काम में दखलअन्दाजी करते थे तो स्पीकर को अधिकार हो जाता था और वह अपने सदन के अधिकार की रक्षा करता था। अध्यक्ष महोदय, एक ऐतिहासिक घटना, मुझे इस वक्त यह याद नहीं है कि चार्ल्स फर्स्टस के समय में थी या दूसरे चार्ल्स फर्स्ट के समय की ही है, शायद कि चार्ल्स पार्लियामेंट के अन्दर घुसे और उन्होंने हाउस आफ कामंस के काम में दखल देने की चेष्टा की तो पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि :

"Sir, I have no eyes to see and no ears to hear but as this House may be pleased to direct....."

और इसी परिपाटी से यह प्रिविलेजेज बढ़े और इन प्रिविलेजों का अर्थ यही है कि जब कोई इस सदन के सदस्य या बाहर के आदमी हमारे सदन के कार्य में बाधा डालें तो इस सदन को अधिकार हो जाता है कि उस बाधा को रोके। इस अधिकार की रक्षा करने वाला यह सदन और उसके अध्यक्ष हैं। तो अगर इन कायदों (Rules) को देखें तो हर जगह चाहे वह प्रश्नोत्तर के समय हो, चाहे वह कामरोको प्रस्तावों के संबंध में हो, किसी जगह भी हो, स्पीकर का डिस्क्रीशन, स्पीकर का निर्णय अन्तिम है, फाइनल है, जैसा कि इस रूल के आखिर में स्पष्ट रूप में कह दिया गया है। मैं रूल २२२ को सामने रखता हूं--

"If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

[यदि इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के निवचन के संबंध में कोई सन्देह उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।]

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी ने जो बातें रखीं और कहीं, वे जहां तक कि विरोध का संबंध हो सकता था वहीं तक की हैं। मैं यह कहूंगा कि उनका कहना कि आपका अधिकार ६७ के अन्दर नहीं था, गलत है। जहां तक नारायण दत्त जी ने जो बातें रखी हैं, जो उन्होंने कोटेशंस दिये हैं तो वह सब मेरे सामने हैं और जो उन्होंने कोटेशंस पढ़े और उसके आधार पर टिप्पणियां कीं उनका उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझता। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक मूल सिद्धांत का प्रश्न है, नारायण दत्त जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह मालूम हो कि स्पीकर के अधिकार के बाहर यह बात थी कि प्रिविलेज कमेटी के सामने यह मामला भेजा गया। अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा और बड़े दुख के साथ निवेदन करूंगा कि जो रवैया यहां अख्तियार किया गया है वह हमारी जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है और एक सदस्य की मान मर्यादा के विरुद्ध है। मेरे माननीय मित्रों ने इस प्रश्न को उसी तरह लिया जैसे कि वे कोई और सरकारी बिल या मंत्रिमंडल से वाद विवाद करने के समय रवैया अख्तियार करते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने इस प्रश्न को अपने और अध्यक्ष के बीच में एक प्रकार का झगड़ा समझा कि हम अपनी बात पर डटे रहें और लोग यह न समझें कि हम दब गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी यदि मैं उनकी जगह होता, सम्भव है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनारायण जी मेरे मित्र हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है वह एक होनहार व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि वह देश की सेवा करेंगे यह दूसरी बात है कि आज मेरा और उनका राजनीतिक मतभेद है,

लेकिन जहां तक उनका त्याग है, जहां तक उनकी सच्चाई है, जहां तक उनकी ईमानदारी है, उसमें मुझे कोई जरा भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं है और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यह जो उन्होंने रवैया रखा और जो बातें उन्होंने कहीं वह इस सदन की मर्यादा के और मान के विरुद्ध हैं। आज अगर वह कहते कि आवेश में और जोश में वह बातें कह गये और उनको नहीं कहना चाहिये था तो अध्यक्ष महोदय में स्वयं, और इस सदन के और सदस्य आप से निवेदन करते कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाय। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई देना ही उचित समझा, वे यह समझे कि दुनियां यह न कहे कि जहां वे माननीय मुख्य मंत्री से नहीं दबते, और मंत्रियों से नहीं दबते, आज वे अध्यक्ष महोदय से भी नहीं दबे और उसी प्रकार खड़े रहे। अध्यक्ष महोदय, यह आपके मान का प्रश्न नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इस विषय का संबंध इस सदन की मर्यादा से है और इस सदन की मर्यादा का पालन करना और मर्यादा की रक्षा करना प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य हो जाता है और उस मर्यादा के प्रतिबिम्ब वे हैं, जो आपकी कुर्सी पर बैठते हैं। आज आप हैं कल कोई दूसरा हो सकता है लेकिन आपकी मान मर्यादा की रक्षा से हम अपने सदन और जनतंत्र प्रणाली की रक्षा करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि जो रुख और रवैया उन्होंने अख्तियार किया है उससे अपना कदम पीछे हटायें और अध्यक्ष महोदय की मान मर्यादा को स्वीकार करें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद और रंज है कि हमारे सदन में इस किस्म के प्रस्ताव को लाने की जरूरत पैदा हुई। मुझे लगभग तीस साल का व्यवस्थापिका सभाओं का अनुभव है और यहां या केन्द्र में कहीं न कहीं जब जेल से बाहर रहा मेरा ताल्लुक इस किस्म की सभाओं से निरन्तर सन् २४ से चला आता है। यह पहली बार है जब कि मेरे अनुभव में सदन के अन्दर अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करने और बल प्रयोग के द्वारा किसी सदस्य के बाहर जाने की अवस्था पैदा हुई। और मुझे खेद है कि हमारे स्वतंत्र भारत में जबकि आजादी हासिल कर ली और जब हमने डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, लोकतंत्र शासन प्रणाली को मान लिया जिसमें कोई दल किसी समय भी सत्तारूढ़ हो सकता है और तब इस तरह का प्रश्न हमारे सदन में पैदा हो सके। यह किसी व्यक्ति से ताल्लुक नहीं रखता। सारे सदन की मान-मर्यादा का सवाल है। हम में से हर एक को लाभ इस सदन की मान मर्यादा के सुरक्षित और महफूज रहने से ही हो सकता है। अगर हमारा सदन अपना काम अच्छी तरह से न कर सके और हम आपस में इस तरह से उलझ जायं कि जो सदन का काम है वह शांति से न चल सके, तो उससे काम में भी विलम्ब होता है, सदन का मान भी गिरता है और हम लोगों में से हर एक को उससे कुछ न कुछ नुकसान पहुंचता है। आज जो हमारे सामने यह सवाल है, हमको इस तरह से देखना है कि इस सदन की मान-मर्यादा से ही हम में से हर एक का नफा है और उसकी रक्षा होने से ही हम में से हर एक की रक्षा हो सकती है। इस तरह हमको जहां तक संभव हो सके बेलाग और निष्पक्ष होकर इन मसलों पर विचार करना है और हमें एक तरफ से अपने को इस सदन का सदस्य समझते हुये और दूसरी तरफ से इस बात को न भूल कर कि यदि हम ही श्री राजनारायण जी की जगह में होते तो क्या होता, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि जो मौलिक और बुनियादी बातें हैं, वह साफ हैं और उनके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। एक तो हमें यह याद रखना है कि यह सवाल जो आज प्रिविलेज का पैदा हुआ है वह सदन के सदस्यों से ताल्लुक रखता है, बाहर वालों

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

से नहीं, दूसरे यह कि सदन के एक उत्तरादायी सदस्य से जो कि यहां के विरोधी दल का नेता है, बदकिस्मती से उनके व्यक्तित्व से भी यह संबंध रखता है और तीसरी बात यह कि जो यह प्रिविलेज का सवाल उठा यह किसी ऐसी बात पर नहीं है जो कि बाहर कहीं हुई हो और जिसको सदन के सदस्य जानते न हों, जिनके बारे में उनको दूसरों से जानकारी हासिल करनी हो बल्कि ऐसी घटना के बारे में है जो उनके सामने हुई और जो उन्होंने देखी और जो सदन के भीतर हुई। इसलिये यहां कोई वाकयात के बारे में वास्तव में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं। जो हुआ उसे सबने देखा और उसके लिये बहुत ज्यादा खींचातानी करना बेकार सी बात है। फिर सवाल यह हो जाता है कि क्या हुआ, ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ। या नहीं हुआ। अभी तक मैंने जो भी भाषण सुने किसी ने यह नहीं कहा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ। अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो ब्रीच आफ प्रिविलेज होने पर किसको उसके बारे में दंड देना है। बहुत सी बातें एक मर्तबा और दो मर्तबा दंड देने की कहीं गयीं मगर यह हमें याद रखना है कि दंड केवल यह सदन दे सकता है, अध्यक्ष और स्पीकर भी नहीं दे सकते। स्पीकर को अधिकार है कि वह उन बातों को करें कि जिससे सदन की शांति बनी रहे और सदन का काम चले मगर कहीं पर अगर कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है तो उसकी सजा केवल यह सदन दे सकता है। और उस प्रश्न को यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है, तो कोई भी सदस्य इस सदन का उठा सकता है। यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और उसके उठाने में देरी नहीं हुई तो फिर अध्यक्ष के लिये यह उचित और आवश्यक हो जाता है कि वह मोशन को मंजूर करें और उसके मातहत अमल करें। ऐसी हालत में जब यह मान लिया गया कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ मैं समझता हूं कि इस बारे में भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस सदन ने ब्रीच आफ प्रिविलेज के लिये किसी को दंड अब तक नहीं दिया। सदन ही दंड दे सकता है, यदि वह बात भी मान ली जाय तो फिर तो सीधा सा सवाल हो जाता है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज दंडनीय है, दंड देने का अधिकार केवल इस सदन को है, ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो फिर दंड देना इसका कर्त्तव्य है, या नहीं है। यह उदारता से उस प्रश्न को देख कर यह कह दे कि हम माफ करते हैं, यह इसी को अधिकार है परन्तु इसके अतिरिक्त किसी दूसरे आदमी को अधिकार नहीं है कहने का, कि माफ करते हैं और छोड़ते हैं और केवल इसको ही यह अधिकार है कि यह कहे कि इसके बारे में यह दंड देते हैं। इसलिये जो दुगने तिगुने और चौगुने दंड की बात कही जाती है तो मौलिक बातें भूल जाती हैं। श्री नारायण दत्त जी ने मई की किताब का एक पन्ना बतलाया था, उस पन्ने की ओर मैं नारायण दत्त जी का और आपका ध्यान दिलाता हूं। यह पन्ना उन्होंने बतलाया ३६४, इस पन्ने में लिखा है।

"The right of making a complaint of breach of privilege is open to any member of the House and, even if an individual member is affected, is not confined to that member."

फिर नीचे है।

"It has often been laid down that the Speaker's function in ruling on a claim of breach of privilege is limited to deciding the formal question whether the case conforms with the conditions which alone entitle it to take precedence of the notices of motions and orders of the day standing in the Order Paper of public business and does not extend to deciding the question of substance whether a breach of privilege has, in fact, been committed a question which can only be decided by the House itself."

तो यह सब्सटेंटिव सवाल कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं, केवल सदन ही तय कर सकता है, मुताबिक उस पन्ने के जो कि नारायण दत्त जी ने बहुत भरोसे और

विश्वास के साथ इस सदन के सामने रखा है। लिहाजा उसके मुताबिक इस सदन का ही यह कर्त्तव्य और सत्व और अधिकार है।

इस संबंध में कुछ बातें कही गयीं कि परिस्थिति कैसे पैदा हुई। उससे कोई विशेष संबंध नहीं है। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि अगर अध्यक्ष के किसी निर्णय के बारे में किसी को शंका भी हो और कोई यह भी समझे कि नहीं यह १६ आने नहीं, २० आने गलत है, तो भी उसका कर्त्तव्य यही होता है कि वह उसे माने, नहीं तो सदन का काम सामूहिक तरीके पर नहीं चल सकता। इसके लिये बहुत ज्यादा नियमों का उल्लेख करना अनावश्यक है। कोई भी पंचायत या सदन हो, जो उसका अधिष्ठाता बनाया जाता है, यदि उसकी आज्ञा के मुताबिक उसके काम का संचालन न हो तो वहां काम नहीं चल सकता और न उसकी प्रतिष्ठा या मान मर्यादा ही रह सकती है। हमारे नियम बहुत साफ हैं और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में और दुनिया की पार्लियामेंटों में भी यही है। लिहाजा इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। जिस तरह से यह मामला पैदा हुआ वह सबको मालूम ही है। कुछ उसके बारे में मंगला प्रसाद जी ने भी राजनारायण जी से जो बातें हुईं वे बताईं। अध्यापकों का मसला बहुत दिनों से चल रहा है। ४ मार्च से पहले भी कई दफा उसके बारे में यहां बहस हो चुकी है। ४ मार्च को अध्यापकों को हटाया गया। किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि उनको चोट लगी या कोई अत्याचार किया गया उस दिन ४ तारीख को पुलिस और एजूकेशन का बजट आने वाला था। पुलिस में एक कट लाकर इस सवाल को उठाया जा सकता था। एजूकेशन में भी कोई कट लाकर उसे उठा सकता था। एडजर्नमेंट मोशन बजाते खुद कुछ बहुत गैरमामूली बात होती है। एडजर्नमेंट मोशन के बारे में जो शर्तें हों उनको वेव (Waive) करने को कहा जाय और यह कि ३६ आदमी नहीं मिलते हैं तो १६० आदमी हमारे साथ होंगे, तो यह कोई युक्तिसंगत बात नहीं है और समझ में नहीं आ सकती।

जो आदेश बार-बार अध्यक्ष ने दिये उनका उल्लंघन किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि आप चुप हो जाइये, वह बोलते ही गये। अध्यक्ष ने कहा कि अब आप बैठ जाइये, वह खड़े ही रहे उन्होंने कहा कि आप बिदड्रा कीजिये, उन्होंने कहा नहीं, हम बिदड्रा नहीं करेंगे। फिर बाद को कहा कि बल का प्रयोग करना पड़ेगा और पुलिस वाले आये तो उन्होंने कहा कि जब तक बल का प्रयोग नहीं करोगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि कहा गया है कि बल का प्रयोग किया जायगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके पर उन्होंने कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज किया या नहीं। इस पर दो राय नहीं हो सकतीं। उन्होंने किया।

अब कहा जाता है कि क्योंकि यह कहा गया था कि तुम विदड्रा हो जाओ लिहाजा और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। बिदड्रा हो जाने को कहना तो एक ऐसी चीज थी जो सदन की कार्यवाही करने के लिये जरूरी थी न कि उनको किसी प्रिविलेज के ब्रीच की सजा देने के लिये। अगर कोई खड़ा हो कर बोलता ही जाय तो उनको अलग करना अध्यक्ष के लिये अनिवार्य हो जाता है ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। दंड देना दूसरी बात है और कार्यवाही चलाने के लिये उचित उपाय करना दूसरी बात है। इसलिये जो किया गया वह तो स्पीकर का कर्त्तव्य था। रूल्स आपके सामने बहुत पढ़े गये हैं। लिहाजा मुझे उनको पढ़ना नहीं है। वह "आर्डली' तरीके पर कार्यवाही करें और जरूरत हो तो विदड्रा करायें मेम्बर को, अगर कोई कार्यवाही और करना पड़े और उसके लिये फोर्स लाने की जरूरत पड़े तो फोर्स बुलायें। लिहाजा स्पीकर ने जो कुछ किया वह तो सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चलाने के लिये किया। लिहाजा इसमें दंड देने की बात कहीं नहीं आती है।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

यह कहा जा रहा है कि विदड्रा करने के लिये कहा गया इस लिये सजा हो गई। विदड्रा कराने की बात तो जब कही गई उसी समय लागू हो गई। लेकिन उन्होंने उस समय विदड्रा नहीं किया। अगर वह विदड्रा कर लेते तो भी उस दिन वह सदन में नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने विदड्रा नहीं किया और पुलिस लाकर उनको विदड्रा कराना पड़ा। यह तो एक बड़ी भारी अवहेलना की बात थी। अगर वह विदड्रा करने का हुक्म मान लेते तो जो घटना उसके उल्लंघन के कारण हुई वह नहीं होती। लिहाजा जहां तक यह हिस्सा है यह बिलकुल ही नया है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उससे यह कहना कि दंड हो गया, निराधार बात है। परन्तु जो विदड्रा करने की बात कही गई तो उन्होंने विदड्रा नहीं किया और पुलिस ने आकर उनको विदड्रा कराया। उसी वक्त स्पीकर ने कहा कि मैं इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजता हूं क्योंकि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ था, तो स्पीकर को अधिकार है कि वह यह कह दे कि ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ है और मैं चाहता हूं कि हाउस सजा दे तो हाउस उनको ससपेंड कर देता। जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा कि इंगलैण्ड में किया गया है वह तुरन्त ही सस्पेंड हो जाते, एक लफ्ज भी कहने का उनको मौक़ा नहीं मिलता। लेकिन स्पीकर साहब ने ज्यादा रिआयत की और एक अच्छा और सुघड़ रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजता हूं। वहां पर ठंढे दिल से लोग इस पर सोच सकेंगे। यहां पर तो कुछ गर्मी आ गई थी। वहां पर इस पर विचार करके प्रिविलेज कमेटी अपना मत देगी। ऐसी हालत में जो चीज वह तुरन्त उनके विरुद्ध कर सकते थे उसको उन्होंने नहीं किया और एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसमें ज्यादा ठंढे दिल से उनके पक्ष में निर्णय करने का मौका हो सके। इसके लिये यह कहना कि यह हाउस के जुरिसडिक्शन के बाहर है या प्रिविलेज कमेटी के जुरिसडिक्शन के बाहर है, ठीक नहीं है। असल में बात तो यह है कि हाउस सब कुछ कर सकता है जिसका निषेध ला और कांस्टीटयूशन में नहीं है। किसी ने कहा कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज को हाउस कमेटी को नहीं भेज सकता, तो कौन सी वजह है कि हम अपने घर की बात नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हाउस यदि दस दफा सजा देना चाहे तो दे सकता है। यह बात दूसरी है कि हाउस खुद सोचे कि एक दफा सजा दी जा चुकी है तो दूसरी दफा सजा न दें। लिहाजा इस मामले को टेढ़ा बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ है।

ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है और इसके लिये एक अच्छा और सुघड़ तरीका बरता गया। इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया ताकि वहां पर कमेटी इस मामले को अच्छी तरह से देखे और रिपोर्ट पेश कर सके। कमेटी ने सब पहलुओं पर कानूनी वाक़ेआत पर भी इस मामले में ग़ौर किया और इसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन मुझे खेद है कि श्री गेंदा सिंह जी ने ऐसी बातें लिखी हैं जो किसी सदस्य के लिये लिखना उचित नहीं है। इसमें इस तरह की बातें कही गई हैं कि इसमें दोष था स्पीकर का। यदि वह ज्यादा दानिशमंदी से काम करते तो ऐसा नहीं होता। अगर वह इजाजत दे देते उस एडजर्नमेंट मोशन को लाने की तो बात ही न होती। हां अगर हर आदमी यह चाहे कि जो मैं चाहता था वही अध्यक्ष कर दे तो फिर हम लड़ते क्यों, तो यह तो जरूर सही बात है। तब तो फिर यह हो जाता है कि अगर अध्यक्ष किसी की बात को न मानें तो जिसकी न मानें वही लड़ पड़े और जब लड़ पड़े तो कहा यह जाय कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी।

फिर यह भी कहा गया कि उनको बल से हटाया गया यह औचित्य की बात है या नहीं, यह वाद विवाद की बात है। अगर कोई हटे नहीं तो क्या किया जाय? कहा जाता है कि सब के सब हट जाते तो अच्छा मगर उसे बोलते ही रहने देना चाहिये चाहे यहां कोई न रहे। यह ठीक है, मगर सब को तकलीफ़ देने के मुकाबले में यह बेहतर है कि जो ग़लत काम करता हो

उसको ही मौक़ा दिया जाय कि जरा अच्छी तरह से अलग हो कर समझ ले, देख ले कि हमने ग़लती की है । इसलिये इसमें कोई दोहरी तेहरी की बात नहीं है। यह एक सीधी सी बात है, ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला है और रूल्स में स्पीकर की पावर्स पर किसी तरह की रूकावट नहीं है । रूल तो साफ है कि स्पीकर किसी भी ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामले को जब चाहे तब प्रिविलेज कमेटी को भेज सकता है तो फिर इसमें उसके हाथ कैसे बधेंगे? इसलिये कि यह इतना ज्यादा ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का मामला था कि हर एक को यह लगेगा कि हां, ऐसी बात कैसे हुई? तब तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। लेकिन उनको अधिकार था और उन्होंने ठीक बात की ।

अब एक सवाल उठाया गया कि दोहरी सजा दी गयी। मैंने कहा कि दोहरी नहीं है। वह तो अभी कोई सजा हुई ही नहीं । पहली बात तो आर्डर मेनटेन करने की बात थी। दूसरे में स्पीकर को अधिकार था कि उसी वक्त यहां हाउस के सामने ऐसा मोशन करवाते कि इनको अभी सस्पेंड कर दिया जाय इस सेशन के लिये। उसके बदले में उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं प्रिविलेज कमेटी को इस प्रश्न को भेजता हूं। किसी ने न उस दिन न दूसरे दिन यह आपत्ति की कि प्रिविलेज कमेटी को क्यों भेजते हैं, अब यह मसला खत्म हो गया। यानी इस हाउस ने इस बात को मंजूर किया कि यह मसला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय और वह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया और आज उसने अपनी रिपोर्ट भेजी है। लिहाजा वह कैसे नाजायज हो जाती है, इसलिये कि इस ढंग से यह कार्यवाही की गयी?

एक बात यह कही गयी कि यह दो तरह से सजा हो जाती है कि क्योंकि हमारे कांस्टीटयूशन के खिलाफ़ है और कांस्टीटयूशन का आर्टिकिल २० पढ़ा गया। उसमें यह दिया हुआ है :

"No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once."

[कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित न किया जायगा।]

मुझे तो मालूम नहीं कि एक दफा उनका प्रासीक्यूशन हो चुका है। प्रासीक्यूशन एक खास तरह की चीज है आदमी के खिलाफ शहादत होती है, उसका बयान लिया जाता है, उसकी सफ़ाई सुनी जाती है और फिर उसको दंड दिया जाता है। तो ऐसा ट्रायल कहां हुआ, कहां प्रासीक्यूशन हुआ और उस प्रासीक्यूशन में कौन सा आफेंस था और उस आफेंस में क्या सजा दी गयी? फिर दूसरा प्रासीक्यूशन कहां हुआ। जब तक कि एक दफा प्रासीक्यूशन होने की बात साबित न हो तब तक दूसरी दफा कोई प्रासीक्यूट होकर सजा पा रहा है यह कैसे और इस सेक्शन के किस हिस्से में आता है, यह मेरी समझ में कोई बात आती नहीं ।

"Shall not be prosecuted more than once and shall not be punished more than once."

तो राजनारायण जी या जगन्नाथ मल्ल जी या रामनारायण जी क्या एक दफा प्रासीक्यूट हो चुके हैं? हो चुके हैं तो प्रासीक्यूशन में किस किस ने शहादत दी, किसने बहस की और फिर उसमें क्या जजमेंट प्रोनाउन्स हुआ? मुझे तो कोई मालूम नहीं। लिहाजा यह बात लाना और इन कांस्टीटयूशन को इसमें ड्रैग करना यह बेमानी बात है, यह कहीं पर आता नहीं।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

फिर देशपाण्डे जी का सवाल उठाया गया और कहा गया कि देशपाण्डे जी के मामले में तो रिआयत की गयी। मैं रिआयत के खिलाफ़ नहीं हूं। राम नारायण जी ने जैसा बयान दिया वह ऐसा है जिसको आदमी समझ सकता है। मगर राज नारायण जी भी कहें और मैं समझता हूं कि अगर वे यह मान लें कि उनसे ग़लती हुई तो फिर ग़लती तो इंसान से होती है और बाज़ वक्त कई कारणों से हो जाती है, कई कारणों से होने के जो भी वजूह हों जब काफ़ी वक्त मिल जाता है तो वह देख सकता है कि क्या होना चाहिए। उनको मौक़ा मिला, वे प्रिविलेज कमेटी में कहते कि उनसे ग़लती हुई या आज ही यहां कहते। इसी तरह से जगन्नाथ मल्ल जी को भी मौक़ा मिला, उन्होंने भी नहीं कहा कि मुझसे ग़लती हुई, लेकिन उन्होंने तो कहा कि मैंने जो कुछ किया अपना कर्त्तव्य समझकर किया। यह बड़ी विकट सी बात हो जाती है। कर्त्तव्य समझकर कहा जाय कि अध्यक्ष पक्षपात से काम करता है, निष्पक्षता से काम नहीं करता, अगर ऐसा लोग कर्त्तव्य समझें तो हाउस का काम कैसे चल सकता है। इसके लिए क़ानून साफ़ है। अगर आपको अध्यक्ष के खिलाफ़ शिकायत है तो आप इंसिडेंटली नहीं कह सकते और न उस तरह से कर सकते हैं जैसा कि रिपोर्ट में किया गया है। उसके लिए आप को सब्स्टेंटिव मोशन लाना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है। यह नहीं कि स्पीकर को रक्खा जाय और उसके नीचे की ज़मीन कुरेदी जाय। अगर ऐसा होगा तो सदन का काम कैसे चल सकेगा। इसके लिए क़ानून और क़ायदा सब साफ है।

देशपाण्डे जी का भी हवाला दिया गया। देशपांडे जी बोल रहे थे, जब वे नहीं माने तो स्पीकर ने सारजेंट को बुलाया, लेकिन उन्होंने तुरन्त कहा कि मुझसे ग़लती हुई, मेरी ग़लती माफ़ की जाय। उन्होंने तुरन्त ही माफ़ी मांग ली। इस पर भी स्पीकर ने कहा कि आप बाहर जाइए तो वह बाहर चले गये। उन्हें पुलिस को नहीं खींचना पड़ा। लेकिन यहां आज तक माफ़ी नहीं मांगी गयी, न किसी से यह कहा कि ग़लती हुई। वहां पुलिस से भी अपने को नहीं खिचवाया गया। इसलिए वहां के मुक़ाबिले से कोई नफ़ा नहीं निकलता है, वह किसी प्रकार भी फ़ायदेमन्द साबित नहीं हो सकती।

कुछ दो सजाओं के बारे में भी कहा गया और मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया। लेकिन सब लोगों ने यह देखा और नारायण दत्त जी ने यह स्वीकार किया कि १९३१ में ऐसा केस हुआ कि एक आदमी को वहां निकाला गया और बाद को स्पीकर ने अनाउन्स किया कि पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करता हूं। एक चीज़ अपना असर दूसरी पर नहीं रखती। ये दोनों चीजें अलाहिदा हैं। इस लिए अगर कहीं पर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर यह हाउस की ड्यूटी है कि वह फ़ैसला दे। इसके अलावा और सब बातें ग़ैर मुताल्लिक़ हैं। इसलिए मेरी हाउस से मजबूरन यह दरख्वास्त है कि जो तजवीज़ हमारे सामने श्री राधामोहन सिंह ने रक्खी है उसे आप मंजूर कीजिए क्योंकि उसे मानने के अलावा और कोई दूसरा ज़रिया रह ही नहीं गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण सुना। मैं अपनी कम समझी कहूं, उस से यह न समझ सका कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जब यह कहा कि किसी को सदन के बाहर निकाल देना या सस्पेंड कर देना, यह कोई सजा नहीं होती है, क्योंकि उसका प्रासिक्युशन कहां हुआ, कौन गवाह उसके लिए पेश किया गया? उसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने देश पांडे का हवाला देते हुए हमें यह बतलाया है कि जब देशपांडे जी बोलते रहे और वहां पर डिप्टी स्पीकर ने सार्जेन्ट ऐट आर्म्स बुलाया तो जो वे खड़े थे, बैठ गये, और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वहां के डिप्टी स्पीकर महोदय ने उसको काफ़ी न समझ कर उनसे उस सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया और उस दिन उस सदन के अन्दर नहीं आने दिया। यही एक सजा हुई, और इसी सजा की बात को हमारी प्रिविलेज कमेटी ने हमारे सामने रखा और यह कहा कि देहली में तो वैसे ही सजा वहां के डिप्टी स्पीकर महोदय ने पार्लियामेंट के एक मेम्बर को दी है।

तो फिर क्या वह सजा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, सवाल आज बड़े महत्व का है। आज दुनिया के अन्दर जितनी पार्लियामेंट्स हैं, जहां-जहां पार्लियामेंट्स हैं वहां के पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है जहां कि सदस्य को एक ही जुर्म के लिए दो सजा मिली हों। इस सचिवालय द्वारा जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके पेज १९ में भी यह है :

"Efforts have been made to obtain precedent of exactly similar nature in the British House of Commons. But no such case has yet come to notice. In fact it is very difficult to get a list of all cases of breaches of privilege in the House of Commons as no book is exhaustive on the subject."

इसलिए ऐसी कोई मिसाल हमें अभी तक नहीं मिली है। फिर उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने एक ऐसा प्रश्न आया है जिस प्रश्न पर हम जो भी फ़ैसला करेंगे आगे के इतिहासकार उसे भी देखेंगे। हम यहां पर बहैसियत किसी पार्टी मेम्बर के नहीं बैठे हुए हैं बल्कि हम सब इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। अगर आज मैं माननीय शिवनाथ काटजू से कुछ ऐसा भाषण सुनता जिसमें वे कुछ कहते कि सजा ज्यादा हो गयी है, कम की जाय, ऐसा वे कह सकते थे, क्योंकि उनको ऐसा अधिकार है। ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ, वे कह सकते थे, लेकिन उधर के किसी सदस्य से अगर मैं ऐसा सुनता कि थोड़ी सी सजा कम की जाय, कुछ उसमें तब्दीली होनी चाहिए, तो मुझे इस बात का भरोसा होता कि यहां हम सब मिल कर निष्पक्ष भाव से जज की हैसियत से इस मामले में फ़ैसला करने के लिए आये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इस पर डिस्पेशनेटली विचार नहीं किया गया। सब से ज्यादा दुख मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण को सुन कर हुआ। जो कुछ कि उस दिन हुआ है उस पर प्रिविलेज कमेटी ने इस सदन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसमें कुछ थोड़ी सी तरमीम पेश की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इस लिए मैं अब भी कहूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, हम सभी इस सदन के माननीय सदस्य इस बात का फ़ैसला करें कि आया आगे के इतिहासकार जब कभी भी उत्तर प्रदेश की इस कार्यवाही को देखें तो कोई ऐसा प्रेसिडेंस न क़ायम करें कि जिससे आगे के लिए उसकी हंसी हो। जिस से कि आगे के लोग हम पर हंसें। अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि जो कुछ उस दिन हुआ वह सब को मालूम है। उसके बारे में कुछ लम्बा चौड़ा कहना मैं ठीक नहीं समझूंगा। मैं यह भी मानता हूं कि किसी के दिल में यह भावना हरगिज नहीं थी कि माननीय अध्यक्ष महोदय की शान के ख़िलाफ़ हम लोग कोई बात इस सदन में करते, न कभी आगे करेंगे। यह मैं विश्वास अध्यक्ष महोदय को दिलाना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि उस दिन भी अध्यक्ष महोदय ने जो कार्यवाही की उस से भी साफ़ यह मालूम होता है कि उस से ज्यादा वह कुछ नहीं करना चाहते थे। जो अधिकार उनको १८९ में था उसके अनुसार वह नेम कर सकते थे और उसके बाद सदन के नेता प्रस्ताव ला सकते थे कि उनको सस्पेंड किया जाय। लेकिन उस दिन वैसा हाउस में नहीं किया गया। उससे मैं यह समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने उन तीनों सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा और जब वे नहीं गये तो पुलिस द्वारा उन्हें सारे दिन के लिए बाहर करवा दिया ताकि वह फिर सदन में न आ सकें। मैं समझता था कि अध्यक्ष महोदय ने यह सजा उनके लिए काफ़ी समझी। अध्यक्ष महोदय मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि आया वह ब्रीच आफ़ प्रिविलेज थी या नहीं थी, लेकिन जैसा राम नारायण जी ने कहा उस दिन वह प्रोवोक्ड हो गये थे। ब्रीच आफ़ प्रिविलेज के लिए साफ़ कहा गया है :

"Members persistently and wilfully obstructing public business without just and reasonable cause are guilty of the contempt of the House of Commons".

माननीय राम नारायण जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने साफ़ कह दिया कि हमारी कभी यह इच्छा नहीं थी। बाहर कुछ ऐसे इंसिडेंस हो गये थे जिससे वह इतने प्रोवोक्ड

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

हो गये थे जिसकी वजह से वह यह समझते थे कि कोई ज्यादती गवर्नमेंट की तरफ़ से हो रही है और उस प्रोवोकेशन में उन्होंने ऐसा किया जिसे वह समझते थे कि यह जस्ट ऐन्ड रीजनेबिल ग्राउन्ड था कि वह प्रोवोक्ड हो गये। सदन दूसरा फ़ैसला कर सकता है कि वह उससे एग्री नहीं करता कि वह प्रोवोकेशन जस्ट और रीजनेबिल नहीं था। यह तो सदन के सदस्य इस वक्त फ़ैसला करेंगे लेकिन उन्होंने साफ़ कहा कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी अवहेलना करने की। जब उनकी यह मंशा नहीं थी और उनको बाहर कर दिया गया और वह दिन भर सदन में नहीं आ सके, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहूंगा कि उनको काफ़ी सजा उस चीज़ की मिल गयी और उस सजा के बाद फिर इस बात पर जिद करना कि उन्हें फिर सजा दी जाय यह न्यायसंगत न होगा। ब्रीच आफ़ प्रिविलेज कमेटी के पास अध्यक्ष महोदय, आपका इसे भेज देने से ही मैं समझता हूं कि आपकी कभी भी यह मंशा नहीं थी कि ब्रीच आफ़ प्रिविलेज कमेटी उस पर कार्यवाही करे। मैं इसलिए ऐसा समझता हूं कि अगर आपका ऐसा इरादा होता तो आप नेम कर सकते थे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को नेम करने का अधिकार था। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने नेम नहीं किया उससे मैंने यह नतीजा निकाला कि अध्यक्ष महोदय, का कभी भी यह मंशा नहीं था कि इन सदस्यों के विरुद्ध और भी कार्यवाही की जाय। अगर कोई ऐसा इरादा माननीय अध्यक्ष का होता तो उस वक्त माननीय हाफ़िज जी यहां बैठे हुए थे और जब अध्यक्ष महोदय ने माननीय राज नारायण और राम नारायण त्रिपाठी का नाम लिया तब क्या हाफ़िज जी यह नहीं जानते थे और आपके नाम लेते ही क्या वह सदन के सामने एक प्रस्ताव नहीं रख सकते थे कि इन सदस्यों को सस्पेंड किया जाय। इसलिए यह तो साफ़ बात थी, गो कि जगह-जगह हमारे कार्यवाही सभापति ने भी अपनी राय प्रकट की है जो कि प्रोसीडिंग्स में है कि शायद नेमिंग हुआ था। उसमें कुछ कन्फ्युजन है। माननीय बालेन्दु शाह जी कहते हैं कि नेमिंग हुआ जब कि चरण सिंह जी भी कहते हैं कि नेमिंग हुआ। यह कन्ट्रोवर्शयल मैटर है। लिहाजा अध्यक्ष महोदय ने जो सजा उस दिन दे दी और हाउस के बाहर उनको कर दिया वह सजा अध्यक्ष महोदय काफ़ी समझते थे।

अब अध्यक्ष महोदय, ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ या नहीं हुआ उसको तो यह सदन तय करे लेकिन मैं यह कहता हूं कि आज राम नारायण जी ने जो इस हाउस में कहा है उस पर आप सब लोग जरूर विचार करें।

अब मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के मामले को सामने रखना चाहता हूं। अभी तक किसी ने उसके बारे में नहीं कहा। ५ तारीख को जब सचिव ने रिपोर्ट की कि जगन्नाथ मल्ल ने भी विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो आपने हुक्म दिया कि उसको भी विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय। उस पर लिखा है कि "श्री जगन्नाथ मल्ल ने भी तदनुसार उस दिन की बैठक में श्री अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन किया और विशेषाधिकार की अवहेलना की"। इस पांच तारीख वाली चिट्ठी में भी कहीं पर अध्यक्ष महोदय यह नहीं लिखा है कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने अध्यक्ष पर कोई ऐसा आरोप किया है कि वह पक्षपात कर रहे हैं। यह बात सब से पहले १७ तारीख को प्रिविलेज कमेटी के अन्दर मालूम होती है। इसलिए हमारा कहना है कि यह माननीय जगन्नाथ मल्ल का अध्यक्ष के प्रति पक्षपात की बात ऐट दि अलियस्ट अपरचुनिटी इस सदन के सामने आनी चाहिए थी। जो कि नहीं आयी। इस सम्बन्ध में मैं पहले तो रूल ४४ को पढ़ता हूं :—

"A breach of privilege, either of a member or of the House or of a Committee thereof, may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House :

(1) by a complaint from a member;

(2) by a report from the Secretary.

[किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से--

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,

(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा सदन की सूचना में लाया जा सकता है]।

तो पांच तारीख को यह पहली रिपोर्ट सेक्रेटरी की थी। उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? अब जब यह रिपोर्ट सचिव की हो जाती है तब रूल ५४ कहता है--

"Report by Secretary—When the Secretary has to make a report complaining a breach of privilege, the Speaker shall, if he gives his consent, acquaint the House of it. The Secretary shall then read his report to the House. The House may take the report into consideration at once or at some future time within which the report may printed and suppilied to members."

[सचिव का प्रतिवेदन--जब सचिव के विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में प्रतिवेदन करना हो तो अध्यक्ष यदि वह इस के लिए सम्मति दे, सदन को इसका बोध करायेगा। तब सचिव सदन को अपना प्रतिवेदन पढ़कर सुनावेगा। सदन उस प्रतिवेदन पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में जिसके भीतर प्रतिवेदन मुद्रित किया जा सके और वह सदस्यों को दिया जा सके, विचार कर सकता है।]

तो पांच तारीख को जो रिपोर्ट माननीय सचिव ने माननीय अध्यक्ष महोदय को दी और आपने उस पर हुक्म दिया कि इसको भी विशेषाधिकार समिति को दिया जाय और उसमें कहीं भी चर्चा नहीं है कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने आप पर कोई पक्षपात की बात कही है। सचिव की रिपोर्ट नहीं पढ़ी गयी। इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रिविलेज कमेटी को इस बुनियाद पर कि आया जगन्नाथ मल्ल जी ने आप पर कोई पक्षपात का आरोप किया है या नहीं, उस पर पहले विचार करे, इस के पहले यह सोचा जाय यह अलग मसला है और ऐट दि अलियस्ट अपरचुनिटी कब चार्ज उन पर लगाया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय, साफ़ कह देना चाहता हूं कि जगन्नाथ मल्ल जी ने जो पक्षपात की बात कही है, उसको माननीय सदस्य जो कमेटी में बैठ रहे थे, उन्होंने प्रेजुडिस्ड हो कर . . . .

श्री अध्यक्ष--'प्रेजुडिस्ड हो कर' यह जो आप शब्द कह रहे हैं यह भी एक ब्रीच आफ़ प्रिविलेज है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं जो कह रहा था अगर आप उसे ब्रीच आफ़ प्रिविलेज समझते हैं तो मैं वापस लेता हूं। मैं तो यह कह रहा था कि जिस तरह से १७ तारीख को यह चीज आयी, अगर आप इजाजत दें तो मैं रिपोर्ट पढ़ दूं। उसमें साफ़ कहा गया है कि जब वे बुलाये गये और उनसे कार्यकारी सभापति ने कहा कि आपके ऊपर यह भी चार्ज है कि आपने स्पीकर के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया है और आपने यह कहा है कि गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है और आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं। तो इसमें आपने यह कहा है "गवर्नमेंट तो ज्यादती कर रही है परन्तु आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं। यह पक्षपात का आरोप आपने स्पीकर पर लगाया है। इसके संबंध में आप की क्या राय है कि यह अवहेलना है या नहीं।"

श्री जगन्नाथ मल्ल कहते हैं कि मेरे ऊपर ये चार्ज नहीं है।

इसके बाद कार्यकारी सभापति कहते हैं कि चार्ज अभी किसी पर कुछ नहीं लगाया गया है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपने जो स्पीकर के संबंध में ये विचार प्रकट किये कि आप

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

भी उसका पक्ष ले रहे हैं अर्थात् पक्षपात कर रहे हैं या पार्श्यलिटी का जो आरोप है किसी सदस्य के लिये स्पीकर के संबंध में ऐसी बात कहना, क्या यह सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। इसका जवाब बहुत स्ट्रेट दे दीजिये कि हां या नहीं।

इस पर जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि वह तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो हमको जवाब देना है हमने उस पर पूरा विचार किया नहीं है और न किसी अपने वकील से राय की है।

इसके संबंध में मेरा कहना यह है कि उसके ऊपर दो चार्ज लगाये गये हैं उनमें से ५ तारीख को जो चार्ज लगाया गया है वह तो सिर्फ आज्ञा की अवहेलना का प्रश्न था। विशेषाधिकार समिति में जाने के बाद विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार नहीं था कि वह इस प्रश्न को भी उठाये और तो सब बातें बराबर ही थीं लेकिन वह पक्षपात की बात उनके लिये अलग से उठाई गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आप के जरिये प्रार्थना करूंगा कि इस पर खूब विचार करना है। मैं तो यह महसूस करता हूं कि अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो उसकी सजा उनको काफ़ी हो चुकी है। और माननीय रामनारायण जी ने सफ़ाई अपने इस मामले में दे दी है। जगन्नाथ मल्ल जी को तो सजा भी बहुत दी जा रही है पता नहीं यह सत्र कब तक चले.....

श्री अध्यक्ष---आप ग़लत कह रहे हैं कि उनको सजा दी गयी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जी हां, अभी जो सजा यह सदन देने जा रहा है या सजा देने की बात पर विचार कर रहा है इसके ऊपर हम बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---क्या जो आरोप उनके खिलाफ लगाये गये हैं वह उनको विदड्रा करते हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, जो अवहेवलना हुई है उसके लिये सजा तजवीज यहां पर की जा रही है। उन्होंने जो स्पष्टीकरण था वह दे ही दिया है। अब आप जो भी उचित समझें करें लेकिन मेरी प्रार्थना इतनी जरूर है कि इस पर डिस्पैशनेटली विचार करने की बहुत आवश्यकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल---अब मैं क्लोजर उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन में इस मामले में काफी बहस हो चुकी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी का जो प्रस्ताव है वह उचित नहीं मालूम होता है और उन्होंने अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं बतलाई जिससे यह मालूम हो कि यह प्रतिवेदन पुनर्विचार के लिये भेजा जाय। फिर भी मैं समझता हूं कि यह मसला सदन के निर्णय के लिये उपस्थित है और सदन को पूरा अधिकार है कि वह इसको पुनर्विचार के लिये विशेषाधिकार समिति में भेजे जाने की बात को माने या न माने। मैं यह समझता हूं कि इसको फिर वापस समिति में भेजने की जरूरत नहीं है। समिति ने इसके ऊपर काफी विचार और छानबीन की है। और सब बातों को समझने की कोशिश की है। इन सदस्यों को वहां पर काफी मौका दिया गया कि अपनी बात कमेटी के सामने रखें। इस कारण अब कोई भी ऐसी बात नहीं दिखाई देती है कि इसको फिर से कमेटी के सामने भेजा जाय। यहां पर जो कहा गया कि "अनलेस देयर इज रीजनेबिल एक्सक्यूज" तो जब कोई ऐसी बात नहीं थी तो यह तो जाहिर ही है कि बिलकुल और परसिस्टेंट व्यवहार था और यह आन्ड है और कोई बात ऐसी नहीं मालूम होती कि जिस पर सदन को विचार करना बाकी हो। मुझे आश्चर्य

मालूम होता है कि जब भावावेश की बात कही जाती है। माननीय राजनारायण जी से कहा गया लेकिन वह नहीं गये। लेकिन माननीय नारायण दत्त जी का प्रोटेस्ट करना तो कांस्टीट्यूशनल था, वैधानिक था। उन्होंने वाक आउट किया। श्री मंगला प्रसाद जी के बयान से सदन को मालूम हो गया कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वह पहले से प्रीप्लान्ड था नियोजित था और यह सब सोच कर ही उस दिन यहां आया गया था कि ऐसा किया जायगा और वही सब यहां किया गया जैसे जले पर नमक छिड़का जाता है। अगर यह बात न होती तो सीधा रास्ता उनके सामने हो गया था कि गुस्से में ऐसा हो गया और वह अफ़सोस जाहिर कर सकते थे। लेकिन इसके बजाय और जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की जाती है। इसलिये मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन का यह व्यवहार बहुत ही अजीब सा मालूम पड़ता है। इस संबंध में सभी बातें साफ हो चुकी हैं। समिति के सामने जो बातें हो चुकी हैं और जो स्पष्टीकरण हुआ उससे साफ मालूम होता है कि उनका व्यवहार अनुचित था। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि सदन प्रतिवेदन पर विचार करने का निश्चय करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—वह तो संशोधन के रूप में आ सकता है। २ प्रस्ताव साथ नहीं चल सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं कुछ कह सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—मैं और किसी को जवाब का मौक़ा नहीं दूंगा। जिस का ओरिजनल प्रस्ताव है केवल उसी को मौक़ा दिया जा सकता है।

श्री मलखान सिंह—क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब तो जवाब हो चुका अब इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मलखान सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को अपने विचार जाहिर करने का अधिकार ही नहीं रहा और हाउस ने हमारे ऊपर दफा १४४ लगा दी, ऐसी हालत में हम यहां बैठना मुनासिब नहीं समझते। मैं अपने साथियों से निवेदन करुंगा कि सब चले आयें।

(इस अवसर पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उक्त प्रतिवेदन पुनः विचार के लिये विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि यह सदन सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण

[श्री राधामोहन सिंह]

त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल को आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी ठहराता है और श्री राजनारायण और श्री रामनारायण त्रिपाठी को इस बैठक के स्थगन तक के दिनों के लिये और श्री जगन्नाथ मल्ल को इस सत्र के सत्रावसान तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में और कुछ अधिक नहीं कहना चाहता और इस पर बहुत कहा जा चुका है। मैं समझता हूं कि यह जो सजा हम सामने रख रहे हैं यह सब बातों को देखते हुये बहुत ही कम है और बहुत साधारण है। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—मैं इसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम इसमें से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसके दो हिस्से हैं। किस हिस्से से निकाल दिया जाय या दोनों हिस्सों से आप हटा देना चाहते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—सजा वाले हिस्से से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह संशोधन फार्मल लिख कर आना चाहिये। माननीय नारायण दत्त का संशोधन है। वह पेश नहीं करते हैं। माननीय सीताराम शुक्ल। वह भी पेश नहीं करते हैं।

(श्री गोविन्दवल्लभ पंत से) तो आप अपना संशोधन जरा लिखकर भेज दीजिये।

(इस समय श्री नारायण दत्त तिवारी ने सदन में पदार्पण किया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन में कुछ...

श्री अध्यक्ष—मैंने आप को बुलाया था। आप नहीं थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर आप विशेष आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष—अब तो वह खत्म हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो मुझे विरोध करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—पहले माननीय मुख्य मंत्री का संशोधन पेश हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्त क्या कायवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—कार्यवाही यह हो रही है कि मैंने काल किया कि किसी का कोई संशोधन है। मुख्य मंत्री ने संशोधन दिया। मैंने उनसे कहा था कि लिखकर दे दें। वह लिखित दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मैं मूव कर सकता हूं कि हाउस एडजर्न कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ऐडजर्न करने का सवाल नहीं है। वह संशोधन लिखा हुआ आता है। दो तीन मिनट आप तब तक शांति से बैठें।

(कुछ समय के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—तो यह संशोधन है कि पंक्ति ४ में शब्द "और श्री रामनारायण त्रिपाठी" निकाल दिया जाय तथा अन्त में यह जोड़ दिया जाय :—

"और श्री रामनारायण त्रिपाठी के वक्तव्य को, जो उन्होंने आज सदन में दिया है, ध्यान में रखते हुये उनके बारे में और कोई आज्ञा देना आवश्यक नहीं समझता।"

इस प्रकार यह संशोधित प्रस्ताव हुआ—

"यह सदन सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और सर्वश्री राजनारायण, राम नारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल को इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी ठहराता है और श्री राजनारायण को इस बैठक के स्थगन तक के दिनों के लिये और श्री जगन्नाथ मल्ल को इस सत्र के सत्रावसान तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित करता है, और श्री रामनारायण त्रिपाठी के वक्तव्य को, जो उन्होंने आज सदन में दिया है, ध्यान में रखते हुये उनके बारे में और कोई आज्ञा देना आवश्यक नहीं समझता।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके संशोधन के लिये बधाई देना चाहता हूं जिसके द्वारा उन्होंने माननीय रामनारायण त्रिपाठी के वक्तव्य में दिये गये विश्लेषण को स्वीकार सा किया और उनको इस प्रस्ताव से और इसके मंतव्य से अलग सा कर दिया। लेकिन जहां तक शेष प्रस्ताव का संबंध है, मुझे बड़ा दुख है कि मैं संशोधित प्रस्ताव का विरोध करने के लिये यहां पर प्रस्तुत हुआ हूं। अब माननीय रामनारायण तिवारी जी के वक्तव्य को स्पष्ट मानते हुये उनपर विशेषाधिकार के प्रतिवेदन को स्वीकार न करते हुये परिस्थिति बदल जाती है और हमको यह फिर विचार करना पड़ता है कि आया माननीय राजनारायण जी और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को देखते हुये इस सिलसिले में क्या वह प्रस्ताव न्याय का अतिक्रमण तो नहीं है और न्याय के अतिक्रमण के होते हुये कहीं अन्याय की सीमा तक तो वह नहीं पहुंच जाता है। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के संशोधन में अब अवहेलना के प्रश्न पर उतना जोर नहीं दिया गया, वक्तव्य के प्रश्न पर जोर दिया गया है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब इम्फेसिस यानी जोर जो था वह प्रतिवेदन पर नहीं रहा, बल्कि बात यहां पर आ गयी कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा उस पर सारी बात तौली जा रही है। इस संबंध में मैं माननीय राजनारायण जी के शब्दों का स्मरण दिलाना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि मैं माननीय अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करूं। जहां तक माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का सवाल था, यह बात सही है कि जैसा प्रोसीडिंग्ज में दर्ज है जो सही नहीं की गयी है, मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं कि जो प्रोसीडिंग्ज माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की दर्ज हैं वह उनके द्वारा सही नहीं की गयी हैं और आप जानते हैं श्रीमन् कि एक शब्द के इधर उधर होने से, एक कामा, फुलस्टाप या किसी व्यंजन के अलग हो जाने से उसका आशय और मंतव्य बिल्कुल बदल जाता है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक था कि एट दि अर्लियस्ट अपारचुनिटी, जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का भाषण उपस्थित नहीं किया गया था इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे सारे प्रस्ताव पर पुनः विचार करें, इस बात को देखते हुये कि हाउस आफ कामन्स में हम को एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें स्टैंडिंग आर्डर्स के अनुसार सजा मिल जाने के बाद भी ब्रीच आफ प्रिविलेज कमेटी में मामला भेजा गया हो। जो पनिश्मेंट दे दिया गया वह पनिश्मेंट मानकर, माननीय राजनारायण जी और माननीय जगन्नाथ मल्ल की कार्यवाही होने का विचार है उसको भी आप दृष्टि अपेक्षण कर दें। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं और बड़े अदब के साथ जानना चाहता हूं कि हमको कोई भी एक मिसाल ऐसी दिखाई जाय हाउस आफ कामंस की जहां कि इससे गंभीर ब्रीच आफ प्रिविलेज हुये जहां कि माननीय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अध्यक्ष के अधिकारों के ऊपर और उनके कर्त्तव्यों के ऊपर गम्भीर पक्षपात के आरोप लगाये गये हैं लेकिन वहां भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्टैंडिंग आर्डर्स के बाहर ब्रीच आफ प्रिविलेज कमेटी को रेफ़ेंस हुआ हो।

श्री अध्यक्ष------मैं इस बात के लिये आप को इजाजत नहीं देता हूं। ब्रीच आफ प्रिविलेज को मैंने कमेटी को दिया था, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी------मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष------आप बराबर मेरे निर्णय को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मेरी आज्ञा से परिणाम निकाल सकते हैं। आप इस सदन को कह सकते हैं कि क्या आज्ञा दी है, आप यह नहीं कह सकते कि क्यों दी गई। मैं आपको स्पष्ट सुना देना चाहता हूं, आप बराबर इस बात को कहते हैं कि दूसरों से, सदन इस बात को समझ ले।

"Speaker is always ready to advise members of all parties to consult him privately whether upon any action as proposed to take in the House or upon any question of order which is likely to arise in the proceedings. Such privat rulings of the Speaker generally settle questions at issue but they may, if necessary, be sup-plemented by rulings given from the Chair. The Speaker's rulings whether given in public or in private, constitute precedents by which subsequent Speakers, members, and officers are guided."

स्पीकर की जो पोजीशन है, व्यक्तियों को छोड़ दीजिये, स्पीकर की जो रूलिंग्ज होती हैं, वह आगे के लिये अनुकरणीय होती हैं। वह रूलिंग्ज बन जाती हैं जो कि यहां पर स्पीकर सदन की तरफ से फैसले देता है। प्रोसीजर में यहां यह जरूरी नहीं है कि हाउस आफ कामन्स में नाक इस तरह से पकड़ी गई हो तो यहां का स्पीकर भी उसी तरह से नाक पकड़े। यहां के नियमानुकूल स्पीकर जो रूलिंग देगा वह रूलिंग आगे के लिये अनुकरणीय होगी और शायद उस रूलिंग को दूसरी जो विधान सभायें हैं वह कोट करें, तो यह उस रूलिंग की वक़त होती है। अगरचे कभी किसी सदस्य के हित में स्पीकर मेहरबानी करता है या तत्काल दंड नहीं दिलवाना चाहता है बल्कि उसको मौका दिलवाना चाहता है, और एक नया "प्रेसीडेंट" क़ायम करना चाहता है कि उसको सफ़ाई देने का भी खूब मौका मिले, तो स्पीकर को पूर्ण अधिकार है कि वह इस तरह का नया तरीका इस्तेमाल करे जिससे जो कम तादाद में लोग हैं उनकी रक्षा हो और उनकी रक्षा के लिये अगर वह यह बात करता है तो स्पीकर के लिये बराबर यह कहना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादा दंड दिया गया, यहां स्पीकर ने क्यों "नेम" करके शीघ्र ज्यादा दंड नहीं दिला दिया, अनुचित है। सदन से तुरन्त नहीं दंड दिला दिया तो यह इस तरह से स्पीकर ने अपना "डिस्क्रीशन" यूज़ किया जिसमें किसी के ऊपर अत्याचार न हो सके और प्रिविलेज कमेटी में पूर्ण विचार हो सके जहां पर किसी भी अवस्था में इस प्रकार के प्रश्न को भेजने का डिस्क्रीशन स्पीकर को यहां के नियमों में दिया गया है। यह मैंने किया तो वह प्रेसीडेंट हो जायगा। एक नया प्रेसीडेंट क़ायम कर देने की कोशिश नियमानुकूल की, तो यह सब बार बार कहना कि वहां यह बात नहीं की गयी और वहां शीघ्र सख्ती की गई और यहां क्यों नहीं की गई, तो मैं उसे स्पष्ट करता हूं कि ऐसा मैंने उचित समझ कर किया। स्पीकर के डिस्क्रीशन को कोई भी इस बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसलिये आपको यह मान कर चलना होगा कि जो प्रथा मैंने डाली है उसमें उन लोगों के लिये जिन पर आरोप है सफाई का भी अधिक मौका मिलता है। इसलिये मैंने किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं इस बात को पूर्णतया मानता भी हूं और जानता भी हूं कि आपको नियम ६७ के अनुसार पूरा अधिकार है और मैं यह भी मानता

हूं कि आपने अपने रेफरेंस के द्वारा वास्तव में पार्लियामेंट्री इतिहास में एक नया परिच्छेद खोला है और आपके आदेशों को शिरोधार्य करता हूं। मैं तो केवल यह जानना चाहता था और पुराने इतिहास के बारे में सिर्फ जानकारी माननीय सदस्यों से हासिल करना चाहता था। शायद मैं गलत भी होऊं। इस संबंध में श्री ब्रेकवे और श्री बैकेट के केसेज का उद्धरण देना चाहता हूं।

"When the motion, that is the motion suspending Mr. Brockway from the service of the House, was carried, another member, Mr. Beckett, remarked that it was a damned disgrace, and he seized the mace and proceeded towards the Bar, when he was stopped by the Serjeant-at-Arms. Mr. Beckett too was named by the Speaker and suspended from the service of the House"

इसी प्रकार श्री कर्कवुड और श्री मैकगवर्न के मामले हैं।

"On 10th of November, 1937, Mr. Kirkwood was asked to leave the House if he could not behave himself. Mr. Kirkwood thereupon remarked "I do not give a damn if you ask me to leave the House or not." The honourable member was asked to withdraw and on his refusal to withdraw, he was named and suspended from the service of the House. Thereupon Mr. Kirkwood left the House.

On July 2, 1931, Mr. Mc Govern was named by the Speaker for disregarding the ruling of the Chair and suspended from the service of the House on the motion of the Prime Minister. Mr. Mc Govern refused to leave the House and was, under orders of the Speaker, removed from the House by the Serjeant-at-Arms by force. The Speaker suspended the House for grave disorder"

एक केस श्री बेवान का है।

"On 22-4-1937, Mr. Bevan remarked to the Chair that the Chair's attitude has been abominable. Mr. Bevan persistet in his remark and refused to withdraw when asked to do so. He was accordingly named and suspended from the service of the House, and he withdrew accordingly"

तो मेरे मत के मुताबिक आपने वास्तव में पार्लियामेंट्री पद्धति को नये तरीके से मोड़ दिया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि माननीय नेता सदन ने भी कुछ पुराने उदाहरण दिये और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने मत प्रकट किये उनसे मुझे आशा है कि हमें आज इस प्रताव पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करने में सहूलियत होगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पीकर के अधिकार के बारे में और उनकी ड्यूटी के बारे में पढ़ा कि "It has often been laid down" आदि आदि।

मेरा इसके बारे में यह निवेदन है कि प्राइमा फ़ेसी केस के बारे में स्पीकर का भी डिस्क्रीशन है —

"Speaker's discretion in permitting matter to be raised; As a motion taken at the time for matters of privilege is thereby given precedence over the prearranged programme of public business, the Speaker requires to be satisfied, both that there is a *prima facie* case that a breach of privilege has been committed ; and also that the matter is being raised at the earliest opportunity."

तो मेरा निवेदन बिलकुल स्पष्ट था कि कोई इस प्रकार की कार्यवाही होती तो हम यह देखते कि कोई "प्राइमा फ़ेसी केस आफ़ ब्रीच आफ़ प्रिविलैज" है या नहीं, तो माननीय समिति को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले चांज करते समय इस ओर ध्यान देना चाहिये था।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, आप जो जवाब दे रहे हैं, जो प्रस्ताव पास हो चुका है उसमें प्वाइंट्स रेज हुये थे, उनका ही उत्तर दे रहे हैं, यह अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि इसमें अवहेलना करने का प्रश्न है। वह जनरल डिस्कशन या प्रस्ताव में यह भी यही प्रश्न है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—इस समय तो यह निश्चय करना है कि क्या सजा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने शायद पूरा प्रस्ताव नहीं पढ़ा है। इसमें अवहेलना का भी प्रश्न है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसलिये समिति को यह देखना था। ब्रीच आफ प्रिविलेज तो जरूर हुआ लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि ऐसे ब्रीच आफ प्रिविलेज के दंड देने के लिये आदरणीय सदन ने रूल्स बनाये हैं। उनके अनुसार माननीय अध्यक्ष ने दंड दिया तो उसके हिसाब से समिति को देखना चाहिये था कि आया उनको पनिशमेंट मिल गया या नहीं। मेरे विचार में समिति ने शीघ्रता के कारण उस ओर ध्यान देने की चेष्टा नहीं की।

इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हाउस को पूरा अधिकार है कि वह किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की व्यवस्था करे। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि हाउस सार्वभौमिक सत्ता का स्वयं अधिकारी है। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर जो यह नियम बने हैं वह किसके बनाये हुये हैं। जैसे कि रूल्स १८९/१ और १८९/३ के अनुसार माननीय राजनारायण जी, रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल जी को निकाला गया था। यह रूल्स किसके बनाये हुये हैं। इसी हाउस ने बनाये हैं और उन्हीं के अनुसार ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और उसका पनिशमेंट भी दिया गया। इसमें हाउस की सार्वभौमिक सत्ता अक्षुण्ण रहती है और किसी प्रकार से उसमें भेद नहीं रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने विधान की धारा २०(२) की तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि उसमें प्रोसीक्यूशन कहां हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि हाउस के नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष ने उस समय समरी प्रोसीक्यूशन किया। अगर माननीय राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल वगैरह बैठ जाते या माफी मांग लेते तो क्या श्रीमन् इन तीनों को कोई पनिशमेंट देते। वहां ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ, इसको मैं अंगीकार करता हूं। लेकिन जो सदन ने नियम बनाये हैं उनके अनुसार आपने अपने हाथ में मामले को लिया और ला अपने हाथ में लिया और जो शक्ति आपके हाथ में है उसको लिया और समरी प्रोसीक्यूशन हुआ और जहां तक गवाह का सवाल है तो सारा सदन गवाह है। इसलिये सदन ने नहीं कहा कि आप हस्तक्षेप करें।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि आपने जब ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला प्रिविलेज कमेटी को रिफर कर दिया था तो किसी ने शिकायत नहीं की, तो इसके माने यह हैं कि हाउस ने इस फैसले को माना। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह चाहते थे कि आपने जो मामले को कमेटी में रिफर किया तो हम उसका विरोध करते। अभी आपने सख्त अल्फाज में मुझे आदेश दिया कि आपका जो फैसला है उस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये तो क्या माननीय मंत्री यह चाहते थे कि आपकी जो शक्ति है उस पर हम आक्षेप करते और कहते कि आपने जो यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा है, वह गलत है और ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिये हमने आपत्ति नहीं उठाई थी।

श्रीमन्, मैं क्या ज्यादा निवेदन करूं। मेरे शब्दों में इतनी सुन्दरता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं चाहे कितने ही सुन्दर शब्दों में क्यों न कहूं, चाहे मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, कैम्पियन रिडलिच और डैनिंग वगैरा को कोट क्यों न करूं और उसके पेज क्यों न पढ़ दूं, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि माननीय मुख्य मंत्री के

मुकाबिले में धृष्टता कर सकूं या प्रिविलेज कमेटी के माननीय सदस्यों के सामने धृष्टता कर सकूं। लेकिन मैं विचार करता हूं कि यह एक ऐतिहासिक मौका है। अगर सदन इसमें न्याय का अतिक्रमण कर गया तो यह अशोभनीय होगा। आज माननीय राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल जी के ससपेंड करने का प्रश्न नहीं है, उनको सदन के स्थगन तक के लिये ससपेंड करने का प्रश्न नहीं है या सत्र के सत्रावसान के लिये सदन की सेवा से निलम्बित करने का प्रश्न नहीं है बल्कि इस प्रदेश की ३/४ लाख जनता के प्रतिनिधित्व छीन लेने का प्रश्न है यह इस प्रदेश के तीन, चार लाख नागरिकों की नागरिकता को उस अवधि के लिये छीन लेने का प्रश्न है। हो सकता है कि हम और आप यह विचार करें और यह सोचें कि उन्होंने गलती की और मैं मानता हूं कि ब्रीच आफ़ आर्डर हुआ लेकिन हमारे सामने ही उस ब्रीच आफ़ आर्डर का पनिशमेंट भी हुआ और काफ़ी हुआ। कितना दुख हुआ होगा आपको, श्रीमन्, जबकि आपको अपनी भावनाओं के विरुद्ध पुलिस को यहां बुलाना पड़ा। कभी हम कल्पना भी कर सकते थे कि पुलिस यहां पर आये और आप स्वयं अपने आदेश से और अपने मुखारबिन्दु से उसे यहां बुलायें? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। एक इतना दुःखान्त दृश्य जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते थे और इतना दंड मिल जाने के बाद अगर यह माननीय सदन सोचे और इस माननीय सदन के इतने बड़े विद्वान यह सोचें कि उनको दुबारा दंड दिया जाय तो, श्रीमन्, मैं क्या कहूं, मैं तो अपनी छोटी मोटी बुद्धि के अनुसार यही समझ सकता हूं कि यह न्याय का अतिक्रमण होगा और इन्हीं शब्दों के साथ क्या मैं दोबारा माननीय राधामोहन सिंह जी से और माननीय विशेषाधिकार समिति के सदस्यों से और इस सदन के ४३० न्यायाधिकारियों से प्रार्थना करूं कि अगर आज आप कोई सज़ा देते हैं तो उसकी अपील कहीं लाई नहीं करती, हम सार्वभौमसत्ता अपने अन्दर सुरक्षित करते हैं तो किससे हम अपील करेंगे, श्रीमन्। तो इसलिये मैं आज इस सदन से और इस सदन के न्यायाधीशों से अपील करूंगा, जिनके फैसले की कोई अपीलेट अथारिटी नहीं है उनसे अपील करूंगा कि भावनाधिकृत न हो कर अपनी गम्भीरता का, अपनी बुद्धि का सामंजस्य करके इस पर विचार करें और इस प्रस्ताव को इस प्रकार से निलंबित करें जिससे कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी और माननीय राजनारायण जी को जितनी सज़ा मिल चुकी है वह काफी मानी जाय और इस दुःखद परिच्छेद का अन्त कर दिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर महोदय, न तो इतना वक्त है और न मैं जरूरी समझता था कि इस सदन का कोई वक्त लूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं एक बात कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—अब बोल लेने दीजिये फिर कहियेगा।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मगर अभी जो मैंने तकरीर सुनी है उसने कुछ मुझको मजबूर किया इस बात पर कि कम से कम उन साहबान के दिमाग में जिन्होंने तकरीर की है एक गलतफहमी है उसको रफ़ा कर दूं। जिस दिन का यह वाक्या है उस रोज मैं समझता हूं कि दो बातें हुई, एक यह कि इस हाउस का जो बिजनेस चल रहा था उसमें आबस्ट्रक्शन हुआ और दूसरे जनाब के हुक्म की तामील नहीं हुई, हुक्मअदूली की गयी। ये दो चीजें हैं अलग-अलग, आबस्ट्रक्शन टु दि बिजनेस आफ़ दि हाउस ऐंड डिसओबीडिएंस टु दि आर्डर्स आफ दि अथारिटी आफ दि चेयर। ये दो बिल्कुल डिसटिंक्ट और सेपरेट चीजें हैं और इन दोनों चीजों को इंगलिस्तान ने अपने यहां की प्रैक्टिस में क़रार दिया है कि इनसे ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। अब मैं अलग किताबें नहीं दिखाऊंगा कि फलां फलां में यह लिखा हुआ है। बात है मुसल्लिमा, कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता है कि अगर किसी चेयर के, किसी स्पीकर के हुक्म की, फ़रमान की तामील नहीं की जाय तो वह जरूर अवहेलना हुई विशेषाधिकार की उस हाउस की और एक आब्सट्रक्शन हो गया है जिसका उस वक्त दूर होना जरूरी है। आब्सट्रक्शन भी अवहेलना है और हुक्मअदूली भी अवहेलना है। लेकिन आब्सट्रक्शन एक ऐसी चीज है कि

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जिसका मतलब नैचुरल यह होता है कि उसको उसी वक्त दूर किया जाय ताकि बिजनेस हाउस का आगे बढ़े। अभी मैं बोल रहा हूं, जनाब मुझको हुक्म दें कि तुम बैठ जाओ, मैं नहीं बैठूं, जबकि मैंने हाउस के बिजनेस को आब्सट्रक्ट कर दिया। मैं अगर बैठ जाता तो बिजनेस चलती। नहीं बैठा। आपने इस आबस्ट्रक्शन को दूर करना चाहा और आपके पास सिवाय इसके और क्या चारा हो सकता है कि अगर मैं नहीं जाता तो किस तरीके से मुझे निकलवाया जाय और आप तय करें कि पुलिस के जरिये से निकाला जाऊं जब मैं यहां से निकलूं तब हाउस का बिजनेस आगे को बढ़े। तो यहां से निकलवाना मेरे नजदीक कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। स्पीकर को एक निकलवाने का हक दिया गया है वह इसलिये कि आबस्ट्रक्शन को दूर किया जाय जो उस वक्त हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाय और उसको सजा करार दे दिया जाय तो भी दो डिस्टिंक्ट, मुमताज चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तो आबस्ट्रक्शन और दूसरा प्रिविलेज का ब्रीच। मान लीजिये एक मुल्जिम है वह दो जुर्म करता है और ताजीरात हिन्द की दो दफाओं में उसका चालान होता है तो क्या उन दोनों दफाओं में उसको अलहेदा-अलहेदा सजा नहीं होगी। गो कि मैं अपने नजदीक पहली वाली चीज को सजा नहीं मानता क्योंकि वह तो आबस्ट्रक्शन आफ दी हाउस को रिमूव करने के लिये एक असेन्शियल ऐक्ट है। लेकिन अगर उसको सजा भी मान लिया जाय तो चेयरमैन के हुक्म की जो हुक्म-उदूली हुई, जो यह दूसरी चीज हुई क्या इसे कोई बरदाश्त कर सकता है कि वह अनपनिश्ड रह जाय। इसके लिये तो सिवाय इसके और कोई रास्ता ही नहीं है कि कोई उसके लिये पछताये और अफसोस जाहिर करे कि उससे बेशक गलती हुई। अभी जो रूलिंग पढ़ी गयी न मालूम माननीय सदस्य उससे क्या समझें। उसमें दोनों बातें मौजूद हैं एक तो आबस्ट्रक्शन के लिये बाहर निकाला जाना उसके अलावा सस्पेंशन की सजा भी दी गयी। एक आदमी ने ऐसा ही किया और उसको दो सजायें दी गयी तिस पर यह कहना कि यह किसी ला या प्रेक्टिस से ऐक्टेबिलश नहीं होता, ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे पढ़े ही देता हूं :—

"On July 2, 1951, a Member persisted in disregarding the authority the of the Chair, whereupon the Speaker named him and he was suspended on the motion of the Prime Minister. The Speaker then directed the Member to withdraw, but he refused to comply. Accordingly the Speaker directed the Sergeant-at-Arms to remove him. The Sergeant -at-Arms finding that force was necessary, brought in his officers, who in their attempts to remove the Member were resisted not only by that Member but by certain other Members. The Member who had been suspended was eventually removed. While this was taking place, the Speaker announded that grave disorder has arisen and suspended the sitting. After an interval of a quarter of an hour the Speaker resumed the chair, and informed the House that, resort to force having been necessary to remove the Member, he was therefore suspended from the service of the House for the reminder of the Session."

यानी यह कि उसको उस वक्त उस हाउस से निकलवाया गया और उसके बाद सजा दी गयी जिससे कि वह आइन्दा उस सेशन में हाउस की सर्विस न कर सके। यह एक बात है और जो कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है वह दूसरी बात है। लिहाजा यह एक खुली हुई बात है कि इसमें दो आफेन्सेज अलग अलग कान्स्टीट्यूट होते हैं। एक के निस्बत अगर कोई कार्यवाही हो भी जाय तो दूसरे के निस्बत कार्यवाही को गलत कैसे कहा जा सकता है।

इसके बाद जस्ट काज की बात कही गयी। इसके बारे में सफा १०५ .....

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। वे ईल्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सफा १०५ पर यह लिखा हुआ कि--

"The house is perfectly well aware that any Member persistently and willfully obstructing public business without just and reasonable cause is guilty of a contempt of this House, and is liable to punishment whether by censure, suspension from the service of the House, or commitment, according to the judgement of the House."

इसमें कहा गया है कि अगर किसी शख्श ने किसी रीजनेबिल काज से आबस्ट्रक्ट किया है तो वह इसमें यहीं आयेगा। लेकिन अगर उसने विद आउट रीजनेबिल काज ऐसा किया है तो उसको हाउस की सर्विस से सस्पेंड किया जाना चाहिये। उसके बारे में यह है---

"Suspension rfom the service of the House was a puuisbment employed by the House of Commons under its power of enforcing discipline among its Members, long before it was prescribed by standng order for-particular offences, such as disregard of the authority of the Chair or obstruc, tion, and it can still be imposed at the discretion of the House, although of course, not under the summary procedure authorized by that standing order."

क्रिएटिंग आफ आबस्ट्रक्शन और डिस ओबिडिएंस आफ अथारिटी ये दोनों दो चीजें हैं। इनको एक होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इन अल्फाज के साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस रोशनी में हमको इसके ऊपर फैसला करना है जिससे हाउस की इज्जत व शान कायम रखने में किसी बात के करने की जरूरत हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो पहले २ जुलाई सन् १९३१ का उदाहरण दिया, तो क्या यह सही नहीं है कि यह सस्पेंशन आटोमेटिक था और हाउस आफ कामंस के स्टैंडिंग आर्डर २२ (४) के अनुसार यह बात थी? दूसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूं कि पेज १०५ में जो पारनेल साहब के बारे में स्पीकर ब्रांड का कोटेशन है क्या यह सही नहीं है कि न तो किसी आदमी को स्पीकर ने सस्पेंड किया और न कोई विद ड्रा हुआ?

(सरकार की तरफ से इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में अब तो हम आखिरी फैसले पर पहुंच रहे हैं। मैं चाहता तो था कि पहले कुछ कहूं और उस पर माननीय सदन को विचार करने का अवसर मिले, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल सका और सदन में बातें कुछ ऐसी हुईं कि कि जितना प्रासिक्यूशन का ढंग कहा गया है और मुकदमे की पेशी हो, उसके विरुद्ध बातें कही जायं। तो यहां पर जितनी बातें अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं कही गयीं उतनी बातें मेरे विरुद्ध कही गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे कोई अवसर नहीं देते जिससे कि मैं अपनी सफाई के तौर पर भी यहां कुछ कह सकूं तो मुझे बड़ा दुःख होता। मैं समझ नहीं पाता हूं कि यह जो काम हम लोगों से सुपुर्द हुआ, मैंने अपनी मजबूरी पहले भी जाहिर की थी और चेयरमैन साहब से पूछा था कि विशेषाधिकार समिति इस मामले को अदालती ढंग से तय करेगी या इसका कोई और ढंग होगा। तो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि अदालती ढंग से यहां की कार्यवाही नहीं होगी बल्कि इसका एक निराला ढंग होगा। मुझे इस बात का भ्रम था कि जस्टिस में तो यह होता है कि जो लोग आंख से देखे हुये होते हैं उन्हीं की गवाही होती है और उसी बिना पर जज लोग फैसला करते हैं लेकिन कमेटी के चेयरमैन साहब ने मेरा यह भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद मैंने यह सोचा कि मालूम यह होता है कि मेरे देश में जो न्याय का तरीका है उससे भी कुछ ऊंचा तरीका यहां का होगा और हम उसी तरह से कोशिश भी करते रहे। मैं इस समय उन सारी बातों को न तो कहना उचित समझता हूं और न तो समय ही है लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--अन्तरंग बातें कमेटी की यहां नहीं आनी चाहिए।

श्री गेंदा सिंह--बहुत अच्छा, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में सजा के संबंध में कि वे दो सजायें कैसे हुईं, प्रासिक्यून कैसे हुआ, उस संबंध में मैं जरूर उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमेटी के चेयरमैन साहब ने कही। ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मैं उनकी बातों पर अविश्वास करता। वहां पर चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं कमेटी का ध्यान नियम ६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो हमें रिपोर्ट मिली हुई है उसके पन्ना ३२ के आखिरी हिस्से को मैं पढ़ता हूं।

मैं ३२ पेज के आखिरी हिस्से को पढ़ रहा हूं। सभापति ने कहा "मैं कमेटी का ध्यान नियम ६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो इस मामले को यहां भेजने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय अध्यक्ष, इसको वहीं कर सकते थे। एक तरीके से उन्होंने यह समझा कि शायद वे इन्साफ न कर सकें और यह समझा जाय कि उन्होंने तैश में आ कर ऐसा किया है, इसलिये उन्होंने इसको यहां भेज दिया है।"

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि माननीय अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं था सजा देने का। सजा तो प्रिविलेज कमेटी दे सकती थी या सदन दे सकता था।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--प्रिविलेज कमेटी नहीं कहा, सदन कहा।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी कमेटी के सभापति थे उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय को सारी शक्ति थी। तो मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाता हूं कि इन दोनों बुजुर्गों में से किसकी बात को मानूं।

श्री अध्यक्ष--मैं जवाब दिये देता हूं क्योंकि आप पूछना चाहते हैं। असल बात यह है कि सदन ने मुझे सदन में आर्डर कायम करने का अधिकार दिया है, सजा देने या सस्पेंड करने की ऐसी कोई चीज नहीं दी है। सदन को ही अधिकार है और उस अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि जिसमें मैं उसको प्रयोग में तत्काल ले आऊं यानी अगर "नेमिंग" कर दूं तो सदन फौरन उस पर प्रस्ताव ले आये, बहस होवे और उस पर सदन का फैसला हो जाय। दूसरा तरीका यह है कि मैं प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दूं और फैसला होने के पहले सदन उस पर कंसीडर कर ले। इस बीच में यह मौका हो जाता है कि माननीय सदस्य शान्त हो जायं जैसा कि श्री राम नारायण जी ने कहा। सदन ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उस पर अमेंडमेंट भी आ गया। ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। घर का मामला है। सदन का मामला इंटर्नल मामला है। इस मामले में जितना समय मिल जाता है उसमें लोगों को आपस में पेसीफाई करने का मौका मिल जाता है। मैंने यह दूसरा रास्ता उचित सोचा कि सदन में आने के पहले उस पर समिति में कंसीडर कर लो। यह बात है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कुछ लोग आध घंटे के लिये कह रहे हैं। आध घंटा के लिये बढ़ा दिया जाय।

प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस व्यवस्था का आदर करता हूं लेकिन मैं अब भी इस भ्रम में हूं कि आपको अधिकार है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूं लेकिन जितना पढ़ा हूं उससे मुझे मालूम हुआ है कि अध्यक्ष को अधिकार है सजा देने का और यह आपकी उदारता है कि आपने उस दिन इस मामले पर राम प्रसाद जी देशमुख के प्रस्ताव

के बाद भी अपनी राय जाहिर की कि तैश में आ कर कोई ऐसी बात हो सकती थी जो अनुचित हो जाती और इस ख्याल से आपके विशेषाधिकार समिति को यह कार्य सुपुर्द कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आपकी उदारता का संकेत हम जो विशेषाधिकार समिति में थे वे पूरे तौर से नहीं पा सकें और हमने एक सख्ती का रुख अख्तियार किया। मैं भी एक दो बातों की ओर संकेत कर देना चाहता हूं। यह बिलकुल पहले पहल का वाक़या था।

श्री अध्यक्ष--कमेटी की रिपोर्ट में यह नहीं है। आपकी आपसी बातचीत क्या हुई है उसका कृपा करके आप यहां उल्लेख न करें।

श्री गेंदा सिंह--कमेटी की बात जो रिपोर्ट में है उसी पर मैं कहूंगा। एक बात उपयोगी यह थी कि जो अभियोगी थे उनकी यह इच्छा थी कि वे किसी कानूनसाज आदमी से बात कमेटी के सामने रखवाना चाहते थे ताकि वे अपना स्पष्णीकरण दे सकें लेकिन उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की गई और यदि उनको हम यह अवसर देते तो मुमकिन है कमेटी के कुछ दूसरे विचार होते ? लेकिन हमने उनको मौका नहीं दिया। जब एक नई परम्परा बन रही है जैसा आपने कहा कि हम बिलकुल १६ आने उन्हीं चीजों पर आश्रित नहीं हैं जो पुराने जमाने में हो चुकीं तो बहुत अच्छी बात होती कि हम एक नई परम्परा बनाते हैं और उस नई परम्परा के अनुसार अगर हम उनको अवसर देते कि वे अच्छी तरह से अपनी बात कह सकें तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम ने यह नहीं किया और न करके हमने अपने ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ले ली कि हम जल्दी में हैं और उस जल्दी में एक विचार बनाकर बैठे हुये हैं और बैठकर सजा जल्द दे देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसको भी रोकता हूं। आप कृपा करके वापस ले लें इन शब्दों को कि जो आपने अभी कहे कि कमेटी के सदस्य पहले से एक विचार बना करके बैठे हुये हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं वापस लेता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि मेरे मन में जो भाव था वह मैंने कहा लेकिन मैं उस पर जिद नहीं करता। दो एक बातें और कहना चाहता हूं। दो सजाओं की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं कि इसको दो सजा नहीं माना जा सकता और उन्होंने कहा कि संविधान की धारा २० (२) में प्रासीक्यूशन की बात आती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होने यह कहा कि प्रासीक्यूशन तो वह कहलाता है जिसमें गवाही और शहादत पेश हो। लेकिन क्या हमारी विशेषाधिकार समिति में कोई गवाही शहादत पेश हुई। जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने कोई गवाही शहादत पेश नहीं हुई उसी प्रकार से विशेषाधिकार समिति के सामने कोई गवाही और शहादत नहीं पेश हुई। केवल हम लोग थे और उन लोगों के बयान थे और उसी के आधार पर हमको फैसला करना पड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार जबतक गवाही शहादत नहीं पेश हो जाती जब तक प्रासीक्यूशन नहीं हुआ। और इसलिये वह प्रासीक्यूशन नहीं हुआ। लेकिन एक बात सोचने की है और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सदन से बाहर निकाला, इसलिये कि सदन की व्यवस्था कायम रहे। यह मैं मानता हूं कि सदन के बाहर चले जाने के बाद सदनमें आने में तो सदस्यों के लिये कोई रुकावट नहीं है लेकिन इस बात की जानकारी करने के लिये कि हम सदन से बाहर कर दिये गये हैं और सदन से बाहर होने के बाद हमें सदन के अन्दर आना चाहिये या नहीं। इसके लिये हमने महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी को माननीय सचिव के पास भेजा था और भेज कर पूछा था कि क्या अब हम सदन में आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--कई दफे यह बात कही जा चुकी है। आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--तो सदन के बाकी वक्त में जो उनको सदन को बाहर रखा गया उसको मैं एक सजा समझता हूं। दो बातों में स्पष्ट भेद हो गया है। आर्डर को मेनटेन क

[श्री गेंदा सिंह]

के लिये और दूसरा यह जो आर्डर है कि वह सदन में न आने पावे भेद है। और सदन में न आने देना एक सजा हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे सामने बहुत सी रूलिंग्ज हाउस आफ कामंस की और और जगहों की दी गयीं। उन रूलिंग्ज में मैं नहीं जाना चाहता। उन पर काफी विवाद हो चुका है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि मे की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के सफे ४५२, में जो एक केस का हवाला दिया है और उस हवाले पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे उसको दो-तीन बार पढ़ने का मौका मिला। उसमें जिन माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाला गया उसमें यही नहीं कि उनको जोर के साथ निकाला गया लेकिन उनके निकाले जाने के बाद कुछ साथी आये और जो सार्जेंट एट आर्म्स था उनके बीच में दखल किया। उनके साथ उनको तंग किया। सार्जेंट एट आर्म्स ने फिर अध्यक्ष महोदय को इत्तिला की और उसके बाद फिर आकर के अध्यक्ष महोदय ने उनको इंगित किया। मैं १८९ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उसके बारे में बहुत विवाद हो चुका है। लेकिन मैं उस संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि उसमें जो यह बात कही गई है कि निकाल देने वाली कार्यवाही की जाय तो उस कार्यवाही से और नेमिंग से कोई संबंध नहीं है।

मैं समझता हूं कि यह हो सकता है कि नेमिंग न हुआ हो लेकिन मैं नेमिंग न करने की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं डालना चाहता हूं। मैं तो यह मानता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने नेमिंग किया। नेमिंग करने के बाद भी माननीय नेता सदन का यह काम था कि वह मोशन लाते लेकिन मैं बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करना चाहता हूं कि तीन बात हो सकती हैं। या तो माननीय नेता सदन उस समय गहरी नींद में सोये हुये थे, दूसरी बात यह हो सकती है कि रूल्स की उनको जानकारी न हो और तीसरी बात यह हो सकती है कि अध्यक्ष महोदय जो कुछ कर रहे थे उससे वह इत्तिफाक नहीं कर रहे थे। यही तीन बातें हो सकती हैं। इसके अलावा चौथी बात मेरी समझ में नहीं आयी कि क्या हो सकती है। यह तीन बातें मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूं कि उनके लिये मुनासिब नहीं हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि कोई बात हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह नहीं चाहते थे कि इन लोगों के साथ जो कार्यवाही हो रही है वह कार्यवाही हो। मैं तो जब यह कहता हूं कि नारायण दत्त जी तिवारी के प्रस्ताव पर राजनारायण जी, रामनारायण जी और जगन्नाथ मल्ल जी ने इतना जोर दिया और जितनी हमदर्दी इन लोगों की थी उतनी ही हमदर्दी उधर बैठने वालों की भी उनके साथ थी। हां, एक बात जरूर होती है कि जब एक काम रोको प्रस्ताव आता है तो उसमें सरकार की निन्दा होती है भर्त्सना होती है। इसीलिये यह आशा थी कि उस प्रस्ताव के पक्ष में २४ के अलावा और खड़े नहीं हो सकते थे। यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि २४ के अलावा सरकारी पक्ष के लोग उस काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देंगे लेकिन इसके साथ साथ जब दूसरा प्रस्ताव नारायण दत्त जी का आने की बात थी उसमें १५० आदमी की बात थी अगर वह प्रस्ताव ले लिया जाता तो उसमें सरकार की निन्दा की भावना नहीं थी बल्कि यह था कि एक प्रस्तावित नियम को उठा दिया जाय और उसके जरिये से अध्यापकों के प्रश्न पर विचार करने के लिये अवसर दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग भी उसमें शामिल होते। तो इस प्रकार से मैं यह समझता हूं कि माननीय नेता सदन को हमदर्दी राजनारायण जी, रामनारायण जी और जगन्नाथ मल्ल जी के साथ नहीं थी। इसीलिये वह मोशन नहीं लाये। लेकिन अगर मोशन नहीं लाये तो वह जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। इन कामों से स्पष्ट है कि जो यह सारी जिम्मेदारी और सारा बोझ हमारे ऊपर डालते हैं वह कहां तक सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पार्टी का भी एक कार्य होता है और उस कार्य को हम बहुत पवित्र

कार्य समझते हैं और उसी कार्य के लिये उस दिन वह काम रोको प्रस्ताव पेश किया गया था। जो हमारी अवस्था है वह इस सदन में उस काम रोको प्रस्ताव से किसी भी हालत में कम नहीं हो सकती है। यदि आपकी इच्छा न हो और यदि आपकी कृपा न हो तो ५ वर्ष बीत जायं लेकिन एक भी काम रोको प्रस्ताव हमारा आ नहीं सकता। यह आपकी उदारता है कि जो काम रोको प्रस्ताव आता है उसके ऊपर विचार व्यक्त करने का आप अवसर देते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सोचना भी होता है और आखिर उस काम रोको प्रस्ताव की एक महत्ता भी होती है। इसलिये अगर कोई काम रोको प्रस्ताव आता है तो उससे सरकार का भला है और उससे देश का भी भला है और अगर वह काम रोको प्रस्ताव आता तो उससे हमारे देश का भला हुआ होता...

श्री अध्यक्ष--आप विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात कह कर यह दिखलाना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ हमारी भी हमदर्दी होनी चाहिये। आपकी इच्छा के मुताबिक मैं यह समझता हूं कि कोई शिकायत की इच्छा नहीं थी केवल शिकायत की इच्छा उस जगह पर हुई मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं कि जब हम लोगों ने कुछ सख्ती का रुख लिया। अगर सख्ती का रुख लिया गया तो हमको फिर उस दृष्टि से इसके ऊपर विचार करना चाहिये कि जिससे कि हमारे संविधान में दिये गये अधिकारों की भी अवहेलना न हो। संविधान की उदारता के क्षेत्र का काम ऐसा है जो कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसमें जनता के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की गई है इसलिये २ बार सजा देने की जो बात है उस पर उस कानून की रक्षा करते हुये विचार किया जाय और जो सजा उनको मिल चुकी है वह पर्याप्त है। अगर रिपोर्ट के अनुसार यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो उसके लिये २ बार सजा हो चुकी है इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि अब कोई सजा न दी जाय।

श्री कालीचरण टण्डन--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ सदन में कहा गया उसमें कोई नई बात नहीं कही गई जिसके जवाब में मुझे कुछ कहना हो। वही बातें बार-बार दोहराई जाती हैं इसलिये उन्हीं का जवाब फिर देकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा कि अच्छी तरह से कोई नजीरें पेश नहीं की गईं। मुझे तो यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। नजीरें तो दी गईं और ऐसी दी गईं इस मसले पर बिल्कुल हर तरह से उस पर लागू होती हैं। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो नजीर पढ़ी और समझाया उससे भी इस केस की पुष्टि होती है। फिर भी ऐसी बात कही जाती है तो मैं समझता हूं कि या तो माननीय सदस्य ने सुना नहीं या सुनकर अनसुनी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस केस में हमें कोई खास नजीर की भी जरूरत नहीं है। हमने जो कार्यवाही की है वह नियमों और संविधान के अनुसार की है। संविधान के आर्टिकल १९४ में देखें तो मालूम होगा कि हमारे विधान भवन के वही विशेषाधिकार हैं जो बृटिश पार्लियामेंट में हाउस आफ कामन्स के हैं। उसके २०८ आर्टिकिल के अनुसार हमें नियम बनाने के अधिकार हैं और हमने प्रिविलेज के सम्बन्ध में नियमों के अनुसार काम किया है और कोई नई बात नहीं की है। यह तो स्पष्ट ही है कि जब कभी हाउस में नियमों का उल्लंघन हो या

[श्री राधामोहन सिंह]

जब कभी सदन के कार्य में बाधा पहुंचे या विशेषाधिकार की अवहेलना हो तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। इस सम्बन्ध में वाक़यात पर तो किसी को एतराज नहीं है और घटना के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है कि वह ग़लत है या घटना इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार है। फिर समझ में नहीं आता कि नजीर किस बात की मांगी जाती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक दोष का सवाल है वह बात तो सीधी ही है और उसके लिये अब कुछ करने की जरूरत नहीं। दंड के सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं और मैं यह माने लेता हूं कि माननीय रामनारायण जी को सजा न दी जाय और मैं समझता हूं कि ऐसा करना अनुचित न होगा। उनके अतिरिक्त दोनों सदस्यों को जो सजा रखी गई है वह यदि सदन स्वीकार करता है तो मैं समझता हूं कि सदन उनके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करेगा, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया है वह अति निन्दनीय रहा है। इसलिये मैं सदन का अधिक समय न लूंगा और मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव पर सदन की राय लूं मैं नियम ८७ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। नियम इस प्रकार है--

"When any resolution involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Speaker to devide the resolution and put each or any point separately to the vote as he may think fit.

[जब किसी संकल्प पर, जिसमें कई प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों, चर्चा हो चुकी हो, तब अध्यक्ष उस संकल्प को स्वविवेक से विभाजित कर सकेगा और प्रत्येक या किसी अंश को, जैसा भी वह उचित समझे, पृथक् मत के लिये रख सकेगा।]

तो संशोधन तो अलग है लेकिन रिजोलूशन के भी दो भाग हैं। एक तो वह भाग जिसमें सदन को निर्णय करना है कि क्या ब्रीच आफ प्रिविलेज उन्होंने किया है जैसा कि विशेषाधिकार समिति ने बताया है। यानी यह निर्णय करना है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज इन तीनों माननीय सदस्यों ने किया है या नहीं किया है।

दूसरा भाग यह है कि अगर यह निर्णय हुआ कि किया है तो क्या दंड दिया जाय। तो मैं दोनों पर अलग अलग वोट लूंगा। उसका कारण यह है कि जब पहले के ऊपर वोट हो जाय तब मैं दो चार शब्द कह कर आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों दो हिस्सों में मत लिया। अब मैं पहला भाग लेता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी एवं जगन्नाथ मल्ल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और जगन्नाथ मल्ल को इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी ठहराता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि मैं बताऊंगा कि किस कारण से मैंने यह किया, वह यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज के सवाल में दो हिस्से हैं। एक तो इस सदन के जो प्रिविलेजेज हैं उनके ऊपर सदन निर्णय करता है और वह स्पष्ट हैं उनके बारे में कोई दो मत नहीं, चाहे वैसे कोई सदस्य अपने मत व्यक्त करें लेकिन क्या

प्रिविलेजेज हैं वह तो हैं ही एक चीज, यह स्वयंसिद्ध एक चीज है, उन पर तथा उनकी अवहेलना के सम्बन्ध में शंका कुशंका हो जाने के बाद सदन उन पर निश्चित निर्णय दे चुका। अब प्रश्न दंड देने का होता है कि अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है यानी सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और अगर सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है तो उस पर क्या दंड देना यह बिल्कुल डिस्क्रीशनरी है सदन के लिए कि सदन कितना दंड दे, या न भी दे जैसा कि उदारतापूर्ण तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो बातें रामनारायण जी ने कहीं उन पर उनको उन्होंने दंड कम करने के लिये संशोधन पेश कर दिया। इसलिए एक दफा मैं सोचता था कि चूंकि सदन के अन्दर का प्रश्न, एक घरेलू मामला जैसा होता है, तो यदि जो माननीय दो सदस्य बाकी हैं वह सदन का निर्णय जानने के बाद कि उनसे सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हो चुकी है अगर वह यह उचित समझते हों कि जिस रास्ते पर श्री रामनारायण जी ने चल कर अपना मत व्यक्त किया उसका अनुकरण करें जब कि सदन का निर्णय स्पष्ट हो गया है तो अच्छा हो। पहले तो उनको थोड़ी बहुत शंका भी थी और उनको मालूम नहीं था कि सदन का क्या निर्णय होने वाला है, अब तो मालूम हो चुका है तो उसको चैलेंज न करते हुए एक रास्ता उनके लिये अब भी हैं मैं सोचता हूं कि अगर माननीय गेंदा सिंह जी जो कि यहां मौजूद हैं और उनकी पार्टी के और लीडर, मौजूद हैं, वे कहें तो उक्त दो सदस्यों को दंड सम्बन्धी भाग पर वोट लेने के पेश्तर नियम ६२ के अनुसार मैं, उनको बुला सकता हूं, जिसमें अगर वे अब भी सदन के सामने रीग्रेट जाहिर करने के लिये तैयार हों कि उन्होंने यह आवेश में कर दिया, निर्णय शिरोधार्य है और हम खेद प्रकट करते हैं, ऐसी कोई चीज हो सकती हो तो यह दुखद चैप्टर जो है इसे क्लोज करने के लिये एक रास्ता निकल सकता है। यह मैं मौका देना चाहता था और इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को स्प्लिट यानी दो भागों में किया। दंड के सम्बन्ध में वोट लेने के पेश्तर यह मौका उनको देने का मेरा विचार था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि हम अपने साथी से कुछ इस बारे में डिस्कस कर सकें मैं आपसे यह जानना चाहता था कि माननीय रामनारायण जी ने और माननीय राजनारायण जी ने दोनों ने एक सी बातें कहीं पहले....

श्री अध्यक्ष—वह तो हो चुका। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

सदन में मैंने जो स्टेटमेंट दिया, यह उन्हें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का राइट देना था उसकी वजह से यह किया, ऐसी कोई चीज होने वाली हो तो मैं मौक़ा दूं।

(एक क्षण पश्चात्)

तो फिर अब मैं प्रश्न लेता हूं। संशोधन पहले लेता हूं। प्रश्न यह है कि पंक्ति ४ में शब्द "और रामनारायण त्रिपाठी" निकाल दिये जायं तथा अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायं "और श्री रामनारायण त्रिपाठी के वक्तव्य को जो उन्होंने आज सदन में दिया है, ध्यान में रखते हुए, उनके बारे में और कोई आज्ञा देना उचित नहीं समझता।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव का यह संशोधित भाग स्वीकार किया जाय—

"और श्री राजनारायण को इस बैठक के स्थगन तक के दिनों के लिये और श्री जगन्नाथ मल्ल को इस सत्र के सत्रावसान तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित

[श्री अध्यक्ष]

करता है, और श्री रामनारायण त्रिपाठी के वक्तव्य को जो उन्होंने आज सदन में दिया है, ध्यान में रखते हुए उनके बारे में कोई आज्ञा देना आवश्यक नहीं समझता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने बावजूद हमारी प्रार्थना के जो फैसला किया है वह फैसला तो है ही...

श्री अध्यक्ष--अब इस पर भाषण नहीं हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। जो फैसला इस सदन में हुआ है, हम समझते हैं कि उसके बाद हम लोग इस सदन में अब रहना पसन्द नहीं करेंगे। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि हमको अब सदन के बाहर जाना चाहिये।

(इसके पश्चात् प्रजा सोशलस्ट पार्टी के सब सदस्य उठ कर सदन के बाहर चले गये।)

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक १९५३, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
३० मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

*३१ मार्च, १९५३ को कार्यवाही में छपा है।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

राजकीय यांत्रिक कृषि क्षेत्रों पर निम्नलिखित दुधारू गाय, भैंस तथा बकरी हैं :—

सूची "अ"

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	गाय	भैंस	बकरी
१	बाबूगढ़, जिला मेरठ	१००	९८	...
२	भरारी, जिला झांसी	१९६	६७	२६
३	माधुरी कुंड, जिला मथुरा	३०९	४७	१५
४	हेमपुर, जिला नैनीताल	१५०	८९	...
५	मंझरा, जिला लखीमपुर-खीरी	१५२	१३६	...
६	सैदपुर, जिला झांसी	१८४	८	...
७	अन्देशनगर, जिला लखीमपुर-खीरी	...	१	...
८	नीलगांव, जिला सीतापुर	३७	...	...
९	आराजी लाइन्स, जिला बनारस	८०	...	...
१०	निबलेट, जिला बाराबंकी	३	...	...
	कुल ...	१२११	४४६	४१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

सूची 'ब'

निम्नलिखित दूध तथा घी यांत्रिक कृषि क्षेत्रों पर १९५१–५२ में पैदा हुआ तथा निम्नलिखित दाम प्राप्त हुए :—

क्रम-संख्या	फार्म का नाम	जिला	कितना दूध पैदा हुआ	कितना घी पैदा हुआ	दूध के दाम	घी के दाम ५) प्रति-सेर की दर से	कुल जोड़
			म० से० छ०	म० से० छ०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१	बाबूगढ़	मेरठ	४२९९–३ –०	..	७७११२–० –०	..	७७११२– ० –०
२	माधुरी कुंड	मथुरा	३४३७–१३–०	२–५–१५	४२३०१–३ –०	४२९–१२ –०	४२७३०–१५ –०
३	भरारी	झांसी	२९०२–३ –९	७–२२–१४	६१८२१–८ –०	१५२१– ७ –०	६३३४२–१५ –०
४	मंझरा	लखीमपुर–खीरी	१२९६–३८–०	..	३२५३७–८ –०	..	३२५३७– ८ –०
५	हेमपुर	नैनीताल	१६९२–७ –०	..	३०३६८–१३–०	..	३०३६८–१३ –०
६	आराजी लाइन्स	बनारस	१८८१–२६ –०	..	२७२०४–० –०	..	२७२०४– ० –०
	कुल जोड़	...	१५५०९–१०–९	९–२८–१३	२७१३४५–०–०	१९५१ –३ –०	२७३२९६– ३ –०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

अनुसूची

संख्या उन गजटेड अधिकारियों की, जिनका वेतन १५-१२-५२ तक बाकी था	तारीख जिससे वेतन बाकी था	टिप्पणी
१	२८-४-५१	इस तारीख से असिस्टेंट इंजीनियर का वेतन तो मिलता रहा, परन्तु कृषि इंजीनियर के पद का वेतन नहीं मिला जिस पर उनकी तरक्की हुई थी।
१	१-९-५२	
२	१-९-५२ से ३०-११-५२ तक	
१	२८-७-५२ से २८-१०-५२ तक	
१	२३-८-५२	
१	२९-७-५२ से १४-९-५२ तक १-१२-५२ से १५-१२-५२ तक	
१	२१-५-५२ से ३-७-५२ तक	२२-१०-५२ से वार्षिक उन्नति के कारण जो वेतन बढ़ा वह नहीं मिला था।
४	१-११-५२	
१	१-१२-५२	

उत्तर प्रदेश संस्थान

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

पूर्ण कार्यों की सूची

१---सलीमपुर--मझुलिया रोड	...	३·४ मील लम्बी।
२---सलीमपुर--निजामाबाद रोड	...	२ मील लम्बी।
३---देवरिया तहसील में छोटी गंडक का नाला	...	२ मील लम्बा।

अपूर्ण कार्यों की सूची

क्रम-संख्या	कार्य का नाम और किस्म	कुल लम्बाई	काम की लम्बाई पूर्ण	काम की लम्बाई अपूर्ण
१	खड्डा--नौरंगिया रोड	२२	२ १/२ मील	१९ १/२ मील
२	नौरंगिया--रामकोला रोड			
३	चुरिया बांध	३ १/२	१ मील	२ १/२ मील
४	पडरौना--जाठा बाजार रोड	१२	३	९
५	रुद्रपुर बांध	७	१ १।२ ,,	५ १/२ ,,
६	रुद्रपुर--गौरी बाजार रोड	१२	५	७
७	रुद्रपुर--बारहज रोड	१४	६	८
८	कंचनपुर--बघोच घाट रोड	१०	५	५
९	तमकोही--सिसवा रोड	१०	७	३
१०	हाटा--कप्तानगंज रोड	१५	४	११
११	कसिया--रामकोला रोड	११	२ फर्लांग	११·६ मील
१२	बभनौली--कसिया रोड	१६	४	१२
१३	पथरवा--समौर रोड	४	१/२	३ १/२
१४	पटेहरवा--पडरौरा रोड	१६	१	१५
१५	देवरिया--तहीलपार रोड	२ १/२	१/२	२
१६	सिस्या--नौतन बाजार रोड	९	५	४
१७	कुर्ना नाला	३ फर्लांग	१/२ फर्लांग	२ १/२ फर्लांग
		१६२·३		
१८	लर--गुठेनिया रोड	(नगण्य कार्य सम्पन्न हुआ है।)		
१९	कप्तानगंज--सिकटा रोड	,,	,,	
२०	कठकुइयां--गढ़िया रोड	,,	,,	
२१	कप्तानगंज--हाटा रोड	,,	,,	
२२	भागलपुर--भुसैलिया रोड	,,	,,	
२३	सलीमपुर--लार रोड	,,	,,	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

उपसंचालक, उद्यान, लखनऊ के पत्र संख्या जी० एच०-१०६८/एच-३४, दिनांक १४ मार्च, १९५३, जो सहायक सचिव, उत्तर प्रदेशीय सरकार' कृषि (बी) विभाग को प्रेषित है, की प्रतिलिपि—

विषय—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट द्वारा उपस्थित प्रश्न संख्या ६०।

आपके प्रशासकीय पत्र संख्या १८३०/१२-बी—१७९-५३, दिनांक १३ मार्च, १९५३ के प्रत्युक्त में मैं आपके सूचनार्थ, पूर्वी जिलों में किये गये उद्यान के पूर्ण कार्यों का विवरण दे रहा हूं, जो निम्नलिखित हैं :—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग के समुचित कार्यों का कोई लेखा नहीं है, परन्तु जिस प्रकार से प्रांत के और जिलों में उद्यान का कार्यक्रम चल रहा है ठीक उसी प्रकार से पूर्वी जिलों में भी कार्य किया जा रहा है। उद्यान विभाग के कर्मचारी पूर्वी जिलों में नियुक्त हैं। गोरखपुर, देवरिया, बनारस, जौनपुर और मिर्जापुर में एक-एक निरीक्षक उद्यान हैं जब कि अन्य जिलों में केवल उद्यान चौधरी नियुक्त हैं। उपर्युक्त कर्मचारियों के अलावा प्रत्येक जिले में दो-दो मालियों की नियुक्ति भी की गई है। इन सब जिलों में, अन्य जिलों की ही भांति उद्यान के कर्मचारीगण नये-नये उद्यानों की स्थापना तथा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले उद्यान हैं उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर रहे हैं। आधुनिक उद्यान के कार्यों का किसी भी जन-समाज को हमारे कर्मचारी पूर्ण रूप से ज्ञान दिलाने के लिये प्रस्तुत रहते हैं। वर्तमान वर्ष के लगाये हुए पौदों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

जिलों का नाम	नये उद्यान लगाये गये एकड़ में	लगाये गये फलों के पेड़ों की संख्या	लगाये गये अन्य पेड़ों की संख्या	लगाये गये कुल पेड़ों की संख्या	पुनर्जीवित बागों का क्षेत्रफल
१—देवरिया	१३६.००	३९४९	४८०	४४२९	५१.५
२—बस्ती	४६.६६	२८७९	५०	२९२९	...
३—आजमगढ़	४२७.९०	३६५७	१७६२२	२१२७९	३.१०
४—गोरखपुर	२२८.३७	१५०४३	५५०४	२०५४७	१४६.५०
५—बलिया	१०९.८०	६३०७	७२६२	१३५६९	...
६—गाजीपुर	९४.३०	८९३२	१९०४	१०८३६	...
७—बनारस	२९७.००	२८९५८	१५६१	३०५१९	...
८—जौनपुर	२९०.८०	२५६४१	६५७४	३२२१५	७४.००
९—मिर्जापुर	८१.१०	७०४६	१५४०	८५८६	..

पूर्वी जिलों के विकास के लिये गाजीपुर, गोरखपुर, बनारस और बहराइच के जिलों में शासकीय पौदशाला (नर्सरी) खोली गई है। इसके उपरांत इलाहाबाद तथा फैजाबाद की केन्द्रीय पौदशालाओं द्वारा पूर्वी जिलों में पर्याप्त मात्रा में पौधे भेजे जाते हैं।

उद्यान कार्य के विकास के हेतु सरकार ने आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर तथा बनारस में लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की है जिसके द्वारा उन लोगों ने अपनी-अपनी पौदशालायें स्थापित कर ली हैं।

एक और महत्वपूर्ण कार्य उद्यान विकास के हेतु यह हो रहा है कि पौदे सरकारी तथा रजिस्टर्ड पौदशालाओं से कम कीमत पर वितरण किये जाते हैं और उनको समीप के रेलवे स्टेशन तथा सड़कों तक बिना मूल्य पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। कांटेदार तार, खाद्य सब्जियों के बीज तथा निरोग आलू के बीज उचित मूल्य पर वितरण किये जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष एक-एक करके पूर्वी जिलों में थोड़े-थोड़े दिनों के लिये फल तथा सब्जी की उपयोगिता और उन्हें समुचित रूप से भली प्रकार बनाये रखने के लिये तथा उनकी सुरक्षा के हेतु डिब्बों में भरने के लिये साधन इत्यादि बताये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

सूची

पशुपालन विभाग गौशालाओं तथा डेरी फार्मों को निम्नलिखित सहायता देता है :—

१—सभी गौशालाओं को कलात्मक परामर्श तथा उनके पशुओं की चिकित्सा आदि के लिये परामर्श निःशुल्क दिया जाता है।

२—जिन गौशालाओं के पास चारा उगाने के लिये पर्याप्त भूमि है और जिन्होंने अपने उपयोगी पशुओं को निरर्थक पशुओं से अलग रखना स्वीकार किया है उन्हें धन उपलब्ध होने पर विशुद्ध वंशीय गायें आधी कीमत पर दी जाती हैं।

३—यदि गौशालाओं में शुद्ध जाति की गायें पलती हैं तो उन्हें आंशिक मूल्य पर प्रजनन के लिये सांड दिया जाता है।

४—पशु-पालन विभाग गौशालाओं की भूमि अधिकृत कराने में भी सहायता देता है।

५—जो गौशालायें अपने शुद्ध वंशीय पशुधन की उन्नति करने के लिये इच्छुक हैं और जहां इसकी गुंजाइश है वहां पर विभाग ने कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र स्थापित किया है और इस सम्बन्ध में गौशाला तथा जनता के लिये सब खर्चे को बर्दाश्त करता है।

६—जो गौशालायें डेरी के रूप में काम करना चाहती हैं विभाग उन्हें गाय तथा डेरी के अन्य उपकरण आदि खरीदने के लिये तकावी के आधार पर सहायता देता है।

डेरी के सम्बन्ध में—

(१) निःशुल्क कलात्मक सहायता दी जाती है।

(२) पशुओं की चिकित्सा तथा उन्हें संक्रामक रोगों से बचाने के लिये विभाग के कर्मचारियों द्वारा मुफ्त टीका लगाया जाता है।

(३) डेरी फार्मिंग के लिये आगामी वर्ष के बजट में ५०,००० रु० तकावी के रूप में देने के लिये रखा गया है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६ एल० ए०—१९५३—८८०

विधान सभा
सचिवालय, उत्तर प्रदेश